

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य प्रोफाइल
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य प्रोफाइल									
क. सामान्य डाटा									
क्र.सं.		विवरण						आंकड़े	
1		क्षेत्र						44,212 वर्ग कि.मी.	
2		जनसंख्या							
		क	2001 की जनगणना के अनुसार					2.11 करोड़	
		ख	2011 की जनगणना के अनुसार					2.54 करोड़	
3		जनसंख्या घनत्व ¹ (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)						573 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4		गरीबी रेखा ² से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.92 प्रतिशत)						11.16 प्रतिशत	
5		साक्षरता ³ (2011) (अखिल भारतीय औसत=73 प्रतिशत)						75.60 प्रतिशत	
6		शिशु मृत्यु-दर ⁴ (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=28 प्रति 1000 सजीव जन्म)						28	
7		जन्म ⁵ पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=69.7 वर्ष)						69.9 वर्ष	
8		गिनी गुणांक ⁶							
		क	(अखिल भारतीय=35.70)					ग्रामीण 0.30	
		ख						शहरी 0.36	
9		वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2021-22 ⁷						₹ 8,95,672 करोड़	
10		प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. की सी.ए.जी.आर. (2012-13 से 2021-22)				हरियाणा		9.51	
11						अखिल भारतीय		6.87	
12		स.रा.घ.उ. की सी.ए.जी.आर. (2012-13 से 2021-22)				हरियाणा		11.11	
13						अखिल भारतीय		10.11	
14		हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2012 से 2022)						15.81	
15		अखिल भारतीय जनसंख्या ⁸ वृद्धि (2012 से 2022)						12.12	
ख		वित्तीय आंकड़े							
विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)							
		2012-13 से 2015-16		2016-17 से 2019-20		2019-20 से 2020-21		2020-21 से 2021-22	
		पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य	हरियाणा	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य	हरियाणा	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य	हरियाणा	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य	हरियाणा
क	राजस्व प्राप्तियों का	13.79	12.23	8.68	8.92	(-) 4.12	(-)0.44	25.60	15.59
ख	स्वयं के कर राजस्व का	8.92	9.49	9.15	7.96	(-) 4.06	(-)2.13	25.62	27.35
ग	कर-भिन्न राजस्व का	9.80	0.57	15.41	6.09	(-) 34.63	(-)5.93	45.46	6.22
घ	कुल व्यय का	16.32	21.39	6.99	9.17	4.99	(-)6.05	13.96	13.22
ङ	पूंजीगत व्यय का	25.38	6.23	(-) 4.95	37.01	(-) 2.09	(-)66.77	25.59	88.18
च	राजस्व व्यय का	14.51	27.87	9.59	7.44	6.12	6.01	12.25	9.43
छ	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	12.31	12.17	9.26	9.38	(-) 0.90	(-)3.11	11.47	9.86
ज	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	17.22	15.94	11.86	16.87	15.29	13.62	19.71	18.13
झ	वैतन एवं मजदूरी का	10.50	10.07	9.86	8.88	2.83	1.03	11.23	7.26
ञ	पेंशन का	12.16	14.17	15.01	15.98	6.48	9.96	11.88	9.31

¹ कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त

² सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

³ जनगणना 2011

⁴ एस.आर.एस. बुलेटिन

⁵ एस.आर.एस. आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2015-19

⁶ विश्व बैंक, http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf.

⁷ सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा आपूर्ति की गई सूचना।

⁸ राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनसंख्या अनुमान।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.4.2; पृष्ठ 8)

31 मार्च 2022 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 को	देयताएं		31 मार्च 2022 को
2,03,958.21		आंतरिक ऋण	2,26,208.23
	1,61,214.18	व्याज युक्त बाजार ऋण	1,85,357.53
	2.26	व्याज रहित बाजार ऋण	0.02
	शून्य	जीवन बीमा निगम से ऋण	शून्य
	34,381.04	अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	33,489.81
	8,360.73	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	7,360.87
5,851.97		केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	13,234.58
		1984-85 से पूर्व के ऋण	
	37.04	योजनेतर ऋण	7.57
	970.02	राज्य योजना स्कीमों हेतु ऋण	844.71
	4,844.91	विधार्थ स्कीमों सहित राज्यों के अन्य ऋण	12,382.30
1,000.00		आकस्मिक निधि	1,000.00
17,996.91		लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	18,394.45
9,471.56		जमा	11,724.95
7,823.91		आरक्षित निधियां	8,848.92
		उच्चत तथा विविध शेष	241.40
312.85		प्रेषण शेष	314.60
2,46,415.41			2,79,967.13
31 मार्च 2021 को	परिसंपत्तियां		31 मार्च 2022 को
1,18,035.14		स्थायी परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	1,29,013.56
	37,566.55	कंपनियों, निगमों, इत्यादि के शेयरों में निवेश	37,865.68
	80,468.59	अन्य पूंजीगत परिव्यय	91,147.88
7,884.05		ऋण एवं अग्रिम	8,350.07
	1,179.37	बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	949.24
	6,492.24	अन्य विकास ऋण	7,273.14
	212.44	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	127.69
0.74		अग्रिम	0.74
24.24		उच्चत एवं विविध शेष	शून्य
		प्रेषण शेष	
3,147.94		नकद	4,946.11
	0.54	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54
	(-) 463.47	रिजर्व बैंक में जमा	(-) 371.24
	3.34	विभागीय नकद शेष	4.41
	0.12	स्थायी अग्रिम	0.12
	1,564.72	नकद शेष निवेश	2,597.52
	2,042.69	आरक्षित निधि निवेश	2,714.76
1,17,323.30		सरकारी लेखों पर घाटा	1,37,656.65
	22,385.59	(i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	20,333.34
	95,654.00	(ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	1,17,323.30
	(-) 1,516.29	(iii) विविध सरकारी लेखे	शून्य
	800.00	(iv) आकस्मिक निधि के लिए विनियोजन राउंडिंग के कारण अंतर (वित्त लेखों के अनुसार)	शून्य
2,46,415.41		कुल	2,79,967.13

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 16)
वर्ष 2021-22 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण			
	2020-21		2021-22		2020-21		2021-22
भाग क: राजस्व							
I. राजस्व प्राप्तियां	67,561.01		78,091.69	I. राजस्व व्यय	89,946.60		98,425.03
कर राजस्व	41,913.80	53,377.16		सामान्य सेवाएं	34,734.17		37,947.91
कर भिन्न राजस्व	6,961.49	7,394.13		सामाजिक सेवाएं	36,163.96		40,927.67
संघीय करों में राज्यांश	6,437.59	9,722.16		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	14,029.47	15,412.42	
नॉन प्लान अनुदान	-	-		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,081.05	6,001.83	
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	-	-		जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	5,914.79	6,780.06	
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	-	-		सूचना एवं प्रसारण	132.81	213.13	
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	3,135.18	3,332.31		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	376.01	396.06	
वित्त आयोग अनुदान	2,364.00	1,192.05		श्रम एवं श्रम कल्याण	935.17	1,328.37	
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	6,748.95	3,073.88		समाज कल्याण एवं पोषण	9,686.43	10,785.09	
				अन्य	8.23	10.71	
				आर्थिक सेवाएं	19,048.47		19,549.45
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	4,205.56	4,790.92	
				ग्रामीण विकास	4,498.67	1,985.44	
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,574.44	2,044.79	
				ऊर्जा	5,788.32	7,130.30	
				उद्योग एवं खनिज	390.60	457.21	
				परिवहन	2,442.29	2,935.81	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	31.83	20.35	
				अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	116.76	184.63	
				सहायता अनुदान तथा अंशदान	शून्य		
II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व घाटा	22,385.59		20,333.34	II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व आधिक्य			
योग भाग क	89,946.60		98,425.03		89,946.60		98,425.03
भाग ख- अन्य							
III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	3,999.47		3,147.94	III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट			
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	62.96		67.15	IV. पूंजीगत परिव्यय	5,869.70		11,045.56
				सामान्य सेवाएं	387.61	562.07	562.07
				सामाजिक सेवाएं	2,986.12	5,471.24	5,471.24
				शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	409.32	578.60	
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	766.37	895.70	
				जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,594.50	3,811.77	
				सूचना एवं प्रसारण	80.00	78.05	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.48	0	
				समाज कल्याण एवं पोषण	64.55	62.02	
				अन्य	70.90	45.10	

प्राप्तियां				संवितरण			
	2020-21		2021-22		2020-21		2021-22
				आर्थिक सेवाएं	2,495.97		5,012.25
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	(-)1,171.85	-22.92	
				ग्रामीण विकास	97.06	100.04	
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,365.75	1,807.54	
				ऊर्जा	527.09	0.06	
				उद्योग एवं खनिज	4.79	22.68	
				परिवहन	1,513.34	2,823.86	
				विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	23.00	10.35	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	136.79	270.64	
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	431.95		500.24	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	925.70		966.27
बिजली परियोजनाओं से	225.87	240.43		बिजली परियोजनाओं हेतु	56.15	10.30	
सरकारी कर्मचारियों से	65.63	183.23		सरकारी कर्मचारियों को	201.71	98.48	
अन्य से	140.45	76.58		अन्यों को	667.84	857.49	
VI राजस्व आधिक्य भाग क से अग्रणीत	-			VI. राजस्व घाटा भाग क से अग्रणीत	22,385.59		20,333.34
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	53,816.73		55,105.60	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	29,497.60		25,472.95
बाह्य ऋण				बाह्य ऋण			
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त)	44,362.72	44,792.38		आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त)	24,190.11	22,542.35	
अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन	4,977.33	2,775.83		अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल लेनदेन	4,977.33	2,775.83	
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	4,476.68	7537.39		केन्द्रीय सरकार के ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	330.16	154.77	
VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	800			VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	800.00		
IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि		900	900	IX. आकस्मिक निधि से व्यय		900	900
X. लोक लेखा प्राप्तियां	53,760.90		55,670.95	X. लोक लेखा संवितरण	50,245.48		51,727.64
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	3,604.79	3,569.29		लघु बचत, भविष्य निधियां, इत्यादि.	2,570.34	3,171.76	
आरक्षित निधियां	1,342.32	1,668.69		आरक्षित निधियां	2,012.76	643.69	
उच्चत एवं विविध	2,610.02	1,363.26		उच्चत एवं विविध	1,047.48	1,097.62	
प्रेषण	8,795.19	10,992.28		प्रेषण	8,756.08	10,990.53	
जमा एवं अग्रिम	37,408.58	38,077.43		जमा एवं अग्रिम	35,858.82	35,824.04	
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से संवरण ओवरड्राफ्ट				XI. अंतिम रोकड़ शेष	3,147.94		4,946.12
				कोषालयां तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद राशि	0.54	0.54	
				रिजर्व बैंक के साथ जमा	(-)463.47	-371.24	
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित	3.46	4.53	
				विभागीय नकद शेष			
				नकद शेष निवेश	1,564.72	2,597.52	
				चिह्नित निवेश	2,042.69	2,714.76	
				पूर्णांकन के कारण अंतर	-	0.01	
योग भाग-ख	1,12,872.01		1,15,391.88	योग	1,12,872.01		1,15,391.88

परिशिष्ट 2.2
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 19)
राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
भाग-क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	62,695	65,885	67,858	67,561	78,092
(i) कर राजस्व	41,099(66)	42,581 (65)	42,825 (63)	41,914 (62)	53,377 (68)
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	15,609(38)	8,998 (21)	8,398 (19)	8,660 (21)	11,221(21)
राज्य उत्पाद शुल्क	4,966(12)	6,042 (14)	6,323 (15)	6,864 (16)	7,934 (15)
वाहनों पर कर	2,778(7)	2,908 (7)	2,916 (7)	2,495 (6)	3,265 (6)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	4,193(10)	5,636 (13)	6,013 (14)	5,157 (12)	7,598 (14)
भू-राजस्व	18	19	20	17	21
माल एवं यात्रियों पर कर	2,317(6)	21	16	4	6
बिजली पर कर एवं शुल्क	306(1)	337 (1)	262 (1)	476 (1)	404 (1)
राज्य माल एवं सेवा कर	10,833(26)	18,613 (44)	18,873 (44)	18,236 (44)	22,922(43)
अन्य कर	79	7	4	5	6
(ii) कर-भिन्न राजस्व	9,113(14)	7,976 (12)	7,400 (11)	6,961 (10)	7,394 (9)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	7,298(12)	8,255 (12)	7,111 (10)	6,438 (10)	9,722 (12)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	5,185(8)	7,073 (11)	10,522 (16)	12,248 (18)	7,599 (10)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	40	49	54	63	67
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	6,341	5,372	5,393	432	500
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	69,076	71,306	73,305	68,056	78,659
5. लोक ऋण प्राप्तियां	21,490	34,265	44,432	53,817	55,106
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	21,270(99)	33,635 (98)	43,068 (97)	44,363 (83)	44,793 (81)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	79	505 (2)	1,262 (3)	4,977 (9)	2,776(5)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	141(1)	125	102	4,477* (8)	7,537** (14)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	90,566	1,05,571	1,17,737	1,21,873	1,33,765
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	27	12	शून्य	800	900
8. लोक लेखे प्राप्तियां	33,894	40,785	45,047	53,761	55,671
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	1,24,487	1,46,368	1,62,784	1,76,434	1,90,336
भाग- ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	73,257	77,155	84,848	89,946	98,425
योजनागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0
योजनेतर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0
सामान्य सेवाएं (व्याज भुगतानों सहित)	26,699(36)	28,169 (36)	31,884 (38)	34,734 (39)	37,948 (38)
आर्थिक सेवाएं	18,107(25)	19,021 (25)	19,238 (22)	19,048 (21)	19,549 (20)
सामाजिक सेवाएं	28,061(38)	29,743(38)	33,726 (40)	36,164 (40)	40,928(42)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	390(1)	222(1)	शून्य	शून्य	0
11. पूंजीगत व्यय	13,538	15,307	17,666	5,870	11,046
योजनागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0
योजनेतर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0
सामान्य सेवाएं	481(4)	715 (5)	586 (3)	388 (7)	562 (5)
आर्थिक सेवाएं	9,884(73)	10,787 (70)	13,846 (79)	2,496 (42)	5,013 (45)
सामाजिक सेवाएं	3,173(23)	3,805 (25)	3,234 (18)	2,986 (51)	5,471 (50)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	1,395	756	1,309	926	966
13. कुल (10+11+12)	88,190	93,218	1,03,823	96,742	1,10,437
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	6,339	17,184	15,776	29,498	25,473
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	6,074(96)	16,480 (96)	14,250 (90)	24,191 (82)	22,542 (88)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	79(1)	505 (3)	1,262 (8)	4,977 (17)	2,776(11)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	186(3)	199 (1)	264 (2)	330 (1)	155 (1)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	-	शून्य	800	0
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	94,529	1,10,402	1,19,599	1,27,040	1,35,910
17. आकस्मिक निधि संवितरण	27	12	शून्य	शून्य	900
18. लोक लेखा संवितरण	31,171	37,386	42,171	50,245	51,728
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	1,25,727	1,47,800	1,61,770	1,77,285	1,88,538

- * वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।
- ** वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल हैं।

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
भाग ग-घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	(-)10,562	(-) 11,270	(-) 16,990	(-) 22,385	-20,333
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)	(-)19,114	(-) 21,912	(-) 30,518	(-) 29,486	-31,778
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(-)7,153	(-) 8,361	(-) 14,930	(-) 12,371	-13,416
भाग-घ अन्य डाटा					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	11,961	13,551	15,588	17,115	18,362
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	9,844	10,078	11,337	13,012	12,446
25. अर्थोपाय अग्रिम/प्राप्त ओवरड्राफ्ट(दिनों में)	79(2)	505(4)	1,262 (11)	4,977(42)	2,776
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0.02	0.29	0.42	1.31	0.29
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ¹	6,38,832	6,98,189	7,62,044	7,58,507	8,95,672
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	1,64,076	1,84,216	2,15,562	2,38,708 ²	2,63,950 ³
29. बकाया गारंटियां-ब्याज सहित (वर्ष के अन्त में)	14,138	18,220	20,738	23,053	24,343
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	25	23	26	48	19
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	167.14	127.30	221.57	546.30	190.05
भाग-ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन संचयन					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.064	0.061	0.056	0.055	0.060
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.014	0.011	0.009	0.009	0.008
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.011	0.012	0.008	0.008	0.011
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.138	0.134	0.136	0.129	0.109
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.407	1.415	1.530	1.444	1.249
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.831	0.828	0.817	0.922	1.009
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.354	0.360	0.356	0.401	0.476
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.317	0.320	0.319	0.221	0.252
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.154	0.164	0.170	0.060	0.113
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.148	0.157	0.165	0.056	0.107
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-) 0.017	(-) 0.016	(-) 0.022	(-) 0.030	(-) 0.023
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-) 0.030	(-) 0.031	(-) 0.040	(-) 0.039	(-) 0.035
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-) 0.011	(-) 0.012	(-) 0.020	(-) 0.016	(-) 0.015
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.553	0.514	0.557	0.759	0.640
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.26	0.26	0.28	0.31	0.29
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	2.617	2.796	3.177	3.533	3.380
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	7.53	56.60	87.01	163.14	1,007.59
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.60	0.58	0.56	0.52	0.51

¹ आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

² वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ को छोड़कर।

³ भारत सरकार के ₹ 11,746 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में)

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.2.2 (iii); पृष्ठ 22)

राजस्व प्राप्तियों के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2022 तक राजस्व के बकाया

(₹ करोड़ में)

[illegible]

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

4. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3.2 (ii); पृष्ठ 38)

वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विवरण संख्या 16 और 19) के अभिलेखों की तुलना में
वित्त लेखे के अनुसार सरकारी निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वित्त लेखे के अनुसार (एस-16)	कंपनी लेखा के अनुसार (एस-19)	अंतर
1	हरियाणा वित्तीय निगम	204.22	202.01	(-) 2.21
2	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	9,584.68	13,459.51	3,874.83
3	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,437.95	3,037.76	(-) 400.19
4	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	49.46	48.20	(-) 1.26
5	हरियाणा डेयरी विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	4.77	5.57	0.80
6	हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम	33.84	26.14	(-) 7.70
7	हरियाणा पुलिस आवास निगम	69.82	25.00	(-) 44.82
8	हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड, गुरुग्राम	8.41	6.80	(-) 1.61
9	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.74	2.76	0.02
10	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	9.90	9.89	(-) 0.01
11	हरियाणा राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.62	2.65	0.03
12	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	76.10	72.36	(-) 3.74
13	हरियाणा राज्य सड़कें और पुल विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	70.12	122.04	51.92
14	हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	1.40	1.81	0.41
15	हरियाणा टेनरीज लिमिटेड, जींद	0.22	1.17	0.95
16	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	शून्य	37.76	37.76
17	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,638.97	4,303.05	664.08
18	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	14.86	15.51	0.65
19	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकुला	11,128.04	15,227.63	4,099.59
20	हरियाणा मास रैपिड यातायात निगम	शून्य	14.40	14.40
21	हरियाणा मेडिकल सर्विसिज लिमिटेड	शून्य	5.00	5.00
22	हरियाणा रेल संरचना विकास निगम लिमिटेड	160.00	239.22	79.22
23	हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास निगम लिमिटेड	0.07	0.10	0.03
24	हरियाणा लिमिटेड की ड्रोन इमेजिंग और सूचना सेवाएं	10.10	10.00	-0.10
	कुल	28,508.29	36,876.34	8,368.05

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3.2 (iii); पृष्ठ 38)

कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तिथि	पूर्णता की संभावित तिथि
1.	सिकंदरपुर स्टेशन से एन.एच.-8 गुड़गांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर.टी.सी.एल. (रैपिड मेट्रो गुड़गांव साउथ लिमिटेड)	1,088.00	बी.ओ.टी.	16 जुलाई 2009	14 नवंबर 2013 राज्य को राजस्व उत्पन्न करना- शून्य। परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव को एच.एम.आर.टी.सी. द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है और 23.10.2019 को लाइसेंसधारक के रूप में डी.एम.आर.सी. को सौंप दिया गया है। मेट्रो परियोजनाओं के संचालन से किराया वसूली डी.एम.आर.सी. के नाम से खोले गए एक अलग खाते में की जाती है।
2.	कुंडली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी. (मैसर्ज एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड)	1,863.00	बी.ओ.टी.	31 जुलाई 2015 (प्रारंभ करने की तिथि 24 अगस्त 2016)	04 दिसंबर 2018 (राजस्व वित्तीय वर्ष: ₹ 162.73 करोड़)
3.	दिल्ली मेट्रो सिकंदरपुर से सेक्टर 56, गुड़गांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर.टी.सी.एल.	2,143.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	1 अक्टूबर 2012	मार्च 2017 राज्य को राजस्व सृजन- शून्य। परियोजनाओं के संचालन और रख-रखाव को एच.एम.आर.टी.सी. द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है और 23.10.2019 को लाइसेंसधारक के रूप में डी.एम.आर.सी. को सौंप दिया गया है। मेट्रो परियोजनाओं के संचालन से किराया वसूली डी.एम.आर.सी. के नाम से खोले गए एक अलग खाते में की जाती है।
4.	हरियाणा विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड की जे.के.टी.पी.एल.	कल्पतरु पावर ट्रांस लिमिटेड और टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग के संयुक्त उद्यम	382.00	डी.बी.एफ.ओ.टी. (डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर)	14 मई 2010	12 मार्च 2012
5.	बस स्टैंड, एन.आई.टी. फरीदाबाद	डी.जी.एस.टी. (मैसर्ज पैसिफिक रिटेल काउंटर्स)	110.94	डी.बी.एफ.ओ.टी.	14 जून 2018	निचले भूतल तक का निर्माण कार्य पूर्ण (मई 2021) किया गया तथा भूतल से द्वितीय तल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
6.	हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका भिवानी रोड (0.00 से 14.28 किलोमीटर) पर पक्के फुटपाथ के साथ 2 लेनिंग का विकास	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	94.00	डी.बी.एफ.ओ.टी. (टोल) 23.06.2016		पूरा हुआ
7.	गुड़गांव, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सोहना रोड का रख-रखाव (लंबाई 66.185 किलोमीटर)	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	180.00	बी.ओ.टी.		परियोजना परिचालन चरण में है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तिथि	पूर्णता की संभावित तिथि
8.	1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	130.00	-	2007-2012	उक्त परियोजना 2007 में शुरू की गई है और जी.आई.टी.आई. को 2007-2012 से 5 चयन चक्रों में चुना गया है। जारी ऋण राशि 10 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद 20 वर्षों में वापस की जानी है। तदनुसार, परियोजना को 2042 तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 31 मार्च 2021 तक ₹ 14.33 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।
9.	रेडियोलॉजिकल सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	जिला अस्पतालों के लिए चरणबद्ध ढंग से जुलाई 2014 से परियोजना शुरू हुई	17 जिलों में 18 केंद्रों पर सीटी स्कैन सेवाएं और पांच जिलों में एम.आर.आई. सुविधाएं कार्यात्मक हैं।
10.	हेमोडायलिसिस	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	14 जिला अस्पतालों के लिए चरणबद्ध ढंग से दिसंबर 2015 में परियोजना शुरू हुई	18 जिलों में 18 केंद्रों पर सेवाएं कार्यात्मक हैं और तीन जिलों (कुरुक्षेत्र, मेवात, अंबाला शहर) में प्रगति पर हैं।
11.	कैथ लैब सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	चार जिला अस्पतालों के लिए चरणबद्ध ढंग से मार्च 2016 से परियोजना शुरू हुई	चार जिला अस्पतालों में सेवाएं कार्यात्मक हैं।
12.	गुडगांव मनोरंजन पार्क का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	01 अप्रैल 2004	संयुक्त उद्यम कंपनी-मैसर्स गुडगांव रिक्रिएशन पार्क लिमिटेड (जी.आर.पी.एल.) ने एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड से लिए गए अपने ऋण के भुगतान में चूक की थी। एच.डी.एफ.सी. ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जी.आर.पी.एल. की संपत्ति की नीलामी की अनुमति मांगने के लिए एक मामला दायर किया है। उच्च न्यायालय में सुनवाई अभी अक्टूबर 2021 तक होनी है।
13.	हरियाणा राज्य में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विकास के लिए 13 परियोजनाएं	शहरी स्थानीय निकाय	1,701.30	बी.ओ.ओ.टी.	-	13 परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं को आवंटित किया गया था। दो परियोजनाओं के लिए बोली मूल्यांकन किया जा चुका है और परियोजना को जल्द ही प्रदान किया जाएगा। दो परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में थीं और शेष परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।
14.	एचवीपीएनएल	पीपीपी मोड पर मैसर्स जेकेटीपीएल	441.00	डीबीएफओटी (डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर)	15 अप्रैल 2010	12 मार्च 2012

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तिथि	पूर्णता की संभावित तिथि
15.	एचएमआरटीसीएल	पूर्ण पीपीपी परियोजनाओं की संख्या: (i) रैपिड मेट्रोरेल गुरुग्राम लिमिटेड (आरएमजीएल) द्वारा पीपीपी मोड पर सिकंदरपुर स्टेशन से एनएच-8, गुरुग्राम तक की लंबाई 5.1 किलोमीटर की मेट्रो लिंक विकसित की गई थी। परियोजना को नवंबर, 2013 में चालू किया गया था। (ii) रैपिड मेट्रोरेल गुरुग्राम साउथ लिमिटेड (आरएमजीएसएल) ने पीपीपी मोड पर सिकंदरपुर स्टेशन से एनएच-8 गुरुग्राम तक की लंबाई 6.5 किलोमीटर मेट्रो लिंक विकसित की गई थी। परियोजना को मार्च, 2017 को चालू किया गया था। (iii) रैपिड मेट्रोरेल गुरुग्राम लिमिटेड और रैपिड मेट्रोरेल गुरुग्राम साउथ लिमिटेड ने 07.06.2019 को और उसके बाद माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2019 के निर्देशों के अनुसार समाप्ति हेतु नोटिस जारी किया; संचालन और रखरखाव एचएमआरटीसी द्वारा लिया जाता है और डीएमआरसी द्वारा 23.10.2019 से लाइसेंसधारी के रूप में चलाया जा रहा है। (iv) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2021 के आदेश के अनुसार, 80 प्रतिशत ऋण देय राशि ₹ 1925.92 करोड़ एचएसवीपी द्वारा रैपिड मेट्रोरेल गुरुग्राम लिमिटेड/रैपिड मेट्रोरेल गुरुग्राम साउथ लिमिटेड के मौजूदा एस्करो खातों में 25.06.2021 को जमा किए गए हैं।				
कुल			8,363.24			

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 68)

उन मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक)
अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
राजस्व दत्तमत					
1	1-विधानसभा	82.81	14.62	76.11	21.32
2	6-वित्त	19,335.15	881.50	11,212.92	9,003.73
3	08-भवन एवं सड़कें	1,436.72	104.50	1,392.61	148.61
4	9-शिक्षा	17,162.02	139.95	14,473.22	2,828.75
5	10-तकनीकी शिक्षा	678.04	36.50	636.84	77.70
6	11-खेल एवं युवा कल्याण	372.73	116.09	266.19	222.63
7	12-कला एवं संस्कृति	66.28	6.65	24.10	48.83
8	13-स्वास्थ्य	6,177.82	947.70	6,001.77	1,123.75
9	14-शहरी विकास	134.73	0.68	125.41	10.00
10	17-रोज़गार	882.50	28.30	722.39	188.41
11	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	760.29	250.00	548.01	462.28
12	19-एससी एवं बीसी कल्याण	522.90	26.00	396.06	152.84
13	21-महिला एवं बाल विकास	1,474.13	359.71	1,223.37	610.47
14	24-सिंचाई	3,066.14	15.00	2,034.93	1,046.21
15	27-कृषि	3,301.07	587.04	2,603.64	1,284.47
16	30-वन एवं वन्य जीवन	655.17	165.05	528.15	292.07
17	31-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	14.15	2.18	7.05	9.28
18	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	5,836.17	292.37	1,956.82	4,171.72
19	33-सह-संचालन	504.21	703.45	447.21	760.45
20	34-परिवहन	2,328.61	178.12	2,141.47	365.26
21	35-पर्यटन	79.32	2.48	51.95	29.85
22	36-गृह	5,605.89	1,276.11	5,108.90	1,773.10
23	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	2,030.35	442.55	1,856.28	616.62
24	42-न्याय प्रशासन	879.00	18.00	696.56	200.44
25	43-जेल	290.02	22.30	271.92	40.40
	कुल	73,676.22	6,616.85	54,803.88	25,489.19
पूंजीगत (दत्तमत)					
26	13-स्वास्थ्य	1,158.73	260.88	895.70	523.91
27	16-श्रम	5.01	3.40	1.15	7.26
28	21-महिला एवं बाल विकास	146.87	2.90	55.72	94.05
29	23-खाद्य एवं आपूर्ति	15,233.28	501.00	12,942.15	2,792.13
30	27-कृषि	10.01	50.00	2.23	57.78
31	34-परिवहन	396.92	259.59	265.01	391.50
32	35-पर्यटन	33.60	42.35	19.90	56.05
33	37-चुनाव	11.50	1.15	6.14	6.51
34	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,239.43	888.94	966.26	1,162.11
	कुल	18,235.35	2,010.21	15,154.26	5,091.30
	कुल योग	91,911.57	8,627.06	69,958.14	30,580.49

उन मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक)
अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
राजस्व दत्तमत					
1	2-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद्	157.29	27.71	163.57	21.43
2	3-सामान्य प्रशासन	456.69	108.65	469.32	96.02
3	4-राजस्व	1,573.32	856.30	1,880.32	549.30
4	5-आबकारी एवं कराधान	261.01	36.40	267.53	29.88
5	15-स्थानीय सरकार	4,101.10	4,162.58	4,566.88	3,696.80
6	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7,800.59	900.00	8,586.50	114.09
7	22-पूर्व सैनिकों का कल्याण	168.91	109.74	219.10	59.55
8	23-खाद्य एवं आपूर्ति	665.47	392.00	819.98	237.49
9	39-सूचना एवं प्रचार	212.34	58.29	214.53	56.10
10	40-ऊर्जा एवं विद्युत	6,452.78	2,894.81	7,143.61	2,203.98
	कुल	21,849.50	9,546.48	24,331.34	7,064.64
राजस्व (भारित)					
11	3-सामान्य प्रशासन	23.50	24.80	36.29	12.01
	कुल	23.50	24.80	36.29	12.01
पूंजीगत (दत्तमत)					
12	3-सामान्य प्रशासन	38.00	10.10	42.60	5.50
13	8-भवन एवं सड़कें	2,035.69	1,185.98	2,918.74	302.93
14	11-खेल एवं युवा कल्याण	55.00	34.12	72.76	16.36
15	14-शहरी विकास	1,000.00	1,500.00	2,015.28	484.72
16	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	1,393.51	858.45	1,725.85	526.11
	कुल	4,522.20	3,588.65	6,775.23	1,335.62
	कुल योग	26,395.20	13,159.93	31,142.86	8,412.27

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 69)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
1.	2-राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद	2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 03-राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 090-सचिवालय 99-राज्यपाल के सचिवालय कर्मचारी 98-स्थापना व्यय	(ओ) 9.63 (आर) (-) 4.20 5.43	8.35	2.92
2.		2013 -मंत्रिपरिषद- 800-अन्य व्यय 99-मंत्रियों के आवासों/कार्यालयों का रखरखाव-	(ओ) 11.03 (एस) 20.20 (आर) (-) 31.22 0.01	31.17	31.16
3.	4-राजस्व	2030-स्टाम्प्स एवं पंजीकरण 02-स्टाम्प्स गैर-न्यायिक 102-स्टाम्प्स की बिक्री पर व्यय 99-चेकिंग स्टाफ	(ओ) 1.06 (आर) (-) 1.06 0.00	14.29	14.29
4.		2245-प्राकृतिक नियति के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात आदि 101-निःशुल्क राहत 97-बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों की आपूर्ति	(ओ) 35.00 (आर) 211.67 246.67	582.51	335.84
5.		2245-प्राकृतिक नियति के कारण राहत 05-राज्य आपदा राहत निधि 101-राज्य आपदा राहत निधि 99-राज्य एवं केंद्र अंशदान	(ओ) 655.00 (आर) 184.02 839.02	523.73	(-) 315.29
6.		4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 99-जिला प्रशासन	(ओ) 155.00 (आर) (-) 155.00 0.00	116.97	116.97
7.		4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 98-जिला प्रशासन	(ओ) 50.00 (आर) (-) 50.00 0.00	42.97	42.97
8.	5-आबकारी एवं कराधान	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 97-आबकारी एवं कराधान	(ओ) 40.00 (आर) (-) 40.00 0.00	23.10	23.10
9.	6-वित्त	2048-ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोजन 101-सिंकिंग फंड 99-बाजार ऋण का परिशोधन-सिंकिंग फंड और जमा खातों में अंतरण (प्रमुख शीर्ष 8222)	(ओ) 600.00 (आर) (-) 600.00 0.00	500.00	500.00
10.		2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 101-बाजार ऋण पर ब्याज 99-ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज	(ओ) 13,892.89 (आर) (-) 13,892.89 0.00	13,013.24	13,013.24
11.		2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 123-राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 93-लघु बचत संग्रह पर ब्याज	(ओ) 805.39 (आर) (-) 805.39 0.00	809.28	809.28

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
12.	6-वित्त	2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 89-वित्तीय पुनर्गठन/उदय योजनाओं के कारण ब्याज का भुगतान	(ओ) 2,126.85 (आर) (-) 2,126.85 0.00	2,126.85	2,126.85
13.		2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 305-ऋणों का प्रबंधन 99-नया ऋण आदि जारी करने पर व्यय	(ओ) 40.00 (आर) (-) 40.00 0.00	33.07	33.07
14.		2049-ब्याज भुगतान 03-लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज 104-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज 98-एआईएस (सीएच) पर ब्याज	(ओ) 0.20 (आर) (-) 0.20 0.00	3.22	3.22
15.		2049-ब्याज भुगतान 03-लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज 104-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज 99-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	(ओ) 1,327.57 (आर) (-) 1,327.57 0.00	1,234.02	1,234.02
16.		2049-ब्याज भुगतान 03-लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज 108-बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज 99-जी.आई.एस. पर ब्याज	(ओ) 25.00 (आर) (-) 25.00 0.00	25.00	25.00
17.		2049-ब्याज भुगतान 04-केंद्र सरकार के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज 101-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना की योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज 99-ब्लॉक ऋण	(ओ) 38.36 (आर) (-) 38.36 0.00	162.62	162.62
18.		2049-ब्याज भुगतान 04-केंद्र सरकार के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज 104-योजनेत्तर योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज 95-पुलिस-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(ओ) 1.10 (आर) (-) 1.10 0.00	1.10	1.10
19.		2049-ब्याज भुगतान 04-केंद्र सरकार के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज 109-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य योजना ऋणों पर ब्याज 99-12वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर समेकित राज्य योजना ऋण पर ब्याज	(ओ) 25.00 (आर) (-) 25.00 0.00	22.98	22.98
20.		2049-ब्याज भुगतान 05-आरक्षित निधियों पर ब्याज 101-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि में ब्याज 97-मूल्यहास आरक्षित निधि (सरकारी प्रेस)	(ओ) 1.90 (आर) (-) 1.90 0.00	1.95	1.95
21.		2049-ब्याज भुगतान 05-आरक्षित निधियों पर ब्याज 101-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि में ब्याज 98-मूल्यहास आरक्षित निधि (मोटर परिवहन)	(ओ) 54.00 (आर) (-) 54.00 0.00	58.16	58.16
22.		2049-ब्याज भुगतान 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज 101-जमा पर ब्याज 98-रेल मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए जमा पर ब्याज	(ओ) 16.00 (आर) (-) 16.00 0.00	15.57	15.57
23.		2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 101-अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते 51-एनए	(ओ) 5,221.94 (आर) 1,599.58 6,821.52	6,285.16	(-) 536.36

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
24.	6-वित्त	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 102-पेंशन का सारांशित मूल्य 51-एनए	(ओ) 1,275.00 (आर) (-) 320.16 954.84	970.65	15.81
25.		2071-पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ 01-सिविल 104-उपदान 51-एनए	(ओ) 1,099.56 (आर) (-) 96.98 1,002.58	1,236.77	234.19
26.		2071-पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ 01-सिविल 105-पारिवारिक पेंशन 51-एनए	(ओ) 714.00 (आर) 399.63 1,113.63	1,151.43	37.80
27.		2071-पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ 01-सिविल 106-उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन प्रभार 51-एनए	(ओ) 105.06 (आर) (-) 96.82 8.24	7.15	(-) 1.09
28.		2071-पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ 01-सिविल 111-विधायकों को पेंशन 99-राज्य विधानमंडल के सदस्य	(ओ) 188.19 (आर) (-) 163.67 24.52	25.88	1.36
29.		2071-पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ 01-सिविल 117-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान 99-हरियाणा विधानमंडल की परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना 99-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान	(ओ) 596.24 (एस) 868.45 (आर)(-) 534.16 930.53	939.67	9.14
30.	8-भवन एवं सड़कें	2059-लोक निर्माण 60-अन्य भवन 053-रखरखाव एवं मरम्मत 99-रखरखाव एवं मरम्मत	(ओ) 10.00 (आर) (-) 1.64 8.36	16.60	8.24
31.		2059-लोक निर्माण 80-सामान्य 053-रखरखाव एवं मरम्मत 99-रखरखाव एवं मरम्मत	(ओ) 60.00 (आर) 5.17 65.17	125.13	59.96
32.		3054-सड़कें एवं पुल 03-राज्य राजमार्गों 337-सड़क निर्माण कार्य 51-एनए	(ओ) 40.00 (आर)(-) 5.86 34.14	38.20	4.06
33.		3054-सड़कें एवं पुल 04-जिला और अन्य सभी सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 98-ग्रामीण सड़कें	(ओ) 400.00 (आर) (-) 45.11 354.89	349.37	(-) 5.52
34.		3054-सड़कें एवं पुल 04-जिला और अन्य सभी सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 99 जिला सड़कें	(ओ) 25.00 (आर) (-) 13.12 11.88	16.82	4.94
35.		4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 60-रेवाड़ी में बावल में न्यायिक परिसर का निर्माण	(ओ) 5.00 (आर) (-) 3.31 1.69	0.00	(-) 1.69

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुप्रक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
36.	8-भवन एवं सड़कें	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 61-सेक्टर 27 पिंजौर कालका में प्रशासनिक परिसर और न्यायिक परिसर कालका का निर्माण	(ओ) 0.01 (आर) 34.61 34.62	0.00	(-) 34.62
37.		4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 98-न्याय-प्रशासन	(ओ) 80.00 (आर) (-) 27.22 52.78	89.46	36.68
38.		4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 99-लोक निर्माण	(ओ) 50.00 (आर) 16.93 66.93	76.28	9.35
39.		4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 98-लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (बी एंड आर-पीएलओ-सीएपी)	(ओ) 0.00 (एस) 1,164.98 (आर)(-) 72.02 1,092.96	0.00	(-) 1,092.96
40.		4202-शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय 04-कला एवं संस्कृति 105-सार्वजनिक लाइब्रेरी 99-भवन (सार्वजनिक लाइब्रेरी)	(ओ) 20.00 (एस) 21.00 (आर) (-) 41.00 0.00	17.61	17.61
41.	9-शिक्षा	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 99-न्याय-प्रशासन	(ओ) 50.00 (आर) (-) 31.09 18.91	20.99	2.08
42.		2202-सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा 103-राजकीय महाविद्यालय और संस्थान 98-राजकीय महाविद्यालय	(ओ) 489.59 (आर) (-) 106.05 383.54	385.68	2.14
43.		4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 202-माध्यमिक शिक्षा 99-माध्यमिक विद्यालय भवन	(ओ) 180.00 (आर) (-) 11.33 168.67	170.34	1.67
44.		4202-सामान्य शिक्षा 01-सामान्य शिक्षा 203-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा 99-कॉलेज भवन	(ओ) 136.00 (आर) (-) 136.00 0.00	123.48	123.48
45.		4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03-खेल और युवा सेवाएं 101-युवा हॉस्टल 99-भवन (युवा हॉस्टल)	(ओ) 5.00 (आर)(-) 0.00 5.00	2.55	(-) 2.45
46.	13-स्वास्थ्य	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवा 110-अस्पताल और औषधालय 99-भवन	(ओ) 220.00 (एस) 100.00 (आर) (-) 0.12 319.88	341.39	21.51
47.		4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान 101-आयुर्वेद 91-सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज/अस्पताल के भवन का निर्माण	(ओ) 25.00 (आर) (-) 12.41 12.59	2.52	(-) 10.07

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
48.	16-श्रम	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 201-श्रम 96-लेबर कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण	(ओ) 0.01 (एस) 3.40 (आर)(-) 0.95 2.46	1.15	(-) 1.31
49.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास 03-प्रशिक्षण 001-निर्देशन एवं प्रशासन 92-हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना	(ओ) 10.20 (एस) 230.00 (आर) (-) 223.32 16.88	4.50	(-) 12.38
50.		4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 201-श्रम 94-औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण	(ओ) 62.67 (आर) (-) 21.94 40.73	37.10	(-) 3.63
51.	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02-समाज कल्याण 102-बाल कल्याण 99-निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता	(ओ) 330.00 (एस) 70.65 (आर) (-) 104.86 295.79	357.27	61.48
52.		2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02-समाज कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 91-निराश्रित बच्चे योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	(ओ) 95.00 (एस) 19.34 (आर) (-) 38.82 75.52	91.08	15.56
53.		2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम 102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन 96-निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता	(ओ) 1,650.00 (एस) 325.26 (आर) (-) 478.26 1,497.00	1,801.55	304.55
54.		2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम 102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन 98-वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना	(ओ) 3,330.00 (एस) 364.04 (आर) 63.93 3,757.97	4,109.68	351.71
55.		2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 98-निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता (अनुसूचित जातियां)	(ओ) 450.00 (एस) 84.31 (आर) (-) 151.92 382.39	459.48	77.09
56.		2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-अनुसूचित जाति की विधवाओं के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	(ओ) 1,100.00 (एस) 35.39 (आर) (-) 174.46 960.93	1,049.78	88.85
57.		4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 101-दिव्यांग कल्याण 98-जी.आई.बी. पानीपत (लड़के/लड़कियां)	(ओ) 1.65 (आर) (-) 1.65 0.00	2.79	2.79
58.	21-महिला एवं बाल विकास	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02-समाज कल्याण 102-बाल कल्याण 78-अपनी बेटी अपना धन का नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी (लाइली) रखा गया है	(ओ) 75.00 (एस) 78.51 (आर) (-) 40.25 113.26	115.39	2.13
59.		2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02-समाज कल्याण 102-बाल कल्याण 92-एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएँ (डब्ल्यूसीडी)	(ओ) 739.20 (एस) 35.44 (आर)(-) 62.73 711.91	597.03	(-) 114.88

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
60.	21-महिला एवं बाल विकास	2236-पोषण 02-पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण 101-विशेष पोषण कार्यक्रम 95-अनुपूरक पोषण कार्यक्रम	(ओ) 100.00 (एस) 1.00 (आर) (-) 35.99 65.01	67.27	2.26
61.		2236-पोषण 02-पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 98-अनुसूचित जातियों के लिए अनुपूरक पोषण कार्यक्रम	(ओ) 59.60 (आर)(-) 45.03 14.57	15.63	1.06
62.		2236-पोषण 80-सामान्य 102-पोषण शिक्षा और विस्तार 99-पोषण अभियान के लिए योजना	(ओ) 50.00 (एस) 24.49 (आर)(-) 62.58 11.90	8.37	(-) 3.53
63.		4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 103-महिला कल्याण 99-युवा लड़कियों/महिलाओं और परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र	(ओ) 6.86 (आर) (-) 4.02 2.84	0.30	(-) 2.54
64.	23-खाद्य एवं आपूर्ति	4408-खाद्य भंडार और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय 01-खाद्य 101-खरीद और आपूर्ति 97-पूँजी पर ब्याज	(ओ) 1,200.00 (आर) (-) 1,200.00 0.00	301.45	301.45
65.	24-सिंचाई	2700-प्रमुख सिंचाई 01-बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निर्देशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ) 29.34 (आर) (-) 2.81 26.53	1.13	(-) 25.40
66.		2700-प्रमुख सिंचाई 01-बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निर्देशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 114.85 (आर) (-) 5.15 109.70	5.15	(-) 104.55
67.		2700-प्रमुख सिंचाई 01-बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निर्देशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 4.04 (आर) (-) 1.21 2.83	0.16	(-) 2.67
68.		2700-प्रमुख सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निर्देशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ) 51.16 (आर) (-) 11.31 39.85	1.45	(-) 38.40
69.		2700-प्रमुख सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निर्देशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 457.60 (आर) (-) 25.24 432.36	16.58	(-) 415.78
70.		2700-प्रमुख सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निर्देशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 27.35 (आर) (-) 5.80 21.55	0.70	(-) 20.85
71.		2700-प्रमुख सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 101-रख-रखाव एवं मरम्मत 98-अन्य रख-रखाव व्यय	(ओ) 33.00 (आर) (-) 4.59 28.41	29.56	1.15
72.		2700-प्रमुख सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निर्देशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 68.62 (आर) (-) 12.50 56.12	15.27	(-) 40.85

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
73.	24-सिंचाई	2700-प्रमुख सिंचाई 18-गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निर्देशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 5.55 (आर) (-) 1.82 3.73	0.59	(-) 3.14
74.		2700-प्रमुख सिंचाई 18-गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निर्देशन एवं प्रशासन 93-मुख्य अभियंता	(ओ) 5.58 (आर) (-) 1.28 4.30	1.83	(-) 2.47
75.		2700-प्रमुख सिंचाई 80-सामान्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 93-मुख्य अभियंता	(ओ) 98.41 (आर) (-) 21.50 76.91	14.31	(-) 62.60
76.		2700-प्रमुख सिंचाई 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-सुधार, उन्नयन, संचालन और रख-रखाव	(ओ) 55.00 (आर) (-) 3.33 51.67	50.47	(-) 1.20
77.		4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाइनिंग 800-अन्य व्यय 97-पश्चिमी जमुना नहर (डब्ल्यू.जे.सी.) और जवाहर लाल नेहरू (जे.एल.एन.) नहर प्रणाली की क्षमता में सुधार	(ओ) 20.00 (आर) 4.07 24.07	13.27	(-) 10.80
78.		4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाइनिंग 800-अन्य व्यय 98-नहर का निर्माण-नहर नेटवर्क का पुनरुद्धार	(ओ) 200.00 (आर) 47.08 247.08	239.54	(-) 7.54
79.		4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 97-नहरों और नालों पर पुलों और संरचना का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/प्रतिस्थापन और निर्माण	(ओ) 125.00 (आर) (-) 17.57 107.43	102.20	(-) 5.23
80.		4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-सिंचाई और जल संसाधन विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईआरआर-पीएलओ-सीएपी)	(ओ) 10.00 (आर) (-) 1.50 8.50	0.00	(-) 8.50
81.		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06-पानी के समान वितरण के लिए नया माइनर 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-राज्य के अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र में जल वितरण के लिए नए माइनर सुधार हेतु योजना	(ओ) 8.00 (आर) (-) 4.29 3.71	2.31	(-) 1.40
82.		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों का सुधार	(ओ) 100.00 (आर) (-) 2.87 97.13	86.53	(-) 10.60
83.		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार 800-अन्य व्यय 98-नाबार्ड-नहर का निर्माण	(ओ) 100.00 (आर) 106.39 206.39	203.68	(-) 2.71
84.	27-कृषि	2401-फसल पालन 109-विस्तार और किसानों का प्रशिक्षण 78-कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन	(ओ) 200.00 (आर) (-) 135.78 64.22	60.79	(-) 3.43

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुप्रक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
85.	27-कृषि	2401-फसल पालन 109-विस्तार और किसानों का प्रशिक्षण 85-केंद्रीय क्षेत्र योजना विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता की योजना	(ओ) 24.00 (आर) (-) 6.04 17.96	19.22	1.26
86.		2401-फसल पालन 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 85-अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	(ओ) 8.00 (आर) (-) 7.86 0.14	1.44	1.30
87.	30-वन एवं वन्य जीवन	2406-वानिकी और वन्य जीवन 01-वानिकी 102-सामाजिक और कृषि वानिकी 78-कृषि वानिकी क्लोनल और गैर क्लोनल का विकास	(ओ) 58.00 (आर) 61.11 119.11	120.56	1.45
88.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 101-पंचायती राज 97 हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई)	(ओ) 0.00 (एस) 0.00 (आर) 2.47 2.47	0	(-) 2.47
89.		4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 101-पंचायती राज 99-दीनबंदु हरियाणा ग्राम उदय योजना	(ओ) 150.00 (आर) (-) 52.43 97.57	100.00	2.43
90.	33-सहयोग	2425-सहयोग 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता 95-दुग्ध सहकारी समितियां 9-प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां	(ओ) 2.94 (आर) (-) 2.94 0.00	2.66	2.66
91.	34-परिवहन	3055-सड़क परिवहन 201-हरियाणा रोडवेज 96-एफ-अन्य व्यय	(ओ) 82.77 (आर) (-) 82.77 0.00	79.00	79.00
92.		5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य वैमानिकी सेवाएं 102-नेविगेशन और हवाई मार्ग सेवाएं 98-हिसार में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब	(ओ) 80.00 (एस) 259.59 (आर) (-) 339.59 0.00	192.44	192.44
93.		5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य वैमानिकी सेवाएं 102-नेविगेशन और हवाई मार्ग सेवाएं 99-हवाई अड्डों का रख-रखाव	(ओ) 50.00 (आर) (-) 49.99 0.01	13.58	13.57
94.	36-गृह	2055-पुलिस 109-जिला पुलिस 99-जिला पुलिस बल	(ओ) 3,992.00 (आर) (-) 207.54 3,784.46	3,785.90	1.44
95.	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	2215-जलापूर्ति and स्वच्छता 01-जलापूर्ति 001 निदेशन एवं प्रशासन 96-कार्यकारी अभियंता एवं उनकी स्थापना-नियमित/कन्फर्म्ड मैकेनिकल स्टाफ-	(ओ) 728.73 (आर) (-) 218.63 510.10	511.35	1.25
96.		2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम 99-शहरी जल सेवाएं और सीवरेज का रख-रखाव 97-नहरी जल प्रभार	(ओ) 1.00 (आर) 0.23 1.23	3.19	1.96
97.		2215-जलापूर्ति and स्वच्छता 01-जलापूर्ति 101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम 99-शहरी जल सेवाएं और सीवरेज का रख-रखाव 98-रख-रखाव शुल्क	(ओ) 100.00 (आर) 93.61 193.61	186.90	(-) 6.71

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
98.	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम 99-शहरी जल सेवाएं और सीवरेज का रख-रखाव 99-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 250.00 (आर) 26.18 276.18	275.17	(-) 1.01
99.		2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 97-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	(ओ) 711.10 (आर) 204.70 915.80	888.18	(-) 27.62
100.		4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 101-शहरी जलापूर्ति 99-शहरी जलापूर्ति 99-जलापूर्ति आवर्धन	(ओ) 1 47.06 (आर) (-) 20.59 126.47	116.77	(-) 9.70
101.		4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जलापूर्ति 86-ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति तथा सीवरेज कार्यों के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा	(ओ) 35.00 (आर) 1.14 36.14	37.95	1.81
102.		4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जलापूर्ति 93-ग्रामीण जलापूर्ति 90-गाँव में पेयजल जलापूर्ति के अद्यतनीकरण हेतु महाग्राम योजना	(ओ) 45.00 (आर) (-) 18.62 26.38	21.55	(-) 4.83
103.		4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जलापूर्ति 93-ग्रामीण जलापूर्ति 93-नाबार्ड	(ओ) 276.00 (आर) (-) 156.52 119.48	121.94	2.46
104.		4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जलापूर्ति 93-ग्रामीण जलापूर्ति 94-जलापूर्ति आवर्धन	(ओ) 230.00 (आर) (-) 119.36 110.64	96.21	(-) 14.43
105.		4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जलापूर्ति 98-त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति 99-एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज सेंट्रल	(ओ) 213.80 (आर) 486.80 700.60	950.77	250.17
106.		4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 96-ग्रामीण जलापूर्ति के संवर्धन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	(ओ) 70.00 (आर) (-) 49.68 20.32	32.53	12.21
107.		4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 97-नाबार्ड अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	(ओ) 69.00 (आर) (-) 41.52 27.48	31.40	3.92
108.		4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02-सीवरेज एवं स्वच्छता 101-शहरी स्वच्छता सेवा 94-सीवरेज एवं स्वच्छता	(ओ) 200.50 (आर) (-) 66.08 134.42	119.78	(-) 14.64

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुप्रक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
109.	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02-सीवरेज एवं स्वच्छता 102-ग्रामीण स्वच्छता सेवा 98-ग्रामीण स्वच्छता 97-गांव में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए महाग्राम योजना	(ओ) 12.00 (आर) 29.88 41.88	49.78	7.90
110.		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 201-जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण परियोजना 98-शहरी बरसाती पानी निकासी नाले का कार्य	(ओ) 15.00 (आर) 14.56 29.56	32.77	3.21
111.	40-ऊर्जा एवं विद्युत	2801-विद्युत 80-सामान्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 98-विद्युत हेतु निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीओडब्ल्यू-पीएलओ-आरईवी)	(ओ) 0.00 (एस) 2,629.81 (आर) (-) 1,952.10 677.71	0	(-) 677.71
112.	43-जेल	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051 -निर्माण 96-जेल	(ओ) 70.00 (आर) (-) 60.00 10.00	67.60	57.60
113.		4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 97-जेल	(ओ) 30.00 (आर) (-) 29.78 0.22	10.88	10.66
		कुल	32,120.59	49,478.14	(-) 3,665.56 (+) 21,023.11

सार	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विनियोजन पर अतिरिक्त व्यय (+)	70	(+) 21,023.11
विनियोजन में से बचत (-)	43	(-) 3,665.56
कुल	113	

₹ 10 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 37, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 64, 91, 92, 93, 105, 106, 112 तथा 113	39	20,928.50
₹ 10 करोड़ से अधिक के बचत के मामले		
क्र.सं. 5, 23, 36, 39, 47, 49, 59, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 82, 99, 104, 108 तथा 111	20	3,580.79
कुल	59	

परिशिष्ट 3.3
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.4; पृष्ठ 69)

मार्च 2022 के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक	बचत/ अतिरिक्त	अभ्यर्पित की गई राशि
ऐसे मामले जिनमें वास्तविक बचतों के प्रति राशि कम अभ्यर्पित की गई थी							
राजस्व (दत्तमत)							
1	10-तकनीकी शिक्षा	678.04	36.50	714.54	636.84	-77.70	77.28
2	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	760.29	250.00	1,010.29	548.01	-462.28	450.02
3	21-महिला एवं बाल विकास	1,474.13	359.71	1,833.84	1,223.37	-610.47	498.18
4	22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	168.91	109.74	278.65	219.10	-59.55	58.79
5	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	2,030.35	442.55	2,472.90	1,856.28	-616.62	380.37
6	40-ऊर्जा एवं विद्युत	6,452.78	2,894.81	9,347.59	7,143.61	-2,203.98	1,261.27
कुल		11,564.50	4,093.31	15,657.81	11,627.21	-4,030.60	2,725.91
पूंजीगत दत्तमत							
7	8-भवन एवं सड़कें	2,035.69	1,185.98	3,221.67	2,918.74	-302.93	120.63
8	11-खेल एवं युवा कल्याण	55.00	34.12	89.12	72.76	-16.36	13.91
9	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	107.68	0.00	107.68	42.97	-64.71	60.57
10	21-महिला एवं बाल विकास	146.87	2.90	149.77	55.72	-94.05	91.51
कुल		2,345.24	1,223.00	3,568.24	3,090.19	-478.05	286.62
		13,909.74	5,316.31	19,226.05	14,717.40	-4,508.65	3,012.53
ऐसे मामले जिनमें वास्तविक बचतों के प्रति अधिक राशि अभ्यर्पित की गई थी							
राजस्व दत्तमत							
1	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद्	157.29	27.71	185.00	163.57	-21.43	52.59
2	3-सामान्य प्रशासन	456.69	108.65	565.34	469.32	-96.02	96.08
3	4-राजस्व	1,573.32	856.30	2,429.62	1,880.32	-549.30	584.67
4	5-आबकारी एवं कराधान	261.01	36.40	297.41	267.53	-29.88	29.94
5	6-वित्त	19,335.15	881.50	20,216.65	11,212.92	-9,003.73	9,264.59
6	8-भवन एवं सड़कें	1,436.72	104.50	1,541.22	1,392.61	-148.61	268.99
7	9-शिक्षा	17,162.02	139.95	17,301.97	14,473.22	-2,828.75	2,830.16
8	11-खेल एवं युवा कल्याण	372.73	116.09	488.82	266.19	-222.63	222.71
9	13-स्वास्थ्य	6,177.82	947.70	7,125.52	6,001.77	-1,123.75	1,124.27
10	16-श्रम	67.91	0.45	68.36	57.98	-10.38	10.39
11	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7,800.59	900.00	8,700.59	8,586.50	-114.09	1,013.45
12	23-खाद्य एवं आपूर्ति	665.47	392.00	1,057.47	819.98	-237.49	237.55
13	24-सिंचाई	3,066.14	15.00	3,081.14	2,034.93	-1,046.21	1,065.13
14	27-कृषि	3,301.07	587.04	3,888.11	2,603.64	-1,284.47	1,284.50
15	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	1,186.53	0.00	1,186.53	896.24	-290.29	290.36
16	30-वन एवं वन्य जीवन	655.17	165.05	820.22	528.15	-292.07	294.39
17	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	5,836.17	292.37	6,128.54	1,956.82	-4,171.72	4,171.91
18	33-सहयोग	504.21	703.45	1,207.66	447.21	-760.45	763.10
19	34-परिवहन	2,328.61	178.12	2,506.73	2,141.47	-365.26	445.62
20	36-गृह	5,605.89	1,276.11	6,882.00	5,108.90	-1,773.10	1,774.73
21	41-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	102.74	0.00	102.74	46.63	-56.11	56.56
22	42-न्याय-प्रशासन	879.00	18.00	897.00	696.56	-200.44	200.49
23	43-जेल	290.02	22.30	312.32	271.92	-40.40	40.67
कुल		79,222.27	7,768.69	86,990.96	62,324.38	-24,666.58	26,122.85
राजस्व भारित							
24	6-वित्त	19,943.42	0.00	19,943.42	18,361.60	-1,581.82	19,090.40
कुल		19,943.42	0.00	19,943.42	18,361.60	-1,581.82	19,090.40

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक	बचत/ अतिरिक्त	अभ्यर्पित की गई राशि
पूँजीगत दत्तमत							
25	4-राजस्व	205.00	0.00	205.00	159.94	-45.06	205.00
26	5-आबकारी एवं कराधान	40.00	0.00	40.00	23.10	-16.90	40.00
27	9-शिक्षा	445.91	0.00	445.91	413.82	-32.09	157.24
28	13-स्वास्थ्य	1,158.73	260.88	1,419.61	895.70	-523.91	535.24
29	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	34.65	0.00	34.65	6.31	-28.34	31.07
30	23-खाद्य एवं आपूर्ति	15,233.28	501.00	15,734.28	12,942.15	-2,792.13	3,227.80
31	24-सिंचाई	1,915.02	0.00	1,915.02	1,759.41	-155.61	338.20
32	27-कृषि	10.01	50.00	60.01	2.23	-57.78	57.79
33	34-परिवहन	396.92	259.59	656.51	265.01	-391.50	597.51
34	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	1,393.51	858.45	2,251.96	1,725.85	-526.11	766.36
35	43-जेल	100.00	0.00	100.00	78.49	-21.51	89.78
36	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,239.43	888.94	2,128.37	966.26	-1,162.11	1,162.35
कुल		22,172.46	2,818.86	24,991.32	19,238.27	-5,753.05	7,208.34
पूँजीगत भारित							
37	8-भवन एवं सड़कें	50.00	0.00	50.00	24.64	-25.36	27.87
38	24-सिंचाई	100.00	0.00	100.00	15.36	-84.64	85.25
कुल		150.00	0.00	150.00	40.00	-110.00	113.12
कुल योग		1,21,488.15	10,587.55	1,32,075.70	99,964.25	-32,111.45	52,534.31
ऐसे मामले जिनमें राशि को वास्तविक बचत के रूप में अभ्यर्पित किया गया था							
राजस्व दत्तमत							
1	1-विधान सभा	82.81	14.62	97.43	76.11	-21.32	21.32
2	12-कला एवं संस्कृति	66.28	6.65	72.93	24.10	-48.83	48.83
3	14-शहरी विकास	134.73	0.68	135.41	125.41	-10.00	10.00
4	15-स्थानीय शासन	4,101.10	4,162.58	8,263.68	4,566.88	-3,696.80	3,696.80
5	17-रोजगार	882.50	28.30	910.80	722.39	-188.41	188.41
6	19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण	522.90	26.00	548.90	396.06	-152.84	152.84
7	25-उद्योग	462.03	0.00	462.03	305.16	-156.87	156.87
8	26-खान और भू-विज्ञान	233.96	0.00	233.96	132.03	-101.93	101.93
9	29-मत्स्य पालन	124.60	0.00	124.60	73.56	-51.04	51.04
10	35-पर्यटन	79.32	2.48	81.80	51.95	-29.85	29.85
11	37-चुनाव	108.74	0.00	108.74	60.54	-48.20	48.20
12	39-सूचना एवं प्रचार	212.34	58.29	270.63	214.53	-56.10	56.10
कुल		7,011.31	4,299.60	11,310.91	6,748.72	-4,562.19	4,562.19
राजस्व भारित							
13	3-सामान्य प्रशासन	23.50	24.80	48.30	36.29	-12.01	12.01
कुल		23.50	24.80	48.30	36.29	-12.01	12.01
पूँजीगत दत्तमत							
15	7-आयोजना और सांख्यिकी	402.00	0.00	402.00	250.74	-151.26	151.26
16	14-शहरी विकास	1,000.00	1,500.00	2,500.00	2,015.28	-484.72	484.72
17	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	38.01	0.00	38.01	11.32	-26.69	26.69
18	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	150.01	0.00	150.01	100.04	-49.97	49.97
19	35-पर्यटन	33.60	42.35	75.95	19.90	-56.05	56.05
20	36-गृह	235.01	0.00	235.01	137.19	-97.82	97.82
21	39-सूचना एवं प्रचार	88.10	0.00	88.10	78.05	-10.05	10.05
22	40-ऊर्जा एवं विद्युत	763.42	0.00	763.42	10.41	-753.01	753.01
कुल		2,710.15	1,542.35	4,252.50	2,622.93	-1,629.57	1,629.57
कुल योग		9,744.96	5,866.75	15,611.71	9,407.94	-6,203.77	6,203.77
70	कुल योग	1,45,142.85	21,770.61	1,66,913.46	1,24,089.59	-42,823.87	61,751.01

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (i); पृष्ठ 70)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी, जहां प्रत्येक प्रकरण में
बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1	4-राजस्व	1,573.32	856.30	2,429.62	1,880.32	549.30
2	6-वित्त	19,335.15	881.50	20,216.65	11,212.92	9,003.73
3	8-भवन एवं सड़कें	1,436.72	104.50	1,541.22	1,392.61	148.61
4	9-शिक्षा	17,162.02	139.95	17,301.97	14,473.22	2,828.75
5	11-खेल एवं युवा कल्याण	372.73	116.09	488.82	266.19	222.63
6	13-स्वास्थ्य	6,177.82	947.70	7,125.52	6,001.77	1,123.75
7	15-स्थानीय शासन	4,101.10	4,162.58	8,263.68	4,566.88	3,696.80
8	17-रोजगार	882.50	28.30	910.80	722.39	188.41
9	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	760.29	250.00	1,010.29	548.01	462.28
10	19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण	522.90	26.00	548.90	396.06	152.84
11	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7,800.59	900.00	8,700.59	8,586.50	114.09
12	21-महिला एवं बाल विकास	1,474.13	359.71	1,833.84	1,223.37	610.47
13	23-खाद्य एवं आपूर्ति	665.47	392.00	1,057.47	819.98	237.49
14	24-सिंचाई	3,066.14	15.00	3,081.14	2,034.93	1,046.21
15	25-उद्योग	462.03	0.00	462.03	305.16	156.87
16	26-खान और भू-विज्ञान	233.96	0.00	233.96	132.03	101.93
17	27-कृषि	3,301.07	587.04	3,888.11	2,603.64	1,284.47
18	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	1,186.53	0.00	1,186.53	896.24	290.29
19	30-वन एवं वन्य जीवन	655.17	165.05	820.22	528.15	292.07
20	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	5,836.17	292.37	6,128.54	1,956.82	4,171.72
21	33-सहयोग	504.21	703.45	1,207.66	447.21	760.45
22	34-परिवहन	2,328.61	178.12	2,506.73	2,141.47	365.26
23	36-गृह	5,605.89	1,276.11	6,882.00	5,108.90	1,773.09
24	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	2,030.35	442.55	2,472.90	1,856.28	616.62
25	40-ऊर्जा एवं विद्युत	6,452.78	2,894.81	9,347.59	7,143.61	2,203.98
26	42-न्याय-प्रशासन	879.00	18.00	897.00	696.56	200.44
	कुल	94,806.65	15,737.13	1,10,543.78	77,941.22	32,602.56
राजस्व भारित						
27	6-वित्त	19,943.42	0	19,943.42	18,361.60	1,581.82
	कुल	19,943.42	0	19,943.42	18,361.60	1,581.82
पूँजीगत दत्तमत						
28	7-आयोजना और सांख्यिकी	402.00	0.00	402.00	250.74	151.26
29	8-भवन एवं सड़कें	2,035.69	1,185.98	3,221.67	2,918.74	302.93
30	13-स्वास्थ्य	1,158.73	260.88	1,419.61	895.70	523.91
31	14-शहरी विकास	1,000.00	1,500.00	2,500.00	2,015.28	484.72
32	23-खाद्य एवं आपूर्ति	15,233.28	501.00	15,734.28	12,942.15	2,792.13
33	24-सिंचाई	1,915.02	0.00	1,915.02	1,759.41	155.61
34	34-परिवहन	396.92	259.59	656.51	265.01	391.50
35	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	1,393.51	858.45	2,251.96	1,725.85	526.11
36	40-ऊर्जा एवं विद्युत	763.42	0.00	763.42	10.41	753.01
37	45-ऋण एवं अग्रिम	1,239.43	888.94	2,128.37	966.26	1,162.11
	कुल	25,538.00	5,454.84	30,992.84	23,749.55	7,243.29
पूँजीगत (भारित)						
38	लोक ऋण	28,161.19	0.00	28,161.19	25,472.96	2,688.23
	कुल	28,161.19	0.00	28,161.19	25,472.96	2,688.23
	कुल योग	1,68,449.26	21,191.97	1,89,641.23	1,45,525.33	44,115.90

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (i); पृष्ठ 70)

₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत वाली योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुपूरक	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)						
1	6-वित्त					
(i)	2048-ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोजन, 101-सिकिंग फंड्स, 99-बाजार ऋण का परिशोधन - सिकिंग फंड और जमा खातों में अंतरण (मुख्य शीर्ष 8222)	600.00	0.00	500.00	100.00	16.67
(ii)	2071-पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ, 01-सिविल, 102-पेंशन का सारांशित मूल्य, 51-एनए	1,275.00	0.00	970.65	304.35	23.87
(iii)	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, 01-सिविल, 111-राज्य के विधायकों को पेंशन, 99-राज्य विधानमंडल के सदस्य,	188.19	0.00	25.88	162.31	86.25
(iv)	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, 01-सिविल, 117-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान, 99-हरियाणा विधानमंडल की परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, 99-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में सरकारी अंशदान	596.24	868.45	939.67	525.02	35.85
(v)	2075-विविध सामान्य सेवा, 800-अन्य व्यय, 88-मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई)	823.74	0.00	1.64	822.10	99.80
(vi)	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवा, 797-आरक्षित निधि और जमा खाते से अंतरण, 99-विकास और कल्याण निधि (पूँजीगत निर्माण कार्य निधि)	8,585.00	0.00	0.00	8,585.00	100.00
2	9-शिक्षा					
(i)	2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 053-भवनों का रखरखाव, 99-सरकारी स्कूलों में विस्तार तथा बदलाव	150.00	0.00	42.02	107.98	71.99
3	13-स्वास्थ्य					
(i)	2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवा-एलोपैथी, 110-अस्पताल और औषधालय, 70-केंद्रीय वित्त आयोग के प्रशासन के मानकों का उन्नयन	142.00	0.00	0.00	142.00	100.00
(ii)	2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा-एलोपैथी, 103-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 84-एनआरएचएम के अंतर्गत सहायता अनुदान	837.00	389.00	1,112.16	113.84	9.29
(iii)	2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, 80-सामान्य, 199-अन्य गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता, 97-आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण (एबी-एचएचपीए) द्वारा कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैंसर चिकित्सा उपचार	200.00	0.00	50.00	150.00	75.00
4	15-स्थानीय शासन					
(i)	2217-शहरी विकास, 05-अन्य शहरी विकास योजना, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 98-मेरा शहर सर्वोत्तम शहर	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुपूरक	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
(ii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 92-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिका को सहायता अनुदान	1,070.00	0.00	868.77	201.23	18.81
(iii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 96-नगर निगमों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान	100.00	1,966.61	750.32	1,316.29	63.69
(iv)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 97-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निगमों को सहायता अनुदान	423.04	0.00	208.87	214.17	50.63
(v)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 87-स्मार्ट सिटी	200.00	336.00	136.00	400.00	74.63
(vi)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 88-स्वच्छ भारत मिशन	200.00	164.86	199.50	165.36	45.32
(vii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 92-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान	50.00	99.47	10.21	139.26	93.17
5	21-महिला एवं बाल विकास					
(i)	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 02-समाज कल्याण, 102-बाल कल्याण, 92-एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यूसीडी)	739.20	35.44	597.03	177.61	22.93
6	24-सिंचाई					
(i)	2700-प्रमुख सिंचाई, 80-सामान्य, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता, 96-गांव के तालाबों के विकास का नाम बदलकर तालाबों का विकास/पुनरुद्धार किया गया	802.00	0.00	128.52	673.48	83.98
(ii)	2705-कमांड एरिया डेवलपमेंट, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता, 94-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन- सीएडीए द्वारा प्रति बूंद अधिक फसल	455.33	15.00	165.47	304.86	64.82
7	27-कृषि					
(i)	2401-फसल पालन, 108-वाणिज्यिक फसलें, 79-हैफेड को मूल्य समर्थन प्रणाली के अंतर्गत जीएसटी प्लस मार्केट फीस की प्रतिपूर्ति	323.01	323.00	0.00	646.01	100.00
(ii)	2401-फसल पालन, 109-विस्तार और किसानों का प्रशिक्षण, 78-कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन	200.00	0.00	60.79	139.21	69.61
(iii)	2401-फसल पालन, 113-कृषि अभियांत्रिकी, 82-फसल अवशेष प्रबंधन योजना	200.00	106.00	15.85	290.15	94.82
8	30-वन एवं वन्य जीवन					
(i)	2406-वानिकी और वन्य जीवन, 01-वानिकी, 101-वन संरक्षण, विकास और उत्थान, 99-वन का संगठन, सुधार और विस्तार	75.00	75.00	1.73	148.27	98.85
9	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास					
(i)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 101-पंचायती राज, 89-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	100.00
(ii)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 102-सामुदायिक विकास, 93-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना	240.00	292.37	99.82	432.55	81.25
(iii)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 102-सामुदायिक विकास, 94-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई)	350.00	0.00	172.55	177.45	50.70

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुपूरक	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
(iv)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 106-ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाओं का प्रावधान, 97-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन (एसपीएमआरएम)	166.00	0.00	0.00	166.00	100.00
(v)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 106-ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाओं का प्रावधान, 99-विधायक आदर्श ग्राम योजना (बीएजीवाई)	180.20	0.00	2.18	178.02	98.79
(vi)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता, 99-पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय के भुगतान तथा जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन की योजना	467.76	0.00	153.03	314.73	67.28
(vii)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 198-ग्राम पंचायतों को सहायता, 98-केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान	1,040.00	0.00	467.50	572.50	55.05
(viii)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 87-राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता	340.00	0.00	0.00	340.00	100.00
(ix)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 97-अनुसूचित जातियों के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई)	150.00	0.00	22.88	127.12	84.75
10	33-सहयोग					
(i)	2425-सहयोग, 107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता, 85-हरियाणा कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा हरियाणा सहकारी बैंक को वसूली से जुड़े प्रोत्साहन के लिए एकमुश्त निपटान की योजना	37.00	703.45	36.66	703.79	95.05
11	40 ऊर्जा एवं विद्युत					
(i)	2801-विद्युत, 80-सामान्य, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 98-ऊर्जा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीओडब्ल्यू-पीएलओ-आरईवी)	0.00	2629.81	0.00	2,629.81	100.00
(ii)	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 83-विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एससीटी-पीएलओ-आरईवी)	0.00	265.00	0.00	265.00	100.00
	राजस्व (भारित)					
1	6-वित्त					
(i)	2049-ब्याज भुगतान, 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज, 200-अन्य आंतरिक ऋण पर ब्याज, 95-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	900.00	0.00	47.17	852.83	94.76
(ii)	2075-विविध सामान्य सेवा, 797-आरक्षित निधि/जमा खातों में/से अंतरण, 99-आरक्षित निधि और जमा खातों में गारंटी मोचन निधि अंतरण (प्रमुख शीर्ष-8235)	167.00	0.00	0.00	167.00	100.00
	पूँजीगत (दत्तमत)					
1	13-स्वास्थ्य					
(i)	4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 93-भिवानी में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य	150.00	0.00	36.35	113.65	75.77

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुपूरक	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
2	14-शहरी विकास					
(i)	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परियोजना, 60-अन्य शहरी विकास योजना, 051-निर्माण, 89-मंगल नगर विकास योजना	1,000.00	1,500.00	2,015.28	484.72	19.39
3	23-खाद्य एवं आपूर्ति					
(i)	4408-खाद्य भंडार और भंडारण पर पूंजीगत परियोजना, 01-खाद्य, 101-खरीद और आपूर्ति, 89-बाजरा की खरीद	50.00	501.00	74.50	476.50	86.48
(ii)	4408-खाद्य भंडार और भंडारण पर पूंजीगत परियोजना, 01-खाद्य, 101-खरीद और आपूर्ति, 97-पूंजी पर ब्याज	1,200.00	0.00	301.45	898.55	74.88
(iii)	4408-खाद्य भंडार और भंडारण पर पूंजीगत परियोजना, 01-खाद्य, 101-खरीद और आपूर्ति, 99-अनाज आपूर्ति योजना	13,650.00	0.00	12,119.41	1,530.59	11.21
4	24-सिंचाई					
(i)	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों का सुधार, 800-अन्य व्यय, 97-नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई	150.00	शून्य	0.00	150.00	100.00
5	34-परिवहन					
(i)	5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परियोजना, 60-अन्य वैमानिकी सेवाएं, 102-नेविगेशन और हवाई मार्ग सेवाएं, 98-हिसार में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब	80.00	259.59	192.44	147.15	43.33
(ii)	5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परियोजना, 050-भूमि और भवन, 78-हरियाणा रोडवेज डिपो	130.00	0.00	28.53	101.47	78.05
6	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति					
(i)	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परियोजना, 01-जलापूर्ति, 102-ग्रामीण जलापूर्ति, 93-ग्रामीण जलापूर्ति, 93-नाबार्ड	276.00	0.00	121.94	154.06	55.82
(ii)	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परियोजना, 01-जलापूर्ति, 102-ग्रामीण जलापूर्ति, 93-ग्रामीण जलापूर्ति, 94-जलापूर्ति आवर्धन	230.00	0.00	96.21	133.79	58.17
(iii)	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परियोजना, 01-जलापूर्ति, 800-अन्य व्यय, 96-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-सीएपी)	0.00	858.45	0.00	858.45	100.00
7	40-ऊर्जा एवं विद्युत					
(i)	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजना, 05-संचरण और वितरण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश, 96-डीएचबीएन को इक्विटी पूंजी	250.00	0.00	0.00	250.00	100.00
(ii)	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजना, 05-संचरण और वितरण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश, 97-यूएचबीएन को इक्विटी पूंजी	205.05	0.00	0.00	205.05	100.00
(iii)	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजना, 05-संचरण और वितरण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश, 99-एचवीपीएनएल को इक्विटी पूंजी	185.38	0.00	0.00	185.38	100.00

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुपूरक	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
8	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम					
(i)	6401-फसल पालन के लिए ऋण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण, 97-इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, गन्नौर, सोनीपत की स्थापना के लिए एचआईएचएमसी पंचकुला को ऋण प्रदान करने की योजना	1.00	350.00	0.00	351.00	100.00
(ii)	6408-खाद्य भंडारण के लिए ऋण, 02-भंडारण और भंडारण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण, 99-हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन को ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए ऋण (नाबार्ड) जिसका नाम बदलकर वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज कर दिया गया है	120.00	40.16	33.63	126.53	79.00
(iii)	6501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिए ऋण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण, 99-हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) को ऋण	70.00	138.78	34.79	173.99	83.34
(iv)	6860-उपभोक्ता उद्यम के लिए ऋण, 04-शुगर, 101-सहकारी चीनी मिलों को ऋण, 99-सभी सहकारी चीनी मिलों, कैथल, महम, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, जौंद, पलवल, गोहाना, शाहबाद, करनाल को ऋण का एकमुश्त निपटान	350.00	300.00	495.00	155.00	23.85
	पूर्णीगत भारित					
1	सार्वजनिक ऋण					
(i)	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 107-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण, 99-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	14,800.00	0.00	1,684.53	13,115.47	88.62
(ii)	6004-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, 02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए ऋण, 101-ब्लॉक ऋण, 51-एनए	255.15	0.00	56.52	198.63	77.85

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (ii); पृष्ठ 72)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रावधान ₹ पांच करोड़ और अधिक तथा बचत कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम	वर्ष	कुल	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन [पी-02-27-2401-51-109-78-51]	2019-20	200.00	36.69	163.31	82
		2020-21	200.00	76.36	123.64	62
		2021-22	200.00	60.79	139.21	70
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-27-2401-51-109-77-51]	2019-20	35.50	8.65	26.85	75
		2020-21	21.15	9.48	11.67	55
		2021-22	23.25	4.00	19.25	83
3.	हरियाणा राज्य में भावांतर भरपाई योजना [पी-01-27-2401-51-190-99-51]	2019-20	25.00	5.00	20.00	80
		2020-21	10.00	0.00	10.00	100
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100
4.	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-27-2401-51-789-85-51]	2019-20	8.80	0.34	8.46	96
		2020-21	8.00	0.33	7.67	96
		2021-22	8.00	1.44	6.56	82
5.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना [पी-02-27-2402-51-101-95-51]	2019-20	16.50	5.10	11.40	69
		2020-21	14.00	4.20	9.80	70
		2021-22	14.00	0.60	13.40	96
6.	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना [पी-01-28-2403-51-102-81-51]	2019-20	40.00	0.00	40.00	100
		2020-21	30.00	0.00	30.00	100
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100
7.	सूचान प्रौद्योगिकी [पी-01-23-2408-01-001-94-99]	2019-20	12.00	0.02	11.98	100
		2020-21	7.75	1.07	6.68	86
		2021-22	12.00	0.75	11.25	94
8.	वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज के लिए ऋण [पी-01-45-6408-02-190-99-51]	2019-20	18.00	0.00	18.00	100
		2020-21	150.00	27.79	122.21	81
		2021-22	160.16	33.63	126.53	79
9.	राज्य विधानमंडल के सदस्य [पी-01-06-2071-01-111-99-51]	2019-20	284.81	36.23	248.58	87
		2020-21	184.50	83.01	101.49	55
		2021-22	188.19	25.88	162.31	86
10.	स्टेशनरी कार्यालय और स्टोर [पी-01-44-2058-51-101-99-51]	2019-20	9.91	1.00	8.91	90
		2020-21	9.49	1.15	8.34	88
		2021-22	8.73	2.30	6.43	74
11.	गारंटी मोचन निधि-आरक्षित निधि और जमा खाते में अंतरण (प्रमुख शीर्ष-8235) [पी-01-06-2075-51-797-99-51]	2019-20	167.00	0.00	167.00	100
		2020-21	167.00	0.00	167.00	100
		2021-22	167.00	0.00	167.00	100
12.	मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना [पी-01-06-2075-51-800-88-51]	2019-20	1,500.00	148.65	1,351.35	90
		2020-21	900.60	383.68	516.92	57
		2021-22	823.74	1.64	822.10	100
13.	पंचकुला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आबंटित प्लॉट का भुगतान [पी-01-39-4220-60-101-97-51]	2019-20	10.00	0.00	10.00	100
		2020-21	10.00	0.00	10.00	100
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100
14.		2019-20	40.23	0.00	40.23	100
		2020-21	250.00	0.00	250.00	100

क्र. सं.	स्कीम	वर्ष	कुल	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
	पीएचसी-उच्च न्यायालय का निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (पीएचसी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-42-2014-51-102-96-51]	2021-22	31.00	0.00	31.00	100
15.	मंत्रियों, उप-मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, पीठासीन अधिकारियों और राज्य विधायकों को एचबीए अग्रिम [पी-01-45-7610-51-201-98-51]	2019-20	15.00	1.59	13.41	89
		2020-21	15.00	4.38	10.62	71
		2021-22	15.00	3.60	11.40	76
16.	शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (डीएलबी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-15-2217-80-001-91-51]	2019-20	987.00	0.00	987.00	100
		2020-21	247.40	0.00	247.40	100
		2021-22	1,511.46	0.00	1,511.46	100
17.	अग्निशमन सेवा का सुदृढीकरण [पी-01-15-2217-80-192-98-51]	2019-20	25.00	0.00	25.00	100
		2020-21	60.00	0.00	60.00	100
		2021-22	50.00	0.00	50.00	100
18.	किसी भी आपदा के कारण छोटे दुकानदारों की व्यावसायिक संपत्ति के नुकसान के मुआवजे की योजना [पी-01-15-2217-80-192-90-51]	2019-20	5.00	0.00	5.00	100
		2020-21	5.00	0.00	5.00	100
		2021-22	5.00	0.00	5.00	100
19.	दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान [पी-01-15-2217-80-789-94-51]	2019-20	50.00	22.50	27.50	55
		2020-21	35.00	15.43	19.57	56
		2021-22	35.00	1.76	33.24	95
20.	एकीकृत बंजर भूमि विकास प्रबंधन परियोजना [पी-02-32-2501-05-789-99-51]	2019-20	10.00	4.25	5.75	58
		2020-21	10.00	4.40	5.60	56
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100
21.	स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के लिए योजना [पी-01-32-2515-51-102-96-99]	2019-20	10.00	0.00	10.00	100
		2020-21	30.00	0.00	30.00	100
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100
22.	विद्युत के लिए निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (पीओडब्ल्यू-पीएलओ-आरईडब्ल्यू) [पी-01-40-2801-80-001-98-51]	2019-20	1,500.00	0.00	1,500.00	100
		2020-21	242.16	0.00	242.16	100
		2021-22	2,629.81	0.00	2,629.81	100
23.	ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एसपीवी विद्युत संयंत्र कार्यक्रम [पी-01-40-2810-51-101-99-51]	2019-20	50.00	16.02	33.98	68
		2020-21	10.00	3.71	6.29	63
		2021-22	10.00	0.38	9.62	96
24.	सोनीपत में साइंस सिटी की स्थापना [पी-01-40-5425-51-600-99-51]	2019-20	20.00	0.00	20.00	100
		2020-21	10.00	0.00	10.00	100
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100
25.	बहुउद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-24-2700-01-001-91-51]	2019-20	121.70	4.60	117.10	96
		2020-21	114.85	4.91	109.94	96
		2021-22	114.85	5.15	109.70	96
26.	बहुउद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत विशेष राजस्व [पी-01-24-2700-01-001-89-51]	2019-20	24.70	1.05	23.65	96
		2020-21	28.09	0.83	27.26	97
		2021-22	29.34	1.13	28.21	96
27.	पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता [पी-01-24-2700-02-001-92-51]	2019-20	23.55	1.58	21.97	93
		2020-21	25.90	1.12	24.78	96
		2021-22	27.35	0.70	26.65	97
28.	पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत विशेष राजस्व [पी-01-24-2700-02-001-89-51]	2019-20	46.02	3.10	42.92	93
		2020-21	45.00	2.46	42.54	95
		2021-22	51.16	1.45	49.71	97

क्र. सं.	स्कीम	वर्ष	कुल	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
29.	मुख्य अभियंता गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) [पी-01-24-2700-18-001-93-51]	2019-20	7.00	1.48	5.52	79
		2020-21	7.76	0.96	6.80	88
		2021-22	5.58	1.83	3.75	67
30.	अधीक्षण अभियंता गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) [पी-01-24-2700-18-001-92-51]	2019-20	5.96	0.61	5.35	90
		2020-21	6.50	0.45	6.05	93
		2021-22	5.55	0.59	4.96	89
31.	गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-24-2700-18-001-91-51]	2019-20	63.56	12.24	51.32	81
		2020-21	79.25	12.11	67.14	85
		2021-22	68.62	15.27	53.35	78
32.	गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत मुख्य अभियंता [पी-01-24-2700-80-001-93-51]	2019-20	50.68	11.46	39.22	77
		2020-21	63.74	11.48	52.26	82
		2021-22	98.41	14.31	84.10	85
33.	शिवालिक क्षेत्र के विकास के लिए सहायता अनुदान [पी-01-04-2705-51-102-99-51]	2019-20	15.00	3.75	11.25	75
		2020-21	12.00	3.00	9.00	75
		2021-22	12.00	3.00	9.00	75
34.	नहर (एसवाईएल) का निर्माण [पी-01-24-4700-07-800-98-51]	2019-20	100.00	0.00	100.00	100
		2020-21	100.00	0.00	100.00	100
		2021-22	100.00	4.72	95.28	95
35.	नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई [पी-01-24-4701-07-800-97-51]	2019-20	10.00	0.00	10.00	100
		2020-21	170.00	0.00	170.00	100
		2021-22	150.00	0.00	150.00	100
36.	गैर-अनुसूचित ऑपरेटर परमिट (एनएसओपी उड़ान) [पी-01-34-3053-01-190-99-98]	2019-20	10.00	0.00	10.00	100
		2020-21	10.00	0.00	10.00	100
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100
37.	परिवहन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीआरए-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-34-3055-51-001-97-51]	2019-20	50.00	0.00	50.00	100
		2020-21	5.45	0.00	5.45	100
		2021-22	204.82	0.00	204.82	100
38.	स्पेयर पार्ट्स, एयर क्राफ्ट्स और अन्य उपकरणों की खरीद [पी-01-34-5053-60-052-99-51]	2019-20	15.16	0.34	14.82	98
		2020-21	15.16	0.76	14.40	95
		2021-22	15.16	2.01	13.15	87
39.	हरियाणा रोडवेज डिपो [पी-01-34-5055-51-050-78-51]	2019-20	150.00	59.33	90.67	60
		2020-21	145.00	61.71	83.29	57
		2021-22	130.00	28.53	101.47	78
40.	बेड़े के अधिग्रहण के अंतर्गत हरियाणा रोडवेज डिपो [पी-01-34-5055-51-102-77-51]	2019-20	100.00	4.08	95.92	96
		2020-21	100.00	25.47	74.53	75
		2021-22	100.00	22.02	77.98	78
41.	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (बीएआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-08-4059-80-001-98-51]	2019-20	953.76	0.00	953.76	100
		2020-21	10.00	0.00	10.00	100
		2021-22	1,164.98	0.00	1,164.98	100
42.	उप-मंडल स्तर पर आवासीय परिसर/ट्रांजिट फ्लैटों के लिए स्वर्ण जयंती योजना [पी-01-08-4216-01-106-76-51]	2019-20	10.00	0.49	9.51	95
		2020-21	10.00	0.80	9.20	92
		2021-22	10.00	4.25	5.75	58
43.	माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-09-2202-02-001-92-51]	2019-20	30.12	0.00	30.12	100
		2020-21	10.00	0.00	10.00	100
		2021-22	45.00	0.00	45.00	100
44.	सरकारी स्कूलों में विस्तार और परिवर्तन [पी-01-09-2202-02-053-99-51]	2019-20	188.00	57.02	130.98	70
		2020-21	280.00	64.23	215.77	77
		2021-22	150.00	42.02	107.98	72

क्र. सं.	स्कीम	वर्ष	कुल	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
45.	झज्जर में एक स्वायत्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना [पी-01-09-2202-02-105-93-51]	2019-20	13.00	0.00	13.00	100
		2020-21	5.00	0.00	5.00	100
		2021-22	7.00	0.00	7.00	100
46.	कक्षा IX-XII में बीपीएल छात्रों को मासिक वजीफा [पी-01-09-2202-02-107-87-51]	2019-20	6.00	2.39	3.61	60
		2020-21	5.00	0.00	5.00	100
		2021-22	5.00	0.00	5.00	100
47.	कक्षा IX-XII में बीसी-ए के छात्रों को मासिक वजीफा [पी-01-09-2202-02-107-86-51]	2019-20	40.00	19.52	20.48	51
		2020-21	25.00	0.00	25.00	100
		2021-22	25.00	0.00	25.00	100
48.	छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना [पी-01-09-2202-02-107-81-51]	2019-20	10.00	4.58	5.42	54
		2020-21	5.00	0.56	4.44	89
		2021-22	5.00	0.69	4.31	86
49.	स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल [पी-01-13-2210-05-105-74-51]	2019-20	10.00	0.50	9.50	95
		2020-21	10.00	1.00	9.00	90
		2021-22	5.00	1.25	3.75	75
50.	नर्सिंग स्कूल/कॉलेज/एमपीएचडब्ल्यू पुरुष की स्थापना [पी-01-13-2210-05-105-71-51]	2019-20	10.00	0.61	9.39	94
		2020-21	25.00	5.26	19.74	79
		2021-22	20.00	9.52	10.48	52
51.	खाद्य एवं औषधि प्रशासन भवन का निर्माण [पी-02-13-4059-01-051-63-51]	2019-20	13.31	0.07	13.24	99
		2020-21	12.00	0.01	11.99	100
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100
52.	नल्हर में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य- भवन का निर्माण [पी-01-13-4210-03-105-90-99]	2019-20	5.00	0.00	5.00	100
		2020-21	30.00	0.17	29.83	99
		2021-22	5.00	0.00	5.00	100
53.	भिवानी में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य [पी-02-13-4210-03-105-93-51]	2019-20	100.00	0.00	100.00	100
		2020-21	165.00	0.00	165.00	100
		2021-22	150.00	36.35	113.65	76
54.	अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षा के लिए वित्तीय सहायता [पी-01-19-2225-01-277-88-51]	2019-20	10.00	3.24	6.76	68
		2020-21	19.00	5.31	13.69	72
		2021-22	20.00	0.00	20.00	100
55.	अनुसूचित जाति के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना [पी-03-19-2225-01-277-68-51]	2019-20	20.00	0.00	20.00	100
		2020-21	5.00	0.00	5.00	100
		2021-22	5.00	0.00	5.00	100
56.	मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण और हरियाणा में नशामुक्ति केंद्र की स्थापना [पी-01-20-2235-02-101-64-51]	2019-20	10.00	1.01	8.99	90
		2020-21	10.00	3.39	6.61	66
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100
57.	आतंकवादियों के साथ वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को अनुग्रह राशि [पी-01-22-2235-60-200-77-51]	2019-20	7.62	1.11	6.51	85
		2020-21	7.00	0.40	6.60	94
		2021-22	5.00	0.09	4.91	98
58.	अनुसूचित जातियों के लिए अनुपूरक पोषण कार्यक्रम [पी-02-21-2236-02-789-98-51]	2019-20	59.60	11.52	48.08	81
		2020-21	59.60	13.74	45.86	77
		2021-22	59.60	15.63	43.97	74
59.	पोषण अभियान के लिए योजना [पी-02-21-2236-80-102-99-51]	2019-20	98.00	42.91	55.09	56
		2020-21	51.99	20.48	31.51	61
		2021-22	74.49	8.37	66.12	89
60.	राजस्व के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफसीआर-पीओएल-आरईवी) [पी-01-04-2245-80-001-95-51]	2019-20	9.46	0.00	9.46	100
		2020-21	51.57	0.00	51.57	100
		2021-22	839.30	0.00	839.30	100

क्र. सं.	स्कीम	वर्ष	कुल	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
61.	निदेशालय स्वर्ण जयंती के भवन निर्माण हेतु संस्थागत प्लॉट की खरीद [पी-01-20-4235-02-101-93-51]	2019-20	15.00	0.24	14.76	98
		2020-21	5.00	0.04	4.96	99
		2021-22	5.00	0.00	5.00	100
62.	सुगम्य भारत अभियान सुगम भारत अभियान (एसआईपीडीए) [पी-03-20-4235-02-101-92-51]	2019-20	18.00	0.00	18.00	100
		2020-21	18.00	0.75	17.25	96
		2021-22	18.00	0.00	18.00	100
63.	आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण-नाबार्ड अंशदान [पी-01-21-4235-02-102-99-99]	2019-20	15.00	0.00	15.00	100
		2020-21	20.00	4.03	15.97	80
		2021-22	20.00	6.39	13.61	68
64.	आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण-राज्य अंशदान [पी-01-21-4235-02-102-99-98]	2019-20	81.00	6.42	74.58	92
		2020-21	60.00	6.70	53.30	89
		2021-22	40.00	13.19	26.81	67
65.	आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण [पी-02-21-4235-02-102-99-51]	2019-20	20.00	0.00	20.00	100
		2020-21	20.00	2.06	17.94	90
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100
66.	आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण [पी-01-21-4235-02-789-99-51]	2019-20	15.67	1.51	14.16	90
		2020-21	15.00	0.50	14.50	97
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100
67.	हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना [पी-01-18-2230-03-001-92-51]	2019-20	17.00	3.40	13.60	80
		2020-21	10.20	4.50	5.70	56
		2021-22	240.20	4.50	235.70	98
68.	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईटीवी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-18-2230-03-001-90-51]	2019-20	140.00	0.00	140.00	100
		2020-21	50.00	0.00	50.00	100
		2021-22	39.00	0.00	39.00	100
69.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-38-2215-01-001-89-51]	2019-20	16.06	0.00	16.06	100
		2020-21	365.18	0.00	365.18	100
		2021-22	443.55	0.00	443.55	100
70.	पुलिस के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) - (पीओएल-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-36-2055-51-001-97-51]	2019-20	100.00	0.00	100.00	100
		2020-21	95.00	0.19	94.81	100
		2021-22	1,277.11	0.00	1,277.11	100
71.	जेल का आधुनिकीकरण [पी-01-43-2056-51-800-99-51]	2019-20	35.00	2.05	32.95	94
		2020-21	27.29	7.81	19.48	71
		2021-22	25.01	7.78	17.23	69

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3; पृष्ठ 76)

योजना निष्पादन से जुड़ा परिव्यय का विवरण जिसमें व्यय शून्य था

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम	बजट प्रावधान	अनुपूरक	कुल	बचत
1-विधान सभा					
1	एचवीएस-हरियाणा विधान सभा का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एचवीएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-01-2011-02-103-97-51]	0.50	13.96	14.46	-14.46
2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद्					
2	आरजेबी-हरियाणा राज भवन का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आरजेबी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-02-2012-03-090-97-51]	0.10	0.00	0.10	-0.10
3	सीएसई-मुख्य सचिवालय स्थापना का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (सीएसई-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-02-2013-51-800-97-51]	0.50	0.00	0.50	-0.50
3-सामान्य प्रशासन					
4	मुख्य सचिव कार्यालय/स्थापना के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (सीएसई-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-03-2052-51-090-90-51]	2.00	0.00	2.00	-2.00
5	मुख्य सचिव कार्यालय/स्थापना के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (सीएसई-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-03-2052-51-090-90-51] भागित	1.00	0.00	1.00	-1.00
4-राजस्व					
6	राजस्व के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफसीआर-पीओएल-आरईवी) [पी-01-04-2245-80-001-95-51]	0.00*	839.30	839.30	-839.30
6-वित्त					
7	टीएए-खजाना और लेखा का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीएए-पीएलओ-आरईवी) [पी-06-2054-51-095-95-51]	0.01	0.00	0.01	-0.01
8-भवन एवं सड़कें					
8	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (बीएआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-08-4059-80-001-98-51]	0.00	1,164.98	1,164.98	-1,164.98
9	पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (बीएआर-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-08-2059-80-001-87-51]	0.00	104.50	104.50	-104.50
9-शिक्षा					
10	माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-09-2202-02-001-92-51]	45.00	0.00	45.00	-45.00
11	उच्च शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-09-2202-03-001-96-51]	2.00	0.00	2.00	-2.00
12	ईडीएस शिक्षा (माध्यमिक) का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएस-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-09-4202-01-202-96-51]	9.91	0.00	9.91	-9.91
10-तकनीकी शिक्षा					
13	तकनीकी शिक्षा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीडीडी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-10-2203-51-001-89-51]	0.00 ¹	0.00	0.00	0.00

1 राशि मात्र ₹ 1,000 है।

क्र.सं.	स्कीम	बजट प्रावधान	अनुपूरक	कुल	बचत
13-स्वास्थ्य					
14	स्वास्थ्य विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-13-2210-01-001-92-51]	0.00 ¹	0.00	0.00	0.00
15	आयुष विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-13-2210-02-101-89-51]	0.00 [*]	0.00	0.00	0.00
16	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-13-2210-05-105-72-51]	0.00	376.28	376.28	-376.28
17	खद्य और औषधि प्रशासन हरियाणा के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-13-2210-06-104-97-51]	0.00 [*]	1.92	1.92	-1.92
18	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-13-2210-03-105-86-51]	200.00	160.88	360.88	-360.88
15-स्थानीय शासन					
19	शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-15-2217-80-001-91-51]	10.00	1,501.46	1,511.46	-1,511.46
20	डीएलबी-निदेशक शहरी स्थानीय निकाय के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-15-2217-80-001-98-51]	0.00	0.00 [*]	0.00	0.00
16-श्रम					
21	एलएबी-श्रम का निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-16-2230-01-001-94-51]	0.00	0.45	0.45	-0.45
17-रोजगार					
22	रोजगार के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-17-2230-02-001-97-51]	0.00	28.30	28.30	-28.30
18-औद्योगिक प्रशिक्षण					
23	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-18-2230-03-001-90-51]	30.00	9.00	39.00	-39.00
24-सिंचाई					
24	सिंचाई और जल संसाधन विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-24-4700-80-800-98-51]	10.00	0.00	10.00	-10.00
27-कृषि					
25	कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-27-2401-51-001-94-51]	0.01	0.00	0.01	-0.01
28-पशुपालन एवं डेयरी विकास					
26	पशु पालन के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-28-2403-51-001-92-51]	0.01	0.00	0.01	-0.01
27	पशु पालन के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-28-4403-51-101-98-51]	0.01	0.00	0.01	-0.01
29-मत्स्य पालन					
28	मत्स्य पालन के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-29-2405-51-001-95-51]	0.01	0.00	0.01	-0.01
30-वन एवं वन्य जीवन					
29	वन के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-30-2406-01-001-94-51]	24.00	58.70	82.70	-82.70
31-पारिस्थितिकी और पर्यावरण					
30	ईएनवी-पर्यावरण के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-31-3435-03-001-96-51]	0.00	1.71	1.71	-1.71
32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास					
31	ग्रामीण विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-32-2501-03-001-97-51]	0.01	0.00	0.01	-0.01
32	विकास और पंचायत के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) [पी-01-32-2515-51-001-96-51]	0.01	0.00	0.01	-0.01

क्र.सं.	स्कीम	बजट प्रावधान	अनुपूरक	कुल	बचत
33	विकास और पंचायत विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-32-4515-51-101-98-51]	0.01	0.00	0.01	0.03
34-परिवहन					
34	परिवहन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीआरए-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-34-3055-51-001-97-51]	26.70	178.12	204.82	-204.82
35-पर्यटन					
35	पर्यटन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीओआर-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-35-3452-80-001-96-51]	20.00	2.48	22.48	-22.48
36	पर्यटन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीओआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-35-5452-80-800-86-51]	0.00	42.35	42.35	-42.35
36-ग्रह					
37	पुलिस के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) - (पीओएल-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-36-2055-51-001-97-51]	1.00	1,276.11	1,277.11	-1,277.11
38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति					
38	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-38-2215-01-001-89-51]	1.00	442.55	443.55	-443.55
39	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-38-4215-01-800-96-51]	0.00	858.45	858.45	-858.45
39-सूचना एवं प्रचार					
40	लोक संपर्क विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूआर-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-39-2220-01-001-97-51]	5.00	0.00	5.00	-5.00
40-ऊर्जा एवं विद्युत					
41	ऊर्जा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीओडब्ल्यू-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-40-2801-80-001-98-51]	0.00	2,629.81	2,629.81	-2,629.81
42	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एससीटी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-40-3425-60-001-83-51]	0.00	265.00	265.00	-265.00
42-न्याय-प्रशासन					
43	पीएचसी-उच्च न्यायालय का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीएचसी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-42-2014-51-102-96-51]	21.00	10.00	31.00	-31.00
43-जेल					
44	पीआरआई-जेल का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीआरआई-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-43-2056-51-001-97-51]	0.20	22.30	22.50	-22.50
				कुल	
				409.99	9,988.61
				10,398.60	-10,398.60

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4; पृष्ठ 76)

वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाले विवरण जहां व्यय
₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2022 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	3-सामान्य प्रशासन	2051-लोक सेवा आयोग	188.87	95.36	51	33.13	18
2.		4047-अन्य राजकोषीय सेवा पर पूंजीगत परिव्यय	10.10	10.10	100	0.00	0
3.		4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	32.50	20.00	62	20.00	62
4.	4-राजस्व	2030-स्टाम्प्स एवं पंजीकरण	21.69	15.90	73	9.96	46
5.	6-वित्त	2048-ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोजन	500.00	500.00	100	500.00	100
6.	7-आयोजना और सांख्यिकी	3451-सचिवालय-आर्थिक सेवा	90.83	76.17	84	1.56	2
7.		5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवा पर पूंजीगत परिव्यय	250.74	208.59	83	160.00	64
8.	8-भवन एवं सड़कें	3054-सड़कें एवं पुल	866.40	548.50	63	502.03	58
9.		4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	166.86	101.33	61	92.86	56
10.	14-शहरी विकास	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	2,015.28	1,015.28	51	994.48	49
11.	15-स्थानीय शासन	2070-अन्य प्रशासनिक सेवा	13.01	11.25	86	10.05	77
12.	21-महिला एवं बाल विकास	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	55.72	34.82	62	4.81	9
13.	22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	219.10	140.74	64	8.95	4
14.	24-सिंचाई	2701-मध्यम सिंचाई	216.53	196.92	91	186.78	86
15.		4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	962.27	545.50	57	436.14	45
16.		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	524.66	316.32	60	266.59	51
17.	25-उद्योग	4851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	14.53	12.02	83	0.00	0
18.	26-खान और भू-विज्ञान	2853-अलौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग	109.91	58.24	53	3.83	3
19.	30-वन एवं वन्य जीवन	2402-मृदा और जल संरक्षण	33.04	17.54	53	8.72	26
20.	33-सहयोग	4425-सहयोग पर पूंजीगत परिव्यय	112.12	97.85	87	62.05	55
21.	35-पर्यटन	3452-पर्यटन	51.95	28.10	54	15.78	30
22.	36-गृह	2070-अन्य प्रशासनिक सेवा	44.23	22.61	51	7.71	17
23.	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	32.77	23.93	73	23.69	72
24.	40-ऊर्जा एवं विद्युत	2801-विद्युत	6,749.31	4,300.99	64	3,538.11	52
		कुल	13,282.42	8,398.06	63	6,887.23	52

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.1.2 (iii); पृष्ठ 79)

अनुदान संख्या 6-वित्त-संपूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	बजट	अप्रयुक्त अनुदान
1	2075-797-99-गारंटी रिडंप्शन फंड	167.00	167.00
2	2235-60-105-99-मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना	0.50	0.50
3	3475-115-98-ई-मित्र किसान वित्तीय सेवा योजना	30.00	30.00
4	3475-115-99-हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड को सहायता अनुदान	0.05	0.05
5	3475-797-99 विकास और कल्याण निधि (पूँजीगत निर्माण कार्य निधि)	8,585.00	8,585.00
6	3475-800-97-96-आत्म निर्भर योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के लिए ऋण के ब्याज सबवेंशन का भुगतान	0.03	0.03
7	3475-800-98-उच्च शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी	0.03	0.03
8	4059-01-051-60-वित्त भवन का निर्माण	10.00	10.00
9	4059-60-051-72-खजाना और लेखा प्रशासन	0.32	0.32
	कुल	8,792.93	8,792.93

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.1.2 (iv); पृष्ठ 80)

पुनर्विनियोग आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रमुख शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि
1	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवा	8,615.44	0.39	(-) 8,615.15
2	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.50	0	(-) 0.50
3	2075-विविध सामान्य सेवा	990.74	1.64	(-) 989.10
4	2071-पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	9,200.00	10,616.71	787.41
5	2054-खजाना और लेखा प्रशासन	93.48	92.36	(-) 14.07
6	2047-अन्य राजकोषीय सेवा	1.99	1.82	(-) 0.18
7	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	10.32	0	(-) 10.32
8	4885-उद्योग और खनिज पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	8.00	8.00
9	2049-ब्याज भुगतान	19,776.42	18,361.60	(-) 18,923.40
10	2048-ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग	600.00	500.00	(-) 600.00
कुल		39,288.89	29,582.52	(-) 28,357.31

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2.3 (ii); पृष्ठ 82)

अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के अंतर्गत अभ्यर्पित किए गए संपूर्ण प्रावधान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	स्वास्थ्य योजना	मूल बजट (ओ)	अनुपूरक प्रावधान (एस)	कुल प्रावधान (ओ+एस)	पुनर्विनियोग
1	पी-01-13-2210-01-001-92-51-आर-वी-स्वास्थ्य विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (डीएचएस-पीएलओ-आईवी)	1,000	0	1,000	-1,000
2	पी-01-13-2210-01-001-93-51-आर-वी-स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण (एचजीआरए) की सिफारिश का कार्यान्वयन	1,00,000	0	1,00,000	-1,00,000
3	पी-01-13-2210-01-110-43-51-आर-वी- एनपीसीडीसीएस (कैसर और स्टूक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) और एनपीएचसीई (बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) का कार्यान्वयन	1,00,000	0	1,00,000	-1,00,000
4	पी-01-13-2210-01-110-70-51-एन-वी-केंद्रीय वित्त आयोग प्रशासन के मानकों का उन्नयन	1,42,00,00,000	0	1,42,00,00,000	-1,42,00,00,000
5	पी-01-13-2210-02-101-89-51-आयुष विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (एआईयू-पीएलओ-आईवी)	1,000	0	1,000	-1,000
6	पी-01-13-2210-02-101-90-51-आयुष द्वारा हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण (एचजीआरए) की सिफारिश का कार्यान्वयन	1,000	0	1,000	-1,000
7	पी-01-13-2210-03-792-51-आर-वी-अपूर्णय ऋण बढ़ते खाते में डालना	1,000	0	1,000	-1,000
8	पी-01-13-2210-05-105-72-51-आर-वी-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-आईवी)	0	3,76,28,02,000	3,76,28,02,000	-3,76,28,02,000
9	पी-01-13-2210-06-104-97-51-खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा के लिए निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (आर-वी-एफडीए-पीएलओ-आईवी)	1,000	1,91,50,000	1,91,51,000	-1,91,51,000
10	पी-01-13-2210-80-800-96-51-एन-वी-सिविल पंजीकरण प्रणाली का सुदृढीकरण	1,00,000	0	1,00,000	-1,00,000
11	पी-01-13-2210-80-800-97-51-एन-वी-मुख्य पंजीकृत मृत्यु एवं जन्म के कार्यालय का सुदृढीकरण	1,00,000	0	1,00,000	-1,00,000
12	पी-03-13-4210-03-101-90-51-एन-वी-स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत भवन का निर्माण	7,00,00,000	0	7,00,00,000	-7,00,00,000
13	पी-03-13-4210-03-105-82-51-एन-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज, यमुनानगर का निर्माण	1,00,000	0	1,00,000	-1,00,000
14	पी-03-13-4210-03-105-83-51-एन-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज, कैथल का निर्माण	1,00,000	0	1,00,000	-1,00,000
15	पी-03-13-4210-03-105-84-51-एन-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज, सिरसा का निर्माण	1,00,000	0	1,00,000	-1,00,000
16	पी-03-13-4210-03-105-86-51-एन-वी-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परित्यय (एमईआर-पीएलओ-सीएपी)	2,00,00,00,000	1,60,88,00,000	3,60,88,00,000	-3,60,88,00,000
17	पी-03-13-4210-04-105-87-51-एन-वी-एआईआईएमएस, मनेठी (रेवाड़ी) का निर्माण कार्य	50,00,00,000	0	50,00,00,000	-50,00,00,000
18	पी-03-13-4210-04-105-90-99-एन-वी-डेंटल कॉलेज, नत्सर का निर्माण कार्य	5,00,00,000	0	5,00,00,000	-5,00,00,000
19	पी-03-13-4210-04-107-99-51-एन-वी-राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	2,00,00,000	0	2,00,00,000	-2,00,00,000
20	4059-01-051-63 खाद्य एवं औषधि प्रशासन भवन का निर्माण	10,00,00,000	0	10,00,00,000	-10,00,00,000
21	4059-01-051-65 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय हरियाणा (पंचकुला) का निर्माण कार्य	10,00,00,000	0	10,00,00,000	-10,00,00,000
	कुल	4,26,07,05,000	5,39,07,52,000	9,65,14,57,000	-9,65,14,57,000

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2.3 (ii); पृष्ठ 83)

बचत के विवरण जो वर्ष 2021-22 के लिए अभ्यर्पित नहीं की गई थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	यूनिट का नाम	डीडीओ कोड	लेखा का प्रमुख शीर्ष	आबंटित बजट	किया गया व्यय	शेष राशि	शेष राशि की प्रतिशतता
1	निदेशक/एसएओ चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान हरियाणा, पंचकुला	1163	2210 एवं 4210	1,368.92	1,180.72	188.20	14
2	निदेशक/एसएमओ कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल	1203	2210	165.03	140.46	24.57	15
3	निदेशक सामान्य स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा, पंचकुला	1342	2211	4.18	4.18	0.00	0
4	निदेशक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, छँसा, फरीदाबाद	1148	2210 एवं 4210	87.40	57.72	29.68	34
5	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सरकारी सिविल अस्पताल, सेक्टर 6, पंचकुला	1149	2210	48.42	48.11	0.31	1
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिवानी	1152	2210	28.99	24.12	4.87	17
7	सिविल सर्जन, कुरुक्षेत्र	1152	2210	17.99	17.51	0.48	3
8	चिकित्सा अधीक्षक/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामान्य/सिविल अस्पताल, पानीपत	1153	2210 एवं 2211	20.49	20.43	0.06	0
9	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घरौंडा	1149	2210 एवं 2211	8.88	8.77	0.11	1
10	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रतिया	1149	2210 एवं 2211	9.50	9.48	0.02	0
11	बजट अधिकारी, निदेशक सामान्य, स्वास्थ्य सेवा	1142	2210	2,360.20	2,063.34	296.86	13
कुल योग				4,120.00	3,574.84	545.16	13

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2.3 (iii); पृष्ठ 84)

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान प्रदान की गई योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	व्यय प्रतिशतता
1	पी-01-13-2210-01-110-96-51-एन-वी-विभिन्न स्थानीय संस्थाओं का सुधार और विस्तार के रूप में नामित अस्पताल का सुधार और विस्तार	203.00	10.00	196.08	96.59
2	पी-02-13-2210-01-200-98-51-एन-वी-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	42.00	10.00	41.13	97.93
3	पी-01-13-2210-05-105-72-51-आर-वी-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-आरईवी)	0.00	376.28	0.00	0.00
4	पी-01-13-2210-06-104-97-51-आर-वी-खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफडीए-पीएलओ-आरईवी)	0.00	1.92	0.00	0.00
5	पी-03-13-4210-03-105-86-51-एन-वी-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-आरईवी)	200.00	160.88	0.00	0.00
	कुल	445.00	559.08	237.21	53.30

परिशिष्ट 3.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2.3 (v); पृष्ठ 84)

31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई राशि के विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	स्वास्थ्य योजना	बचत राशि	अतिरिक्त राशि	अभ्यर्पित राशि
1	पी-01-13-2210-01-001-92-51-आर-वी-स्वास्थ्य विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीएचएस-पीएलओ-आरईवी)	1,000	0	1,000
2	पी-01-13-2210-01-001-93-51-आर-वी-स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरियाणा शसन सुधार प्राधिकरण (एचजीआरए) की सिफारिश का कार्यान्वयन	1,00,000	0	1,00,000
3	पी-01-13-2210-01-001-98-51-आर-वी-जिला स्टाफ - सिलिल सर्जनों के लिए स्टाफ की निरंतरता	1,35,88,391	3,31,61,512	-1,95,73,121
4	पी-01-13-2210-01-001-99-51-आर-सी-मुख्यालय स्टाफ - स्वास्थ्य निदेशालय का सुधार और सुदृढीकरण	14,42,000	0	14,42,000
5	पी-01-13-2210-01-001-99-51-आर-वी-मुख्यालय स्टाफ - स्वास्थ्य निदेशालय का सुधार और सुदृढीकरण	22,68,479	6,89,73,917	-6,67,05,438
6	पी-01-13-2210-01-102-98-98-जिला स्टाफ-स्थापना व्यय	36,65,93,934	8,28,14,990	28,37,78,944
7	पी-01-13-2210-01-102-99-मुख्यालय स्टाफ	1,31,70,239	15,48,494	1,16,21,745
8	पी-01-13-2210-01-110-38-99-एन-वी-मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना - सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत	13,50,00,000	0	13,50,00,000
9	पी-01-13-2210-01-110-46-51-एन-वी-सहायक सेवा की आउटसोर्सिंग	0	25,74,49,789	-25,74,49,789
10	पी-01-13-2210-01-110-49-51-आर-वी-शहरी अस्पताल और औषधालय का सुदृढीकरण	1,08,22,56,334	39,38,11,994	68,84,44,340
11	पी-01-13-2210-01-110-64-51-एन-वी-हरियाणा रक्त आधान परिषद को सहायता अनुदान जिसका नाम बदलकर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को सहायता अनुदान कर दिया गया है	1,59,18,000	0	1,59,18,000
12	पी-01-13-2210-01-110-65-51-एन-वी-देवी रूपक राष्ट्रीय उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना	23,20,824	0	23,20,824
13	पी-01-13-2210-01-110-96-51-एन-वी-विभिन्न स्थानीय संस्थाओं का सुधार और विस्तार के रूप में नामित अस्पताल का सुधार और विस्तार	16,92,37,303	0	16,92,37,303
14	पी-01-13-2210-02-101-89-51-आयुष विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एवाईओ-पीओएलओ-आरईवी)	1,000	0	1,000
15	पी-01-13-2210-02-101-90-51-आयुष विभाग द्वारा हरियाणा शसन सुधार प्राधिकरण (एचजीआरए) की सिफारिश का कार्यान्वयन	1,000	0	1,000
16	पी-01-13-2210-02-101-92-98-जिला आयुर्वेद कार्यालयों का सुदृढीकरण-स्थापना व्यय	6,20,08,553	16,03,818	6,04,04,735
17	पी-01-13-2210-02-101-93-51-मुख्यालय में आयुष निदेशालय का सुदृढीकरण	1,89,72,320	34,31,951	1,55,40,369
18	पी-01-13-2210-02-101-93-51-मुख्यालय में आयुष निदेशालय का सुदृढीकरण	30,00,000	0	30,00,000
19	पी-01-13-2210-02-102-99-51-होम्योपैथिक औषधालयों का उदघाटन/निरंतरता	27,05,655	0	27,05,655
20	पी-01-13-2210-03-110-99-51-आर-वी-ग्रामीण अस्पताल और औषधालय जारी रखना जिसका नाम बदलकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कर दिया गया है	38,81,48,505	14,33,52,676	24,47,95,829
21	पी-01-13-2210-03-789-99-51-एन-वी-अनुसूचित जाति के लिए जननी सुरक्षा योजना	1,37,70,000	0	1,37,70,000
22	पी-01-13-2210-03-792-51-51-आर-वी-अपूर्णाय ऋण बढ़ते खाते में डालना	1,000	0	1,000
23	पी-01-13-2210-04-101-86-51-आर-वी-आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक औषधालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सुदृढीकरण और महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के लिए विशेष चिकित्सा	18,46,10,081	6,14,84,499	12,31,25,582
24	पी-01-13-2210-04-101-90-51-आर-वी-मौलों में चिकित्सा शिविरों के माध्यम से आईएसएम और एच के माध्यम से जागरूकता	1,12,48,812	0	1,12,48,812

क्र.सं.	स्वास्थ्य योजना	बचत राशि	अतिरिक्त राशि	अभ्यर्पित राशि
25	पी-01-13-2210-04-101-94-51-आर-वी-विभिन्न संस्थानों/ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान	2,36,85,700	0	2,36,85,700
26	पी-01-13-2210-04-102-97-51-आर-वी-होम्योपैथिक औषधालय का सतत संचालन	1,65,79,765	0	1,65,79,765
27	पी-01-13-2210-04-103-98-51-आर-वी-यूनानी	84,74,448	24,22,548	60,51,900
28	पी-01-13-2210-05-101-86-51-आर-वी-श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुक्षेत्र	3,54,25,000	0	3,54,25,000
29	पी-01-13-2210-05-101-88-51-आर-वी-सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज/सरकारी आयुर्वेदिक फार्मसी/औषध परीक्षण प्रयोगशाला, कुक्षेत्र और आईएसएम एंड आर संस्थान, पंचकुला की निरंतरता/सुधार	2,47,72,303	23,24,084	2,24,48,219
30	पी-01-13-2210-05-101-89-51-आर-वी-श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज कुक्षेत्र और आईएसएम एंड आर संस्थान, पंचकुला का सुदृढीकरण/सुधार	4,36,38,266	0	4,36,38,266
31	पी-01-13-2210-05-105-70-51-आर-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज, छैसा (फरीदाबाद) की स्थापना	21,83,41,719	8,85,55,927	12,97,85,792
32	पी-01-13-2210-05-105-71-51-आर-वी-नर्सिंग स्कूल/कॉलेज/एमपीएचडब्ल्यू मेल की स्थापना	11,09,02,539	61,39,472	10,47,63,067
33	पी-01-13-2210-05-105-72-51-आर-वी-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-आरईवी)	3,76,28,02,000	0	3,76,28,02,000
34	पी-01-13-2210-05-105-74-51-आर-वी-स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल	3,75,00,000	0	3,75,00,000
35	पी-01-13-2210-05-105-76-95-51-आर-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज, छैसा (फरीदाबाद)	1,85,28,046	0	1,85,28,046
36	पी-01-13-2210-05-105-76-96-51-आर-वी-बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां, सोनीपत	1,61,08,931	0	1,61,08,931
37	पी-01-13-2210-05-105-76-98-51-आर-वी-एसएचएएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नल्हर, मेवात	0	3,74,61,454	-3,74,61,454
38	पी-01-13-2210-05-105-76-99-51-आर-वी-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना-कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल	0	8,71,66,306	-8,71,66,306
39	पी-01-13-2210-05-105-78-51-आर-वी-कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, करनाल की स्थापना	6,47,16,543	23,21,69,995	-16,74,53,452
40	पी-01-13-2210-05-105-81-51-आर-वी-मेवात मेडिकल कॉलेज, नल्हर की स्थापना	16,67,91,066	37,25,49,534	-20,57,58,468
41	पी-01-13-2210-05-105-82-51-आर-वी-बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां (सोनीपत) की स्थापना	5,87,76,254	3,73,14,470	2,14,61,784
42	पी-01-13-2210-05-105-83-51-आर-वी-स्थापना कार्यालय निदेशक, शोध एवं चिकित्सा शिक्षा, हरियाणा	2,47,92,184	45,33,767	2,02,58,417
43	पी-01-13-2210-05-105-94-51-आर-वी-महाराजा अग्रसेन चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अयोहा	0	5,74,70,661	-5,74,70,661
44	पी-01-13-2210-06-101-99-51-आर-वी-मलेरिया	18,13,45,692	12,15,26,106	5,98,19,586
45	पी-01-13-2210-06-102-99-51-आर-वी-सार्वजनिक विशेषक और खाद्य निरीक्षक	4,70,714	1,51,67,156	-1,46,96,442
46	पी-01-13-2210-06-104-45-51-आर-वी-खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की स्थापना	27,47,832	68,05,505	-40,57,673
47	पी-01-13-2210-06-104-97-51-आर-वी-खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफडीए-पीएलओ-आरईवी)	1,91,51,000	0	1,91,51,000
48	पी-01-13-2210-06-104-98-51-आर-वी-ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम	74,39,308	35,27,121	39,12,187
49	पी-01-13-2210-06-107-99-51-आर-वी-प्रयोगशालाएं	88,46,501	18,87,546	69,58,955
50	पी-01-13-2210-80-199-97-51-आर-वी-आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण (एबी-एचपीए) द्वारा कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैंसर चिकित्सा उपचार	1,50,00,00,000	0	1,50,00,00,000
51	पी-01-13-2210-80-199-98-99-एन-वी-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन - अश्वोरिंग टोटल एनीमिया लिमिट (एटीएएल) अभियान जिसका नाम बदलकर	94,41,00,000	0	94,41,00,000

क्र.सं.	अटल स्वास्थ्य अभियान कर दिया गया है	स्वास्थ्य योजना	बचत राशि	अतिरिक्त राशि	अभ्यर्पित राशि
52	पी-01-13-2210-80-800-96-51-एन-वी-सिविल पंजीकरण प्रणाली का सुदृढीकरण		1,00,000	0	1,00,000
53	पी-02-13-2210-01-110-43-51-एन-वी-एनपीसीडीसीएस (कैंसर और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) और एनपीएचसीई (बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) का कार्यान्वयन		1,00,000	0	1,00,000
54	पी-02-13-2210-01-200-98-51-एन-वी-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन		10,87,00,000	0	10,87,00,000
55	पी-02-13-2210-03-103-84-51-एन-वी-एनआरएचएम के अंतर्गत सहायता अनुदान		1,13,84,11,201	0	1,13,84,11,201
56	पी-02-13-2210-04-101-81-51-एन-वी-राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए राज्य आयुष सोसायटी, हरियाणा को सहायता अनुदान		38,70,49,600	0	38,70,49,600
57	पी-03-13-2210-01-110-70-51-एन-वी-प्रशासन केंद्रीय वित्त आयोग के मानकों का उन्नयन		1,42,00,00,000	0	1,42,00,00,000
58	पी-03-13-2210-06-101-86-51-एन-वी-राष्ट्रीय घंघा नियंत्रण कार्यक्रम		1,35,000	0	1,35,000
59	पी-03-13-2210-80-800-97-51-एन-वी-मुख्य रजिस्ट्रार मृत्यु एवं जन्म के कार्यालय का सुदृढीकरण		1,00,000	0	1,00,000
	कुल		12,83,68,95,042	2,12,46,55,292	10,71,22,39,750
	बचत भारित		-14,42,000		-14,42,000
	कुल योग दत्तमत बचत 2210		12,83,54,53,042		10,71,07,97,750
4210 शीर्ष					
1	पी-01-13-4210-01-110-99-51-एन-वी-भवन जिसका नाम बदलकर इंप्रोस्ट्रक्चर/प्रशासनिक व्यय कर दिया गया है		12,48,111	0	12,48,111
2	पी-01-13-4210-03-101-90-51-एन-वी-स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत भवन का निर्माण		7,00,00,000	0	7,00,00,000
3	पी-01-13-4210-03-101-91-51-एन-वी-सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालयों/अस्पतालों के भवनों का निर्माण		12,40,66,422	0	12,40,66,422
4	पी-01-13-4210-03-101-92-51-एन-वी-सरकारी आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक औषधालयों के भवन का निर्माण/मरम्मत		6,36,07,069	0	6,36,07,069
5	पी-01-13-4210-03-101-98-51-एन-वी-आईएसएम एंड आर पंचकुला के सरकारी संस्थान और संस्थान के परिसर में आयुर्वेद निदेशालय के भवन का निर्माण		44,91,118	0	44,91,118
6	पी-01-13-4210-03-105-85-51-एन-वी-सरकारी मेडिकल कॉलेज, छँसा (फरीदाबाद) की स्थापना		0	10,54,63,600	-10,54,63,600
7	पी-01-13-4210-03-105-86-51-एन-वी-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-सीएपी)		3,60,88,00,000	0	3,60,88,00,000
8	पी-01-13-4210-03-105-87-51-एन-वी-एम्स, मनेठी (रेवाड़ी) का निर्माण कार्य		50,00,00,000	0	50,00,00,000
9	पी-01-13-4210-03-105-88-51-एन-वी-सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, महेन्द्रगढ़ (नारनौल)		90,00,00,000	0	90,00,00,000
10	पी-01-13-4210-03-105-90-99-एन-वी-डेंटल कॉलेज, नल्हर का निर्माण कार्य- भवन निर्माण		5,00,00,000	0	5,00,00,000
11	पी-01-13-4210-03-105-92-99-एन-वी-स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल का निर्माण कार्य-भवन का निर्माण		0	81,13,38,653	-81,13,38,653
12	पी-01-13-4210-03-105-94-51-एन-वी-जॉई मैं नए राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य		30,00,00,000	0	30,00,00,000
13	पी-01-13-4210-03-105-96-51-एन-वी-करपना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल का निर्माण		15,00,00,000	0	15,00,00,000
14	पी-01-13-4210-03-105-97-98-एन-वी-बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां (सोनीपत) का निर्माण		0	15,65,38,090	-15,65,38,090
15	पी-01-13-4210-03-105-98-97-एन-वी-भवन का निर्माण (राज्य अंशदान)		0	70,33,00,000	-70,33,00,000
16	पी-02-13-4210-03-105-82-51-एन-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण, यमुना नगर		1,00,000	0	1,00,000
17	पी-02-13-4210-03-105-83-51-एन-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण, कैथल		1,00,000	0	1,00,000
18	पी-02-13-4210-03-105-84-51-एन-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण, सिरसा		1,00,000	0	1,00,000

क्र.सं.	स्वास्थ्य योजना	बचत राशि	अतिरिक्त राशि	अभ्यर्पित राशि
19	पी-02-13-4210-03-105-93-51-एन-वी-नए राजकीय मेडिकल कॉलेज, भिवानी का निर्माण	1,13,64,94,548	0	1,13,64,94,548
20	पी-02-13-4210-04-107-99-51-एन-वी-राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	2,00,00,000	0	2,00,00,000
	कुल	6,92,90,07,268	1,77,66,40,343	5,15,23,66,925
	शीर्ष 2211			
1	2211-001-97 बाल जीवन सुरक्षित मातृत्व	5,50,76,746	0	5,50,76,746
2	2211-001-98 जिला परिवार नियोजन ब्यूरो	10,59,48,684	0	10,59,48,684
3	2211-001-99 राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो	2,43,52,640	0	2,43,52,640
4	2211-003-95 एमपीडब्ल्यू ट्रेनिंग स्कूल (पुरुष), रोहतक	78,66,070	0	78,66,070
5	2211-003-96 एमपीडब्ल्यू (महिला) के लिए प्रमोशनल ट्रेनिंग स्कूल, भिवानी	50,47,573	0	50,47,573
6	2211-003-98 एनएम का प्रशिक्षण	8,97,57,938	0	8,97,57,938
7	2211-003-99 क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केंद्र, रोहतक	1,03,27,558	0	1,03,27,558
8	2211-101-98 उप केंद्र	31,96,49,548	0	31,96,49,548
9	2211-102-99 शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	2,46,00,225	0	2,46,00,225
10	2211-103-99 टीकाकरण कार्यक्रम	0	12,06,92,000	-12,06,92,000
11	2211-200-99 पारंपरिक गर्भनिरोधक	99,20,950	0	99,20,950
	कुल	65,25,47,932	12,06,92,000	53,18,55,932
	शीर्ष 4059			
1	4059-01-051-63 खादय एवं औषधि प्रशासन भवन का निर्माण	10,00,00,000	0	10,00,00,000
2	4059-01-051-65 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय हरियाणा (पंचकुला) का निर्माण कार्य	10,00,00,000	0	10,00,00,000
	कुल	20,00,00,000	0	20,00,00,000
	शीर्ष का कुल योग 2210+4210+2211+4059	20,61,84,50,242	4,02,19,87,635	16,59,64,62,607

परिशिष्ट 3.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2.3 (vi); पृष्ठ 85)

31 मार्च 2022 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की सूची

क्र. सं.	सरकारी स्वीकृति संख्या	फाइल/पत्र संख्या	दिनांक	अनुदानग्राही का नाम/कार्यालय	प्रयोजन	सहायता अनुदान की राशि (राशि ₹ में)
1	23/21/2018-4-एचबी-III दिनांक 28 मई 2020	32/155(एनएपीएस) लेखापरीक्षा/2020/1818-21	04 अगस्त 2020	डीएचएस (एचएमडी)	राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण हेतु	7,30,96,000
2	23/74/2020-4-एचबी-III दिनांक 13 जुलाई 2020	32/150(अनुदान)-लेखापरीक्षा-2020/1869	11 अगस्त 2020	डीडी (एनसीडी)	अंबाला में टीसीसीसी स्थापित करने के लिए	31,88,00,000
3	23/55/2020-4-एचबी-III दिनांक 17 नवंबर 2020	32/143(अनुदान)लेखापरीक्षा/4047-50	07 दिसंबर 2020	निदेशक (एफ एंड ए) एनएचएम	अटल जननी वाहिनी सेवा	23,25,00,000
4	23/50/2020-4-एचबी-III दिनांक 17 अक्टूबर 2020	32/143(अनुदान)2020/3098-3102	12 नवंबर 2020	निदेशक (एफ एंड ए) एनएचएम	एनएचएम (केंद्र + राज्य हिस्सेदारी) के अंतर्गत शामिल विभिन्न गतिविधियां	4,08,00,000
5	23/63/2020-4-एचबी-III दिनांक 21 जनवरी 2021	32/143(अनुदान)लेखापरीक्षा/48-51	05 जनवरी 2021	निदेशक (एफ एंड ए) एनएचएम	एनएचएम (केंद्र + राज्य हिस्सेदारी) के अंतर्गत शामिल विभिन्न गतिविधियां	72,00,000
कुल						67,23,96,000

परिशिष्ट 3.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2.3 (vi); पृष्ठ 85)

अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण जो 31 मार्च 2022 को बकाया थे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	डीडीओ का नाम	योजना का नाम	को दिए गए अग्रिम	अग्रिम राशि	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	अभ्युक्तियां
1	सिविल सर्जन, कुरुक्षेत्र	निर्माण कार्य	लोक निर्माण विभाग	30.21	30.21	कार्य पूर्ण न होने के कारण लंबित
2	कल्पना चावला गर्वर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, करनाल	4210-03-105-96-51-13 पी-01-एनवी-कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, करनाल का निर्माण	फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज	86.06	86.06	(i) 2019-20 के दौरान ₹ 19.20 करोड़ और ₹ 56 करोड़, (ii) 2020-21 के दौरान ₹ 10.35 करोड़, ₹ 0.51 करोड़
			एचपीएचसी, पंचकुला	5.20	0.20	2020-21 के दौरान ₹ 0.20 करोड़
कुल				121.47	116.47	

परिशिष्ट 3.17
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2.3 (vii): पृष्ठ 85)
डीडीओ के कारण केंद्र और राज्यवार ब्याज

क्र. सं.	डीडीओ का नाम	डीडीओ कोड	योजना का नाम	2021-22 के दौरान अर्जित ब्याज	31 मार्च 2022 को बैंक बैलेंस	अभ्युक्तियां	
केंद्र प्रायोजित योजनाएं							
1	निदेशक/एसएमओ कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल	1203	मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेलफेयर सोसाइटी	31,07,619	14,54,22,479	यह कॉलेज सोसायटी का बैंक खाता है लेकिन केंद्रीय अनुदान अर्थात लक्ष्य से निधियां और एनएचएम की निधियों से आईसीयू/एचडीयू की स्थापना की राशि भी इस बैंक खाते में जमा की गई थी। ₹ 10572454/- 07 सितंबर 2022 को 0049-04-107-91-51 में जमा किए गए थे।	
2	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रतिया	1149	जन औषधि केंद्र	14,269	8,93,639	केंद्र सरकार की योजना	
			आयुष्मान भारत	5,35,219	2,31,51,599	केंद्र सरकार की योजना	
			परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहु-विषयक अनुसंधान इकाई	3,08,854	1,28,08,854	केंद्र सरकार की योजना	
			आयुष्मान भारत	524	1,963	केंद्र सरकार की योजना	
				कुल (ए)	39,66,485	18,22,78,534	
राज्य योजनाएं							
3	निदेशक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छैसा, फरीदाबाद	1148	कॉलेज का चालू खाता	0	11,90,745	चालू खाते के कारण ब्याज अर्जित नहीं किया जा रहा था जबकि ₹ 1,93,200 की राशि के बिजली प्रभारों की सरकारी प्राप्ति इस खाते में जमा की गई थी।	
4	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सरकारी सिविल अस्पताल, सेक्टर 6, पंचकुला	1149	एमएमआईवाई	43,163	13,98,444	-	
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिवानी	1152	एमएमआईवाई	59,551	23,848	-	
			पीपीपी	2,037	2,019	-	
6	सिविल सर्जन, कुरुक्षेत्र	1152	एमएमआईवाई	1,82,509	30,97,175	-	
7	चिकित्सा अधीक्षक/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामान्य/सिविल अस्पताल, पानीपत		एमएमआईवाई	39,976	42,06,224	-	
			पीपीपी	0	1,66,985	-	
8	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घरौंडा	1149	एमएमआईवाई	40	24,210	-	
9	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रतिया	1149	एमएमआईवाई	3,169	2,12,440	-	
				कुल (बी)	3,30,445	1,03,22,090	-
				कुल योग (ए+बी)	42,96,930	19,26,19,661	

परिशिष्ट 3.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (ii); पृष्ठ 89)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें बचत 50 प्रतिशत से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना	कुल (बजट + अनुपूरक)	विनियोग लेख के अनुसार व्यय	बचत/आधिक्य 2021-22	प्रतिशत
1	पी-01-32-2515-51-101-89-51-एन-वी- राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,375.00	0.00	1,375.00	100.00
2	पी-01-32-2515-51-789-87-51-एन-वी- राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता	340.00	0.00	340.00	100.00
3	पी-02-32-2515-51-106-97-51-एन-वी- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबेन मिशन (एसपीएमआरएम)	166.00	0.00	166.00	100.00
4	पी-02-32-2515-51-101-81-51-एन-वी- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	20.00	0.00	20.00	100.00
5	पी-03-32-2515-51-106-98-51-एन-वी- प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)	20.00	0.00	20.00	100.00
6	पी-01-32-2505-01-789-99-51-एन-वी- स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना	10.00	0.00	10.00	100.00
7	पी-01-32-2515-51-102-96-99-एन-वी- स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के लिए योजना - सामान्य योजना	10.00	0.00	10.00	100.00
8	पी-01-32-2515-51-789-99-51-एन-वी- अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के लिए योजना	10.00	0.00	10.00	100.00
9	पी-02-32-2501-05-789-99-51-एन-वी- एकीकृत अपशिष्ट भूमि विकास प्रबंधन परियोजना	10.00	0.00	10.00	100.00
10	पी-03-32-2553-51-101-98-51-एन-वी- सासद आदर्श ग्राम योजना (एसएमएजीवाई)	2.50	0.00	2.50	100.00
11	पी-01-32-2515-51-102-98-51-आर-वी- गैर-अधिकारियों के लिए राज्य/जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन	1.00	0.00	1.00	100.00
12	पी-03-32-3604-51-101-99-51-एन-वी- भूमि होल्डिंग टैक्स के बदले पंचायत समितियों को मुआवजा	0.72	0.00	0.72	100.00
13	पी-01-32-2501-03-001-97- ग्रामीण विकास के लिए निष्पादन संबद्ध परियोजना (पीएलओ) (आरयूडी-पीएलओ-आरईवी)	0.01	0.00	0.01	100.00
14	पी-01-32-2515-51-001-96- आर-वी- विकास और पंचायत के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी)	0.01	0.00	0.01	100.00
15	पी-01-32-2515-51-106-99-51-एन-वी- विधायक आदर्श ग्राम योजना (वीएजीवाई)	180.20	2.18	178.02	98.79
16	पी-01-32-2505-01-702-88-99-एन-वी- स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना - सामान्य योजना	50.00	1.00	49.00	98.00
17	पी-01-32-2515-51-001-98-96-आर-वी- सामुदायिक विकास-जिला और ब्लॉक प्रभारित कार्मिक	0.40	0.02	0.38	95.00
18	P-01-32-2515-51-789-97-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) के लिए योजना	150.00	22.88	127.12	84.75
19	पी-02-32-2501-05-101-99-51-एन-वी- एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना	30.00	5.60	24.40	81.33
20	पी-02-32-2515-51-102-93-99-एन-वी- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता के लिए सामान्य योजना - सामान्य योजना	532.37	99.82	432.55	81.25
21	पी-02-32-2515-51-106-96-51-एन-वी- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना	50.00	9.52	40.48	80.96
22	पी-01-32-2501-06-800-98-51-एन-वी- ग्रामीण विकास स्थापना व्यय फील्ड स्टाफ योजना	2.50	0.60	1.90	75.88
23	पी-01-32-2515-51-102-90-51-एन-वी- हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की योजना सहायता	20.00	5.00	15.00	75.00
24	पी-01-32-2515-51-789-91-51-एन-वी- हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता योजना	20.00	5.00	15.00	75.00

क्र. सं.	योजना	कुल (बजट + अनुपूरक)	विनियोग लेखे के अनुसार व्यय	बचत/आधिक्य 2021-22	प्रतिशत
25	पी-01-32-2515-51-102-83-51-एन-वी-ग्रामीण विकास के लिए ग्राम युवा स्वयं सेवकों में जागरूकता	3.50	1.00	2.50	71.53
26	पी-02-32-2501-06-789-99-51-एन-वी-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका)	75.00	22.08	52.92	70.56
27	पी-02-32-2515-51-789-98-51-एन-वी-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना- अनुसूचित जाति के लिए	50.00	14.81	35.19	70.37
28	पी-01-32-2515-51-196-99-51-आर-वी-पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय के भुगतान और जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन के लिए योजना	467.76	153.03	314.73	67.29
29	पी-01-32-2515-51-102-97-51-एन-वी-पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नया निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत	25.00	10.03	14.97	59.89
30	पी-01-32-2515-51-001-99-98-आर-वी-पंचायत विभाग-स्थापना व्यय मुख्यालय स्टाफ एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, नीलोखेड़ी	23.56	9.86	13.70	58.17
31	पी-03-32-2515-51-198-98-51-एन-वी-केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान	1,040.00	467.50	572.50	55.05
32	पी-02-32-2515-51-003-98-98-एन-वी-सामुदायिक विकास - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना नीलोखेड़ी का नाम बदलकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए योजना - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी	3.10	1.50	1.60	51.61
33	पी-01-32-2515-51-102-94-51-एन-वी-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई)	350.00	172.55	177.45	50.70
34	पी-01-32-2515-51-102-82-51-एन-वी-हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना	26.00	13.00	13.00	50.00

परिशिष्ट 3.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (iv); पृष्ठ 90)

पिछले तीन वर्षों के दौरान नियमित बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	अवधि	बजट प्रावधान	व्यय	बचत/आधिक्य	प्रतिशतता
1	पी-01-32-2515-51-101-89-51-एन-वी-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2019-20	925.00	925.00	0.00	0.00
		2020-21	1,460.00	1,021.80	438.20	30.01
		2021-22	1,375.00	0.00	1,375.00	100.00
2	पी-03-32-2515-51-198-98-51-एन-वी- केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान	2019-20	1,176.68	1,048.53	128.15	10.89
		2020-21	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00
		2021-22	1,040.00	467.50	572.50	55.05
3	पी-02-32-2515-51-102-93-99-एन-वी- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना - सामान्य योजना	2019-20	120.00	87.67	32.33	26.94
		2020-21	245.00	80.77	164.23	67.03
		2021-22	532.37	99.82	432.55	81.25
4	पी-01-32-2515-51-789-87-51-एन-वी- राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता	2019-20	215.00	215.00	0.00	0.00
		2020-21	365.00	255.50	109.50	30.00
		2021-22	340.00	0.00	340.00	100.00
5	पी-01-32-2515-51-196-99-51-आर-वी- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय के भुगतान और जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन के लिए योजना	2019-20	108.93	95.41	13.52	12.41
		2020-21	668.92	161.48	507.44	75.86
		2021-22	467.76	153.03	314.73	67.28
6	पी-01-32-2515-51-106-99-51-एन-वी- विधायक आदर्श ग्राम योजना (वीएजीवाई)	2019-20	180.20	66.35	113.85	63.18
		2020-21	180.20	124.59	55.61	30.86
		2021-22	180.20	2.18	178.02	98.79
7	पी-01-32-2515-51-102-94-51-एन-वी- हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई)	2019-20	250.00	175.20	74.80	29.92
		2020-21	556.00	315.32	240.68	43.29
		2021-22	350.00	172.55	177.45	50.70
8	पी-02-32-2515-51-106-97-51-एन-वी- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एसपीएमआरएम)	2019-20	45.00	79.14	-34.14	-75.87
		2020-21	200.00	112.68	87.32	43.66
		2021-22	166.00	0.00	166.00	100.00
9	पी-01-32-2515-51-789-97-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) के लिए योजना	2019-20	250.00	174.80	75.20	30.08
		2020-21	304.00	44.71	259.29	85.29
		2021-22	150.00	22.88	127.12	84.75
10	पी-02-32-2501-06-789-99-51-एन-वी- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका)	2019-20	75.00	32.34	42.66	56.88
		2020-21	75.00	51.68	23.32	31.09
		2021-22	75.00	22.08	52.92	70.56
11	पी-01-32-4515-51-101-99-51-एन-वी- दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना	2019-20	300.00	28.59	271.41	90.47
		2020-21	100.00	97.06	2.94	2.94
		2021-22	150.00	100.00	50.00	33.33
12	पी-01-32-2505-01-702-88-99-एन-वी- स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना - सामान्य योजना	2019-20	3.00	0.00	3.00	100.00
		2020-21	3.00	0.60	2.40	80.00
		2021-22	50.00	1.00	49.00	98.00
13	पी-02-32-2505-02-101-99-99-एन-वी- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)-सामान्य योजना	2019-20	220.00	110.14	109.86	49.94
		2020-21	400.00	255.58	144.42	36.11
		2021-22	300.00	255.74	44.26	14.75
14	पी-02-32-2515-51-106-96-51-एन-वी- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (पीएमजेवीके)	2019-20	0.00	0.00	0.00	0
		2020-21	0.00	0.00	0.00	0
		2021-22	50.00	9.52	40.48	80.96
15	पी-02-32-2515-51-789-98-51-एन-वी- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना- अनुसूचित जाति के लिए	2019-20	50.00	33.05	16.95	33.90
		2020-21	60.00	25.79	34.21	57.02
		2021-22	50.00	14.81	35.19	70.38

क्र. सं.	योजना का नाम	अवधि	बजट प्रावधान	व्यय	बचत/आधिक्य	प्रतिशतता
16	पी-02-32-2501-06-101-99-99-एन-वी- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम /आजीविका)-सामान्य योजना	2019-20	75.00	32.34	42.66	56.88
		2020-21	75.00	67.84	7.16	9.54
		2021-22	75.00	49.40	25.60	34.13
17	पी-02-32-2501-05-101-99-51-एन-वी- एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना (60:40)	2019-20	30.00	17.82	12.18	40.60
		2020-21	20.00	24.88	-4.88	-24.40
		2021-22	30.00	5.60	24.40	81.33
18	पी-01-32-2515-51-197-99-51-आर-वी- ग्राम चौकीदारों को मानदेय के लिए योजना	2019-20	50.00	47.66	2.34	4.68
		2020-21	69.00	64.23	4.77	6.91
		2021-22	124.00	103.03	20.97	16.91
19	पी-02-32-2515-51-101-81-51-एन-वी- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर जी एस ए)	2019-20	40.00	0.00	40.00	100.00
		2020-21	10.00	13.85	-3.85	-38.50
		2021-22	20.00	0.00	20.00	100.00
20	पी-03-32-2515-51-106-98-51-एन-वी- प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)	2019-20	2.20	2.04	0.16	7.27
		2020-21	6.50	6.38	0.12	1.85
		2021-22	20.00	0.00	20.00	100.00
21	पी-01-32-2515-51-102-90-51-एन-वी-हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की योजना सहायता	2019-20	0.01	0.00	0.01	100.00
		2020-21	30.00	0.00	30.00	100.00
		2021-22	20.00	5.00	15.00	75.00
22	पी-01-32-2515-51-789-91-51-एन-वी- हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता योजना	2019-20	0.01	0.00	0.01	100.00
		2020-21	20.00	0.00	20.00	100.00
		2021-22	20.00	5.00	15.00	75.00
23	पी-01-32-2515-51-102-97-51-एन-वी- पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नया निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत	2019-20	30.00	15.46	14.54	48.47
		2020-21	30.00	18.44	11.56	38.53
		2021-22	25.00	10.03	14.97	59.88
24	पी-01-32-2515-51-001-99-98-आर-वी-पंचायत विभाग-स्थापना व्यय (मुख्यालय स्टाफ) एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, नीलोखंडी	2019-20	18.36	6.13	12.23	66.61
		2020-21	21.80	17.28	4.52	20.73
		2021-22	23.56	9.86	13.70	58.15
25	पी-01-32-2515-51-102-82-51-एन-वी- हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना	2019-20	20.00	20.00	0.00	0.00
		2020-21	26.00	0.00	26.00	100.00
		2021-22	26.00	13.00	13.00	50.00
26	पी-01-32-2515-51-102-96-99-एन-वी- स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के लिए योजना - सामान्य योजना	2019-20	10.00	0.00	10.00	100.00
		2020-21	30.00	0.00	30.00	100.00
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
27	पी-01-32-2515-51-789-99-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई)	2019-20	0.01	0.00	0.01	100.00
		2020-21	20.00	0.00	20.00	100.00
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
28	पी-01-32-2505-01-789-99-51-एन-वी- स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना	2019-20	1.00	0.00	1.00	100.00
		2020-21	1.00	0.00	1.00	100.00
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
29	पी-02-32-2501-05-789-99-51-एन-वी- एकीकृत अपशिष्ट भूमि विकास प्रबंधन परियोजना (60:40)	2019-20	10.00	4.25	5.75	57.50
		2020-21	10.00	4.40	5.60	56.00
		2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
30	पी-01-32-2515-51-001-98-96-आर-वी- सामुदायिक विकास-जिला और ब्लॉक कर्मचारी	2019-20	162.05	140.42	20.63	12.73
		2020-21	182.65	163.95	18.76	10.29
		2021-22	184.45	176.12	8.33	4.52
31	पी-01-32-2515-51-001-98-94-आर-वी- सामुदायिक विकास - पंचायती राज लोक कार्य मंडल	2019-20	87.97	83.11	4.86	5.52
		2020-21	167.36	85.17	82.19	49.11
		2021-22	96.37	90.58	5.79	6.01
32	पी-01-32-2515-51-789-88-51-एन-वी- महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना	2019-20	50.00	43.99	6.01	12.02
		2020-21	30.00	29.02	0.98	3.27
		2021-22	30.00	24.54	5.46	18.20

क्र. सं.	योजना का नाम	अवधि	बजट प्रावधान	व्यय	बचत/आधिक्य	प्रतिशतता
33	पी-02-32-2501-06-800-97-51-एन-वी- डीआरडीए प्रशासन	2019-20	35.00	24.85	10.15	29.00
		2020-21	33.00	28.25	4.75	14.39
		2021-22	33.00	29.14	3.86	11.70
34	पी-01-32-2515-51-789-96-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए योजना	2019-20	130.00	147.46	-17.46	-13.43
		2020-21	196.00	172.74	23.26	11.87
		2021-22	200.00	196.37	3.63	1.82
35	पी-01-32-2515-51-102-83-51-एन-वी- ग्रामीण विकास के लिए ग्राम युवा स्वयं सेवकों में जागरूकता	2019-20	5.00	3.36	1.64	32.80
		2020-21	5.00	0.86	4.14	82.80
		2021-22	3.50	1.00	2.50	71.43
36	पी-03-32-2553-51-101-98-51-एन-वी- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	2019-20	2.50	0.00	2.50	100.00
		2020-21	2.50	0.00	2.50	100.00
		2021-22	2.50	0.00	2.50	100.00
37	पी-01-32-4515-51-101-97-51-एन-वी- हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई)	2019-20	0.00	0.00	0.00	0
		2020-21	0.00	0.00	0.00	0
		2021-22	2.47	0.00	2.47	100.00
38	पी-01-32-2501-03-001-99 ग्रामीण विकास स्थापना व्यय योजना (मुख्यालय)	2019-20	5.50	3.16	2.34	42.55
		2020-21	4.66	3.28	1.38	29.61
		2021-22	5.46	3.30	2.16	39.56
39	पी-01-32-2515-51-001-98-98-आर-वी- सामुदायिक विकास-स्थापना व्यय (मुख्यालय स्टाफ)	2019-20	6.65	5.93	0.71	10.68
		2020-21	8.22	5.93	2.29	27.86
		2021-22	8.63	6.55	2.08	24.10
40	पी-01-32-2501-06-800-98-51-एन-वी-ग्रामीण विकास स्थापना व्यय फील्ड स्टाफ योजना	2019-20	4.00	1.37	2.63	65.75
		2020-21	2.50	0.91	1.59	63.60
		2021-22	2.50	0.60	1.90	76.00
41	पी-01-32-2501-06-102-99-51-एन-वी- डीवाई एनआरएलएम के अंतर्गत प्रचारित एसएचजी की सहायता के लिए हरियाणा सरकार (आईएस जीओएच) द्वारा ब्याज सबवेंशन प्रदान करने की योजना	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2020-21	5.00	2.25	2.75	55.00
		2021-22	5.00	3.35	1.65	33.00
42	पी-02-32-2515-51-003-98-98-एन-वी- सामुदायिक विकास - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना नीलोखेड़ी का नाम बदलकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए योजना - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी	2019-20	3.10	2.29	0.81	26.13
		2020-21	3.10	1.50	1.60	51.61
		2021-22	3.10	1.50	1.60	51.61
43	पी-01-32-2515-51-102-98-51-आर-वी- गैर-कर्मिकों के लिए राज्य/जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन	2019-20	1.00	0.91	0.09	9.00
		2020-21	1.00	0.00	1.00	100.00
		2021-22	1.00	0.00	1.00	100.00
44	पी-03-32-3604-51-101-99-51-एन-वी- भूमि होलिंग टैक्स के बदले पंचायत समितियों को मुआवजा	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00
		2021-22	0.72	0.00	0.72	100.00
45	पी-01-32-2515-51-101-93-51-एन-वी- विकास कार्यों के लिए सहायता अनुदान (सरकारी भाग)	2019-20	1.00	0.58	0.42	42.00
		2020-21	1.50	0.60	0.90	60.00
		2021-22	2.00	1.34	0.66	33.00
46	पी-01-32-2515-51-001-98-96-आर-वी-सामुदायिक विकास-जिला और ब्लॉक प्रभारित कर्मिक	2019-20	0.40	0.08	0.32	80.00
		2020-21	0.40	0.04	0.36	90.00
		2021-22	0.40	0.02	0.38	95.00
47	पी-01-32-2501-03-001-97 ग्रामीण विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आरयूडी-पीएलओ-आरईवी)	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2020-21	50.00	0.00	50.00	100.00
		2021-22	0.01	0.00	0.01	100.00
48	पी-01-32-2515-51-001-96-आर-वी- विकास और पंचायत के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-आरईवी)	2019-20	372.34	0.00	372.34	100.00
		2020-21	5.00	0.00	5.00	100.00
		2021-22	0.01	0.00	0.01	100.00
49	पी-01-32-4515-51-101-98-51-आर-वी- विकास और पंचायत विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी)	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2020-21	227.00	0.00	227.00	100.00
		2021-22	0.01	0.00	0.01	100.00

परिशिष्ट 3.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (v); पृष्ठ 90)

उन प्रकरणों का विवरण जिनमें वर्ष 2021-22 का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना	बजट प्रावधान	विनियोग लेखे के अनुसार व्यय	बचत/अधिक्य	बचत प्रतिशत
1	पी-01-32-2501-03-001-97- ग्रामीण विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (आरयूडी-पीएलओ-आरईवी)	0.01	0.00	0.01	100.00
2	पी-01-32-2505-01-789-99-51-एन-वी- स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना	10.00	0.00	10.00	100
3	पी-01-32-2515-51-001-96-आर-वी- विकास और पंचायतों के लिए निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी)	0.01	0.00	0.01	100.00
4	पी-01-32-2515-51-101-89-51-एन-वी- राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,375.00	0.00	1,375.00	100.00
5	पी-01-32-2515-51-102-96-99-एन-वी- स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के लिए योजना - सामान्य योजना	10.00	0.00	10.00	100.00
6	पी-01-32-2515-51-102-98-51-आर-वी- गैर-कार्मिकों के लिए राज्य/जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन	1.00	0.00	1.00	100.00
7	पी-01-32-2515-51-789-87-51-एन-वी- राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता	340.00	0.00	340.00	100.00
8	पी-01-32-2515-51-789-99-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई)	10.00	0.00	10.00	100.00
9	पी-02-32-2501-05-789-99-51-एन-वी- एकीकृत अपशिष्ट भूमि विकास प्रबंधन परियोजना	10.00	0.00	10.00	100.00
10	पी-02-32-2515-51-101-81-51-एन-वी- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	20.00	0.00	20.00	100.00
11	पी-02-32-2515-51-106-97-51-एन-वी- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन (एसपीएमआरएम)	166.00	0.00	166.00	100.00
12	पी-03-32-2515-51-106-98-51-एन-वी- प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)	20.00	0.00	20.00	100.00
13	पी-03-32-2553-51-101-98-51-एन-वी- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएमएजीवाई)	2.50	0.00	2.50	100.00
14	पी-01-32-3604-51-101-99-51-एन-वी- भूमि होल्डिंग टैक्स के बदले पंचायत समितियों को मुआवजा	0.72	0.00	0.72	100.00
	कुल	1,965.24	0.00	1,965.24	100.00

परिशिष्ट 3.21

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (vi); पृष्ठ 91)

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर अर्जित ब्याज, जिसे संबंधित समेकित निधि को प्रेषित नहीं किया गया, के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	योजना का नाम	बजट आबंटित, केंद्र :राज्य का हिस्सा वर्ष 2021-22 के लिए (राशि करोड़ में)	उधार पर राज्य द्वारा भुगतान किया गया ब्याज (उधार की औसत दर 6.73 प्रतिशत की दर से परिकलित)	अर्जित ब्याज	आबंटित बजट के आधार पर ब्याज, केंद्र का हिस्सा	आबंटित बजट के आधार पर ब्याज, राज्य का हिस्सा
1	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सेक्टर 16, पंचकुला	2084104000023010	पी-02-32-2515-51-106-96-51-एन-वी- प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम	30:20 (प्रतिशत 60:40)	1,36,84,134	69,84,857	41,90,914	27,93,943
2	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेक्टर 47, चंडीगढ़	250100088490279	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट	90:76 (प्रतिशत 54:22: 45.78)	3,10,42,754	1,67,56,907	90,85,595	76,71,312
3	पीएनबी बैंक सेक्टर 09, चंडीगढ़	4431000100010460	पी-02-32-2505-02-101-99-99-एन-वी- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना	225:75 (प्रतिशत 75:25)	1,62,41,006	1,01,01,231	75,75,923	25,25,308
4	केनरा बैंक सेक्टर 10, पंचकुला	1624101015733	पी-01-32-2501-06-800 डीआरडीए प्रशासन	3:6:31:90 (प्रतिशत 10:90)	27,57,779	10,49,758	1,04,976	9,44,782
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 8, पंचकुला	309302010097974	पी-02-32-2501-06-101-99-99-एन-वी- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम/आजीविका) - सामान्य योजना	45:30 (प्रतिशत 60:40)	6,50,343	5,98,187	3,58,912	2,39,275
	कुल				6,43,76,016	3,54,90,940	2,13,16,320	1,41,74,620

परिशिष्ट 3.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (vi); पृष्ठ 91)

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर अर्जित ब्याज, जिसे आईए द्वारा संबंधित समेकित निधि को प्रेषित नहीं किया गया था, के विवरण दर्शाने वाली विवरणी (राशि ₹ में)

क्र.सं.	यूनिट का नाम	बैंक खाता संख्या.	योजना	राशि
1	बीडीपीओ हिसार-1	बड़ौदा बैंक खाता 0768	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	51,905
		पीएनबी 05441	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	27,584
		बड़ौदा बैंक खाता 2459	15वां वित्त आयोग	23,280
2	बीडीपीओ बरवाला	एचडीएफसी बैंक खाता 40192	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	15,289
		एचडीएफसी बैंक 351167	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	31,398
		पीएनबी 74459	15वां वित्त आयोग	2,67,006
3	बीडीपीओ जगाधरी	आईसीआईसीआई बैंक 246601000152	15वां वित्त आयोग	2,77,933
		पीएनबी 0471000102262333	15वां वित्त आयोग	89,538
4	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कुरुक्षेत्र	एक्सिस बैंक 920010062362461	15वां वित्त आयोग	17,19,706
		एक्सिस बैंक 916010055185203	15वां वित्त आयोग	3,93,875
5	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए, पानीपत	यस बैंक 007094600001357	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एसपीएमआरएम)	14,86,991
6	पंचायती राज, पानीपत	यूनियन बैंक 752402010000458	पी-03-32-2553-एमपीएलडी	1,65,000
7	बीडीपीओ फतेहाबाद	आईडीबीआई बैंक खाता 3790	15वां वित्त आयोग	5,24,259
		इंडसइंड बैंक 0019	एमपीएलडी	9,700
8	बीडीपीओ अंबाला- II	एचडीएफसी बैंक खाता 43770	स्वच्छ भारत मिशन	31,559
		एचडीएफसी बैंक	15वां वित्त आयोग	56,330
9	जिला परिषद करनाल	यस बैंक 0561	15वां वित्त आयोग	30,28,191
10	बीडीपीओ भूना	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	15वां वित्त आयोग	1,89,082
कुल				83,88,626

परिशिष्ट 3.23

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (vii); पृष्ठ 92)

(i) अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित बैंक बैलेंस का विवरण दर्शाने वाली विवरणी 2022-23

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	योजना का नाम	31 मार्च 2022 तक बैंक बैलेंस
1	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सेक्टर 16, पंचकुला	2084104000023010	पी-02-32-2515-51-106-96-51- एन-वी-प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम	62,42,77,476
2	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेक्टर 47 चंडीगढ़	250100088490279	पी-02-32-2515-51-106-97-51- एन-वी- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)	28,74,20,387
3	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेक्टर 27 चंडीगढ़	50100093992916	पी-03-32-2553-51-101-98-51- एन-वी- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	14,70,410
4	पीएनबी बैंक सेक्टर 09 चंडीगढ़	4431000100010460	पी-02-32-2505-02-101-99-99- एन-वी- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना	5,11,60,403
5	केनरा बैंक सेक्टर 10 पंचकुला	1624101015733	पी-01-32-2501-06-800-97-51- एन-वी- डीआरडीए प्रशासन	16,60,80,149
6	इंडसइंड बैंक लिमिटेड सेक्टर 27 चंडीगढ़	159992246110	पी-03-32-2515-51-106-98-51- एन-वी- प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)	38,17,251
7	बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 8 पंचकुला, और अन्य बैंक (विवरण प्रदान नहीं किया गया)	309302010097974	पी-02-32-2501-06-101-99-99- एन-वी-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका)- सामान्य योजना	13,89,36,064
8	बैंक विवरण प्रदान नहीं किया गया		पी-02-32-2501-05-101-99-51- एन-वी- एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना (60:40)	35,061
9	इंडसइंड बैंक लिमिटेड सेक्टर 28 ए चंडीगढ़)		पी-02-32-2515-51-102-93-99- एन-वी- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना - सामान्य योजना	1,44,91,83,153
			कुल	2,72,23,80,354

(ii) अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित बैंक बैलेंस का विवरण दर्शाने वाली विवरणी 2022-23

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	डीडीओ का नाम	योजना का नाम	31 मार्च 2022 तक अव्ययित राशि
1	बीडीपीओ हिसार-1	15वां वित्त आयोग	1,19,50,595
		एसबीएम	11,66,907
		पीएमएजीवाई	2,57,748
2	बीडीपीओ बरवाला	15वां वित्त आयोग	89,67,408
		पीएमएजीवाई	1,33,967
		एसबीएम	3,09,883
		वैट पर सरचार्ज/ एसएफसी	11,11,845
3	बीडीपीओ जगाधरी	एफएफसी	127,71,676
		एमपीएलएडी(कुरुक्षेत्र)	5,87,408
		एमपीएलएडी(अंबाला)	8,54,063
4	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कुरुक्षेत्र	एफएफसी	3,95,99,749
		वैट पर सरचार्ज	8,70,292
		एसएफसी	70,90,117
		पीआरआई	97,21,681
5	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए, पानीपत	वीएजीवाई	1,54,81,648
		एमपीएलएडी	51,88,573
		एसपीएमआरएम	14,88,991
		एचएसआरएलएम	1,10,425
6	बीडीपीओ फतेहाबाद	15वां वित्त आयोग	2,48,11,378
		एमपीएलएडी	22,53,356
7	बीडीपीओ अंबाला-II	स्वच्छ भारत मिशन	5,34,406
		15वां वित्त आयोग	24,24,706
		राज्य वित्त आयोग	22,35,137
8	बीडीपीओ भूना	15वां वित्त आयोग	84,72,632
		राज्य वित्त आयोग	69,71,498
9	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	15वां वित्त आयोग	6,50,64,373
		राज्य वित्त आयोग	76,54,336
		कुल	23,80,84,798

परिशिष्ट 3.24

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (vii); पृष्ठ 92)

सरकारी लेखों के बाहर निधि जमा करने और राज्य को परिणामी ब्याज हानि का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	योजना का नाम	बजट आबंटित, केंद्र: राज्य का हिस्सा वर्ष 2021-22 के लिए (राशि करोड़ में)	उधार पर राज्य द्वारा भुगतान किया गया ब्याज (उधार की औसत दर 6.73 प्रतिशत की दर से परिकल्पित)	अर्जित ब्याज	ब्याज हानि	आबंटित बजट के आधार पर ब्याज, केंद्र का हिस्सा	आबंटित बजट के आधार पर ब्याज, राज्य का हिस्सा
1	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सेक्टर 16, पंचकुला	2084104000023010	पी-02-32-2515-51-106-96-51-एन-वी-प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम	30:20 (प्रतिशत 60:40)	1,36,84,134	69,84,857	66,99,277	41,90,914	27,93,943
2	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेक्टर 47 चंडीगढ़	250100088490279	पी-02-32-2515-51-106-97-51-एन-वी-श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्बैन मिशन (एसपीएमआरएम)	90:76 (प्रतिशत 54:22:45:78)	3,10,42,754	1,67,56,907	1,42,85,847	90,85,595	76,71,312
3	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेक्टर 27 चंडीगढ़	50100093992916	पी-03-32-2553-51-101-98-51-एन-वी-सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	2.5 (100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित)	98,797	44,652	54,145	44,652	0
4	पीएनबी बैंक सेक्टर 09 चंडीगढ़	4431000100010460	पी-02-32-2505-02-101-99-99-एन-वी-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना	225:75 (प्रतिशत 75:25)	1,62,41,006	1,01,01,231	61,39,775	75,75,923	25,25,308
5	केनरा बैंक सेक्टर 10 पंचकुला	1624101015733	पी-01-32-2501-06-800 डीआरडीए प्रशासन	3.6:31.90 (प्रतिशत 10:90)	27,57,779	10,49,758	17,08,021	1,04,976	9,44,782
6	इंडसइंड बैंक लिमिटेड सेक्टर 27 चंडीगढ़	159992246110	पी-03-32-2515-51-106-98-51-एन-वी-प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)	2.5 (100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित)	21,408	0	21,408	0	0
7	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 8, पंचकुला,	309302010097974	पी-02-32-2501-06-101-99-99-एन-वी-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम/आजीविका) - सामान्य योजना	45:30 (प्रतिशत 60:40)	6,50,343	5,98,187	52,156	3,58,912	2,39,275
8	इंडसइंड बैंक लिमिटेड सेक्टर 28, चंडीगढ़	151500160028	पी-02-32-2515-51-102-93-99-एन-वी-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना - सामान्य योजना	प्रतिशत 50:50	6,26,08,507	4,20,34,659	2,05,73,848	0	0
कुल					12,71,04,728	7,75,70,251	4,95,34,477	2,13,60,972	1,41,74,620

परिशिष्ट 3.25

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (ix); पृष्ठ 93)

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के खातों, जिन्हें बंद नहीं किया गया था अथवा शून्य शेष खाते में परिवर्तित नहीं किया गया था, का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	डीडीओ का नाम		योजना का नाम	31 मार्च 2022 तक अव्ययित राशि
1	बीडीपीओ हिसार-1	बड़ौदा बैंक खाता 2459	15वां वित्त आयोग	1,19,50,595
2	बीडीपीओ हिसार-1	बड़ौदा बैंक खाता 0768	एसबीएम	11,66,907
3	बीडीपीओ हिसार-1	पीएनबी 05441	पीएमएजीवाई	2,57,748
4	बीडीपीओ बरवाला	पीएनबी 74459	15वां वित्त आयोग	89,67,408
5	बीडीपीओ बरवाला	एचडीएफसी बैंक 351167	पीएमएजीवाई	1,33,967
6	बीडीपीओ बरवाला	एचडीएफसी बैंक खाता 40192	एसबीएम	3,09,883
7	बीडीपीओ जगाधरी	आईसीआईसीआई बैंक 246601000152 एवं पीएनबी 62333	एफएफसी	1,27,71,676
8	बीडीपीओ जगाधरी	इंडियन बैंक 70226	एमपीएलएडी(कुरुक्षेत्र)	5,87,408
9	बीडीपीओ जगाधरी	इंडियन बैंक 17542	एमपीएलएडी(अंबाला)	8,54,063
10	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कुरुक्षेत्र	एक्सिस बैंक 920010062362461	एफएफसी	3,93,45,187
12	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए, पानीपत	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खाता 00458	एमपीएलएडी	51,88,573
13	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए, पानीपत	यस बैंक 007094600001357	श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर्वन मिशन	14,86,991
14	बीडीपीओ फतेहाबाद	आईडीबीआई बैंक खाता 3790	15वां वित्त आयोग	2,48,11,378
15	बीडीपीओ फतेहाबाद	इंडसइंड बैंक 0019	एमपीएलएडी	22,53,356
16	बीडीपीओ अंबाला- II	एचडीएफसी बैंक खाता 43770	स्वच्छ भारत मिशन	5,34,406
17	बीडीपीओ अंबाला- II	एचडीएफसी बैंक	15वां वित्त आयोग	24,24,706
18	बीडीपीओ भूना	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	15वां वित्त आयोग	84,72,632
19	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	यस बैंक 0561	15वां वित्त आयोग	6,50,64,373
			कुल	18,65,81,257

परिशिष्ट 3.26

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (x); पृष्ठ 94)

लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	योजना का नाम	वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई राशि (पिछले वर्ष)	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र	लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1	निदेशक विकास एवं पंचायत, हरियाणा	15वां वित्त आयोग	1264.00	27.56	1236.44
2	निदेशक विकास एवं पंचायत, हरियाणा	राज्य वित्त आयोग	254.62	7.60	247.02
3	निदेशक ग्रामीण विकास	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)	6.38	1.90	4.48
4	बीडीपीओ हिसार-1	महिला शौचालय का निर्माण	0.18	0.03	0.15
कुल			1525.18	37.09	1488.09

परिशिष्ट 3.27

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (xi); पृष्ठ 94)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण की राशि का विवरण

क्र. सं.	लेखे का मुख्य शीर्ष एवं योजना का नाम	वास्तविक प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	(₹ करोड़ में)	
						31 मार्च को अभ्यर्पण	
1	पी-01-32-2501-03-001-97-51-आर-वी-ग्रामीण विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आरयूडी-पीएलओ-आरईवी)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
2	पी-01-32-2501-03-001-99-51-आर-वी- ग्रामीण विकास स्थापना व्यय मुख्यालय हेतु योजना	5.46	0.00	5.46	3.30		2.16
3	पी-01-32-2501-06-102-99-51-एन-वी- डीएवाई एनआरएलएम के अंतर्गत प्रचारित एसएचजी की सहायता के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ब्याज सबवैशन प्रदान करने की योजना	5.00	0.00	5.00	3.35		1.65
4	पी-01-32-2501-06-800-97-51-एन-वी- डीआरडीए प्रशासन	33.00	0.00	33.00	29.14		3.86
5	पी-01-32-2501-06-800-98-51-एन-वी-ग्रामीण विकास स्थापना व्यय फील्ड स्टाफ योजना (ग्राम सेविका)	2.50	0.00	2.50	0.60		1.90
6	पी-01-32-2505-01-702-88-99-एन-वी- स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना - सामान्य योजना	50.00	0.00	50.00	1.00		49.00
7	पी-01-32-2505-01-789-99-51-एन-वी- स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना	10.00	0.00	10.00	0.00		10.00
8	पी-01-32-2515-51-001-98-94-आर-वी- सामुदायिक विकास -पंचायती राज लोक कार्य मंडल	96.37	0.00	96.37	90.58		5.80
9	पी-01-32-2515-51-001-98-96-आर-सी- सामुदायिक विकास-जिला और ब्लॉक कर्मचारी	0.40	0.00	0.40	0.02		0.08
10	पी-01-32-2515-51-001-98-96-आर-वी- सामुदायिक विकास-जिला और ब्लॉक कर्मचारी	184.45	0.00	184.45	176.12		8.51
11	पी-01-32-2515-51-001-98-98-आर-वी- सामुदायिक विकास-स्थापना व्यय (मुख्यालय स्टाफ)	8.63	0.00	8.63	6.55		2.08
12	पी-01-32-2515-51-001-99-98-आर-वी-पंचायत विभाग-स्थापना व्यय मुख्यालय स्टाफ एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, नीलोखेड़ी	23.56	0.00	23.56	9.86		13.70
13	पी-01-32-2515-51-101-89-51-एन-वी- राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,375.00	0.00	1375.00	0.00		1,375.00
14	पी-01-32-2515-51-101-93-51-एन-वी- विकास कार्यों के लिए सहायता अनुदान का मिलान (सरकारी शेर)	2.00	0.00	2.00	1.34		0.66
15	पी-01-32-2515-51-102-82-51-एन-वी- हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना	26.00	0.00	26.00	13.00		13.00
16	पी-01-32-2515-51-102-83-51-एन-वी- ग्रामीण विकास के लिए ग्राम युवा स्वयं सेवकों में जागरूकता	3.50	0.00	3.50	1.00		1.00
17	पी-01-32-2515-51-102-96-99-एन-वी-स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के लिए योजना-सामान्य योजना	10.00	0.00	10.00	0.00		10.00
18	पी-01-32-2515-51-102-97-51-एन-वी- पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नया निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत	25.00	0.00	25.00	10.03		14.97
19	पी-01-32-2515-51-102-98-51-आर-वी- गैर-कामिकों के लिए राज्य/जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन	1.00	0.00	1.00	0.00		1.00
20	पी-01-32-2515-51-196-99-51-आर-वी- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय के भुगतान और जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन के लिए योजना	467.76	0.00	467.76	153.03		314.73

क्र. सं.	लेखे का मुख्य शीर्ष एवं योजना का नाम	वास्तविक प्रावधान	अनुसूक्त प्रावधान	कुल	व्यय	31 मार्च को अभ्यर्पण
21	पी-01-32-2515-51-197-99-51-आर-वी- गाम चौकीदारों को मानदेय के लिए योजना	124.00	0.00	124.00	103.00	20.97
22	पी-01-32-2515-51-789-87-51-एन-वी- राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00
23	पी-01-32-2515-51-789-88-51-एन-वी- महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना	30.00	0.00	30.00	24.54	5.46
24	पी-01-32-2515-51-789-96-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए योजना	200.00	0.00	200.00	196.40	3.63
25	पी-01-32-2515-51-789-99-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महा गाम विकास योजना (एसएमएजीवाई)	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
26	पी-01-32-4515-51-101-98-51-आर-वी- विकास और पंचायत विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
27	पी-01-32-4515-51-101-99-51-एन-वी- दीनबंधु हरियाणा गाम उदय योजना	150.00	0.00	150.00	100.00	52.43
28	पी-02-32-2501-05-101-99-51-एन-वी- एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना (60:40)	30.00	0.00	30.00	5.60	24.40
29	पी-02-32-2501-05-789-99-51-एन-वी- एकीकृत अपशिष्ट भूमि विकास प्रबंधन परियोजना (60:40)	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
30	पी-02-32-2501-06-101-99-99-एन-वी- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका)-सामान्य योजना	75.00	0.00	75.00	49.40	25.60
31	पी-02-32-2501-06-789-99-51-एन-वी- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) (60:40)	75.00	0.00	75.00	22.08	52.92
32	पी-02-32-2505-02-101-99-99-एन-वी- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना	300.00	0.00	300.00	255.74	44.26
33	पी-02-32-2515-51-003-98-98-एन-वी- सामुदायिक विकास - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना नीलोखेड़ी का नाम बदलकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए योजना - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी	3.10	0.00	3.10	1.50	1.60
34	पी-02-32-2515-51-101-81-51-एन-वी- राष्ट्रीय गाम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
35	पी-02-32-2515-51-102-93-99-एन-वी- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना - सामान्य योजना	240.00	292.37	532.37	99.82	432.55
36	पी-02-32-2515-51-106-96-51-एन-वी- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (पीएमजेवीके) (60:40)	50.00	0.00	50.00	9.52	40.48
37	पी-02-32-2515-51-106-97-51-एन-वी- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एसपीएमआरएम) (60:40)	166.00	0.00	166.00	0.00	166.00
38	पी-02-32-2515-51-789-98-51-एन-वी- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना- अनुसूचित जाति के लिए	50.00	0.00	50.00	14.81	35.19
39	पी-03-32-2515-51-106-98-51-एन-वी- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
40	पी-03-32-2515-51-198-98-51-एन-वी- केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर गाम पंचायतों को सहायता अनुदान	1,040.00	0.00	1040.00	467.50	512.50
41	पी-03-32-2553-51-101-98-51-एन-वी- सांसद आदर्श गाम योजना (एसएजीवाई)	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50
कुल		5,265.25	292.37	5,557.62	1,848.83	3,649.61

परिशिष्ट 4.1
(संदर्भ: अनुच्छेद 4.4; पृष्ठ 101)

राज्य में विद्यमान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन एजेंसी	राशि
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	मनरेगा	465.95
2	दिव्यांगों के लिए योजनाएं	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	0.39
3	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	सभी जिलों के उपायुक्त	33.50
4	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम III	हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	28.59
5	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन	एन.एच.पी.सी. लिमिटेड	15.00
6	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास विभाग	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	240.62
7	बागवानी विकास के लिए मिशन	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम, हरियाणा	108.52
8	सीखो और कमाओ- कौशल विकास पहल	मास इन्फोटेक सोसायटी और अन्य	13.69
9	खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन सी.एस. (संपदा)	श्री श्याम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड, फ्रिटफूड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य	48.22
10	एकीकृत विद्युत विकास योजना	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	15.54
11	स्वदेश दर्शन - थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	9.45
12	यूरिया फ्रेट सब्सिडी का भुगतान	यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,467.14
13	आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	मोजेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,313.16
14	नई मंजिल- एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	1.17
15	रोड विंग के अंतर्गत कार्य	मान बिल्डर्स, केसीसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य	367.23
16	सामर्थ्य (बीबीबीपी क्रेच पीएमएमवीवाई) लैंगिक बजट कौशल, प्रशिक्षण आदि (प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना)	महिला एवं बाल विकास विभाग	41.64
17	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड	3.06
18	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग, हरियाणा	1,145.87
19	फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना	कृषि एवं किसान कल्याण निदेशालय, हरियाणा	193.35
20	इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग (एमएसएमई)	औद्योगिक नीति और संवर्धन ब्यूरो (बीआईपीपी) और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक	3.60
21	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	जी.जे.यू. हिसार तथा अन्य	5.19
22	राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम/पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड	11.20
23	अनुसंधान और विकास (डीएसटी)	भारत-जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र और अन्य विश्वविद्यालय	21.85
24	स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल इनोवेशन मिशन (ए.आई.एम.)	ताइचीजूनो स्पेशलिटी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य स्कूल	14.37
25	एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत अनाज के अंतर-राज्य आंदोलन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और एफ.पी.एस. डीलरों का मार्जिन	निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हरियाणा	178.23
26	अटल भूजल योजना	एसपीएमयू, आई एंड डब्ल्यूआर विभाग हरियाणा	32.15
27	किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान - ऑफ ग्रिड (कुसुम)	हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	161.12
28	शुगर मिलों को हेंडलिंग, उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागत और चीनी के निर्यात पर अंतरराष्ट्रीय तथा आंतरिक परिवहन एवं माल ढुलाई प्रभारों की लागत सहित विपणन लागत पर खर्च के लिए सहायता प्रदान करने की योजना	सरस्वती शुगर मिल्स लिमिटेड, शाहबाद सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड और अन्य	65.13
29	जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	प्रमुख अभियंता, हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	303.31
30	वस्त्र कौशल विकास के लिए एकीकृत योजना	शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड धुव ग्लोबल लिमिटेड और अन्य	20.30
31	खेलो इंडिया	मैसर्स हरियाणा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंडस और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	19.19
32	अन्य योजनाएं		103.94
	कुल		7,451.67

स्रोत: वित्त लेखा - परिशिष्ट VI

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 103)

31 मार्च 2022 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
1	पुलिस (2055)	2019-20	1	34.33	1	34.33	0	0	1	34.33
		2020-21	2	115.41	2	115.41	0	0	2	115.41
2	सामान्य शिक्षा (2202)	2014-15	739	1,382.54	8	1.02	2	0.03	6	0.99
		2015-16	1,063	1,542.62	20	3.86	9	3.15	11	0.71
		2016-17	1,332	1,618.88	21	2.74	14	2.37	7	0.37
		2017-18	1,385	1,656.36	4	31.10	1	7.00	3	24.10
		2018-19	866	1,560.24	7	189.80	4	52.00	3	137.80
		2019-20	47	545.79	44	545.63	6	99.37	38	446.26
		2020-21	142	1,468.19	142	1,468.19	0	0	142	1,468.19
3	तकनीकी शिक्षा (2203)	2016-17	102	227.06	1	10	0	0	1	10
		2017-18	90	218.18	3	12.65	0	0	3	12.65
		2018-19	109	252.21	1	0.01	0	0	1	0.01
		2020-21	56	228.60	56	228.60	0	0	56	228.60
4	खेल एवं युवा सेवाएं (2204)	2015-16	130	124.02	14	0.72	2	0.08	12	0.64
		2016-17	56	90.69	18	6.80	4	0.19	14	6.61
		2017-18	229	73.14	11	12.39	4	10.34	7	2.05
		2018-19	544	79.62	10	0.04	0	0	10	0.04
		2019-20	1	0.19	1	0.19	0	0	1	0.19
		2020-21	50	2.70	50	2.7	0	0	50	2.7
5	कला एवं संस्कृति (2205)	2015-16	7	3.51	1	0.3	0	0	1	0.3
		2018-19	3	12.73	2	12.68	0	0	2	12.68
		2019-20	1	2.00	1	2	0	0	1	2
		2020-21	1	0.30	1	0.3	0	0	1	0.3
6	चिकित्सा (2210)	2017-18	82	1,031.67	1	0.92	1	0.92	0	0
		2018-19	86	1,229.21	5	8.16	1	6.02	4	2.14
		2019-20	54	796.03	54	796.03	28	365.66	26	430.37
		2020-21	47	814.12	47	814.12	0	0	47	814.12
7	शहरी विकास (2217)	2012-13	96	1,274.01	19	217.36	2	1.60	17	215.76
		2013-14	73	1,120.80	18	351.65	1	9.00	17	342.65
		2014-15	87	1,115.43	24	160.41	3	25.50	21	134.91
		2015-16	122	1,478.70	50	304.10	1	11.00	49	293.10
		2016-17	219	2,227.25	120	926.04	0	0	120	926.04
		2017-18	395	2,781.01	250	1,078.89	1	3.99	249	1,074.90
		2018-19	105	1,841.76	76	1,230.65	1	20.00	75	1,210.65
		2019-20	52	1,750.54	52	1,750.54	4	598.74	48	1,151.80
		2020-21	42	1,652.99	42	1,652.99	0	0	42	1,652.99
8	सूचना एवं प्रचार (2220)	2017-18	70	16.25	6	1.79	6	1.79	0	0
		2018-19	29	15.36	11	5.30	11	5.30	0	0
		2019-20	15	7.73	15	7.73	15	7.73	0	0
		2020-21	2	75	2	0.75	0	0	2	0.75

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
9	श्रम एवं रोजगार (2230)	2019-20	5	62.85	5	62.85	5	62.85	0	0
		2020-21	7	66.35	7	66.35	5	64.50	2	1.85
10	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (2235)	2014-15	33	43.71	2	11.53	0	0	2	11.53
		2015-16	355	50.55	5	3.33	2	1.50	3	1.83
		2017-18	38	34.20	15	14.09	10	12.29	5	1.80
		2018-19	208	87.41	11	5.35	9	4.16	2	1.19
		2019-20	27	12.77	27	12.77	5	5.92	22	6.85
		2020-21	35	45.22	35	45.22	0	0	35	45.22
11	फसल पालन (2401)	2018-19	14	199.46	5	55.88	5	55.88	0	0
		2019-20	2	13.79	2	13.79	2	13.79	0	0
		2020-21	19	307.02	19	307.02	0	0	19	307.02
12	मृदा एवं जल संरक्षण (2402)	2017-18	84	1.20	3	0.06	3	0.06	0	0
		2018-19	19	0.85	2	0.02	2	0.02	0	0
		2019-20	11	0.49	11	0.49	10	0.41	1	0.08
13	पशुपालन (2403)	2017-18	86	74.08	1	0.02	0	0	1	0.02
		2018-19	94	113.85	13	0.51	7	0.31	6	0.20
		2019-20	37	124.01	37	124.01	20	0.94	17	123.07
		2020-21	17	35.31	17	35.31	0	0	17	35.31
14	मत्स्य पालन (2405)	2019-20	6	0.42	6	0.42	6	0.42	0	0
		2020-21	1	0.06	1	0.06	0	0	1	0.06
15	वानिकी एवं वन्यजीवन (2406)	2017-18	3	10.71	3	10.71	0	0	3	10.71
		2019-20	3	3.09	3	3.09	0	0	3	3.09
		2020-21	3	8.68	3	8.68	0	0	3	8.68
16	सहकारिता (2425)	2020-21	5	36.21	5	36.21	0	0	5	36.21
17	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (2501)	2015-16	103	64.19	4	1.1	0	0	4	1.1
		2016-17	87	69.16	20	47.09	0	0	20	47.09
		2017-18	112	135.06	49	103.28	2	1.11	47	102.17
		2018-19	123	154.60	75	144.14	3	0.85	72	143.29
		2019-20	60	102.02	60	102.02	4	0.92	56	101.1
		2020-21	29	18.81	29	18.81	0	0	29	18.81
18	ग्रामीण रोजगार (2505)	2014-15	165	333.36	2	1.16	0	0	2	1.16
		2015-16	48	285.52	9	12.76	0	0	9	12.76
		2016-17	7	218.78	2	119.22	0	0	2	119.22
		2017-18	15	211.07	15	211.07	0	0	15	211.07
		2018-19	9	201.78	8	201.78	0	0	8	201.78
		2019-20	4	61.97	4	61.97	0	0	4	61.97
19	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2515)	2009-10	68	366.26	1	10.85	0	0	1	10.85
		2010-11	48	267.83	7	33.08	0	0	7	33.08
		2011-12	222	722.40	41	137.00	0	0	41	137.00
		2012-13	266	882.65	39	88.02	0	0	39	88.02
		2013-14	249	1,263.49	69	368.67	0	0	69	368.67
		2014-15	3,871	1,191.66	55	169.34	1	0.31	54	169.03
		2015-16	3,845	1,261.94	95	152.75	0	0	95	152.75
		2016-17	4,166	2,262.96	133	272.68	0	0	133	272.68
		2017-18	3,652	1,127.58	64	205.68	0	0	64	205.68

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
		2018-19	4,015	2,228.45	237	1,047.69	4	2.45	233	1,045.24
		2019-20	355	2,757.15	355	2,757.15	1	18.40	354	2,738.75
		2020-21	105	349.62	105	349.62	0	0	105	349.62
20	कमांड एरिया डेवलपमेंट (2705)	2018-19	19	70.70	3	10.80	3	10.80	0	0
		2019-20	16	104.25	16	104.25	13	81.85	3	22.40
		2020-21	3	6.25	3	6.25	0	0	3	6.25
21	ग्रामीण और लघु उद्योग (2851)	2019-20	1	0.13	1	0.13	1	0.13	0	0
22	उद्योग (2852)	2016-17	36	61.70	5	1.25	0	0	5	1.25
		2017-18	23	126.50	5	61.89	0	0	5	61.89
		2018-19	25	78.49	11	49.82	3	0.94	8	48.88
		2019-20	7	16.30	7	16.30	2	1.58	5	14.72
23	नागरिक उड्डयन (3053)	2019-20	1	0.17	1	0.17	1	0.17	0	0
24	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425)	2018-19	39	19.03	1	0.15	0	0	1	0.15
		2020-21	8	12.12	8	12.12	0	0	8	12.12
25	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण (3435)	2014-15	12	2.17	1	0.10	0	0	1	0.10
		2016-17	4	1.62	1	0.30	0	0	1	0.30
		2018-19	3	1.37	1	0.05	0	0	1	0.05
		2019-20	2	1.61	2	1.61	2	1.61	0	0
26	अन्य प्रशासनिक सेवाएं (2070)	2018-19	5	23.72	3	6.40	3	6.40	0	0
		2019-20	5	22.75	5	22.75	0	0	5	22.75
		2020-21	2	21.35	2	21.35	0	0	2	21.35
27	विविध सामान्य सेवाएं (2075)	2018-19	1	0	1	0	0	0	1	0
28	अन्य सामाजिक सेवाएं (2250)	2018-19	1	0.19	1	0.19	0	0	1	0.19
		2019-20	1	0.13	1	0.13	0	0	1	0.13
29	पर्यटन (3452)	2019-20	10	0.84	10	0.84	10	0.84	0	0
30	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (3475)	2019-20	1	0.10	1	0.10	0	0	1	0.10
31	न्याय प्रशासन (2014)	2020-21	4	0.02	4	0.02	0	0	4	0.02
32	परिवार कल्याण (2211)	2020-21	3	0.18	3	0.18	0	0	3	0.18
33	एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण (2225)	2020-21	60	5.57	60	5.57	0	0	60	5.57
34	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (2415)	2020-21	2	133.50	2	133.50	0	0	2	133.50
35	मुख्य सिंचाई (2700)	2020-21	3	1.75	3	1.75	0	0	3	1.75
36	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत (2810)	2020-21	3	1.20	3	1.20	0	0	3	1.20
37	सचिवालयी आर्थिक सेवाएं (2020-21)	2020-21	4	1.45	4	1.45	0	0	4	1.45

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.15; पृष्ठ 109)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि (30 जून 2022 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2019-20	2018-19	2015-16	2020-21 एवं 2021-22	14 माह* एवं 2 माह
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	2018-19 से 2022-23	2018-19 (20-12-2019)	2018-19 (10-08-2020)	2017-18	2019-20 2020-21 2021-22	दो वर्ष एक वर्ष
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.), पंचकुला	नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा का प्रावधान राज्य विधानमंडल के अधिनियम में दिया गया है	2020-21	2017-18	2015-16	2021-22	2 माह
4.	हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, पंचकुला	2019-20 से 2023-24	2020-21	2018-19	2017-18	2021-22	2 माह
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2019-20 से 2023-24	2020-21	2019-20	2019-20	2021-22	2 माह
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला छावनी	2018-19 से 2022-23	2017-18	2017-18	प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं	2018-19 से 2021-22	तीन वर्ष
7.	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (गु.म.वि.प्रा.)	2017-18 से 2020-21	2020-21	2010-20	--	2021-22	2 माह
8.	हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	2016-17 से 2021-22	पांच वर्ष
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा.), भिवानी	-सम-	2021-22	2019-20	1996-97	--	--
10.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फरीदाबाद	-सम-	2020-21	2017-18	1996-97	2021-22	---
11.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फतेहाबाद	-सम-	2020-21	2017-8	1996-97	2021-22	---

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि (30 जून 2022 तक)
12.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., गुरुग्राम	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2016-17	2016-17	1999-2000	2017-18 एवं 2021-22	चार वर्ष
13.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., झज्जर	-सम-	2020-21	2014-15	2011-12	2021-22	---
14.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कैथल	-सम-	2020-21	2019-20	1996-97	2021-22	---
15.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पंचकुला	-सम-	2020-21	2017-18	1999-2000	2021-22	---
16.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पानीपत	-सम-	2020-21	2018-19	1996-97	2021-22	---
17.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रेवाड़ी	-सम-	2020-21	2017-18	1996-97	2021-22	---
18.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रोहतक	-सम-	2020-21	2018-19	1996-97	2021-22	---
19.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सोनीपत	-सम-	2020-21	2017-18	1996-97	2021-22	---
20.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., यमुनानगर	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	2016-17 एवं 2021-22	पांच वर्ष
21.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., हिसार	-सम-	2020-21	2017-18	1996-97	2021-22	---
22.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., नारनौल	-सम-	2020-21	2018-19	1996-97	2021-22	---
23.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सिरसा	-सम-	2020-21	2017-18	2012-13	2021-22	---
24.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., अंबाला	-सम-	2020-21	2018-19	2013-14	2021-22	---
25.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., जींद	-सम-	2020-21	2016-17	1996-97	2021-22	---
26.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., करनाल	-सम-	2020-21	2017-18	2009-10	2021-22	---
27.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कुरुक्षेत्र	-सम-	2020-21	2019-20	1996-97	2021-22	---
28.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., मेवात (नूंह)	-सम-	2017-18	2014-15	2009-10	2018-19 से 2021-22	तीन वर्ष
29.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पलवल	-सम-	2020-21	2018-19	2012-13	2021-22	---
30.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., चरखी दादरी	-सम-	2021-22	2018-19	--	---	--

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि (30 जून 2022 तक)
31.	हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2019-20 (3-02-2022)	2018-19 (11-08-2021)	2009-10	2020-21 से 2021-22	दो वर्ष
32.	हरियाणा विद्युत नियामक आयोग	2019-20	2020-21	2020-21	2019-20	2021-22	2 माह
33.	हरियाणा मानवाधिकार आयोग, चंडीगढ़	लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2019-20	2018-19	2012-13	2020-21 से 2021-22	एक वर्ष
34.	हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	-सम-	अभी तक लेखे प्राप्त नहीं हुए	--	--	2013-14 से 2021-22	आठ वर्ष
35.	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ह.रि.ए.नि.प्रा.) पंचकुला	2017-18 से 2019-20	2021-22	2018-19	--	---	2 माह (07-09-2021)
36.	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ह.रि.ए.नि.प्र.) गुरुग्राम	2017-18 एवं 2019-20	2020-21	--	--	2021-22	--
37.	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण सी.ए.एम.पी.ए., हरियाणा	लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2018-19 से 2020-21 दिनांक 21-10-2021 (ड्राफ्ट एसएआर प्रक्रियाधीन)	--	--	2021-22	2 माह
38.	हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड	-सम-	2018-19 से 2020-21	2020-21 16.08.2022	अभी तक रखा जाना है	2021-2022	2 माह

परिशिष्ट 4.4
(संदर्भ: अनुच्छेद 4.16; पृष्ठ 110)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
1.	जी.एम.एन. कॉलेज, अंबाला कैट	2018-19 2019-20 2020-21	8.11 10.80 8.64
2.	एस.डी. कॉलेज, अंबाला कैट	2018-19 2019-20 2020-21	8.35 12.68 11.05
3.	डी.ए.वी. कॉलेज, अंबाला शहर	2018-19 2019-20 2020-21	8.95 11.60 9.10
4.	एस.ए. जैन कॉलेज, अंबाला शहर	2018-19 2019-20 2020-21	6.32 9.70 8.38
5.	एम.डी.एस.डी. कॉलेज, अंबाला शहर	2018-19 2019-20 2020-21	2.50 4.00 2.79
6.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, अंबाला शहर	2018-19 2019-20 2020-21	2.02 2.01 2.02
7.	एस.एम. लुबाना खालसा गर्ल्स कॉलेज, बराड़ा, अंबाला	2018-19 2019-20 2020-21	3.53 3.19 3.43
8.	डी.ए.वी. कॉलेज, नैनौला, अंबाला	2018-19 2019-20 2020-21	2.14 1.47 1.10
9.	एम.पी.एन. कॉलेज, मुलाना (अंबाला)	2018-19 2019-20 2020-21	4.80 3.69 3.44
10.	डी.ए.वी. कॉलेज, करनाल	2018-19 2019-20 2020-21	2.90 4.72 2.65
11.	डॉ. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, करनाल	2018-19 2019-20 2020-21	0.87 1.08 1.20
12.	के.वी.डी.ए.वी. महिला कॉलेज, करनाल	2018-19 2019-20 2020-21	4.82 6.75 5.61
13.	दयाल सिंह कॉलेज, करनाल	2018-19 2019-20 2020-21	9.76 9.19 11.81
14.	गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल	2018-19 2019-20 2020-21	4.01 2.62 3.11

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
15.	आई.बी. कॉलेज, पानीपत	2018-19 2019-20 2020-21	5.63 6.29 6.37
16.	एस.डी. कॉलेज, पानीपत	2020-21	7.55
17.	आर्य कॉलेज, पानीपत	2018-19 2019-20 2020-21	5.44 6.78 5.94
18.	गांधी आदर्श कॉलेज, समालखा, पानीपत	2018-19 2019-20 2020-21	0.05 0.80 1.07
19.	वैश्य गर्ल्स कॉलेज, समालखा (पानीपत)	2018-19 2019-20 2020-21	1.34 2.26 1.65
20.	सी.आर. किसान कॉलेज, जींद	2018-19 2019-20 2020-21	4.30 5.34 5.14
21.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद	2018-19 2019-20 2020-21	3.45 4.23 3.45
22.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना, जींद	2018-19 2019-20 2020-21	1.91 1.39 1.54
23.	गुरु नानक खालसा कॉलेज, यमुनानगर	2020-21	11.11
24.	गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर	2018-19 2019-20 2020-21	8.25 11.37 9.72
25.	एम.एल.एन. कॉलेज, यमुनानगर	2018-19 2019-20 2020-21	8.68 12.52 10.11
26.	डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर	2018-19 2019-20 2020-21	5.74 7.81 6.69
27.	हिंदू गर्ल्स कॉलेज, जगाधरी, यमुनानगर	2018-19 2019-20 2020-21	3.80 5.82 4.61
28.	महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जगाधरी	2018-19 2019-20 2020-21	1.83 2.89 2.65
29.	एम.एल.एन. कॉलेज, रादौर	2018-19 2019-20 2020-21	1.84 1.75 1.35
30.	डी.ए.वी. कॉलेज, सढौरा	2018-19 2019-20 2020-21	2.47 2.86 3.08
31.	डी.एन. महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	2020-21	4.16
32.	आई.जी. नेशनल कॉलेज, लाडवा, कुरुक्षेत्र	2018-19 2019-20 2020-21	3.51 5.73 4.57

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
33.	भगवान परशुराम कॉलेज, कुरुक्षेत्र	2018-19 2019-20 2020-21	4.97 6.49 5.30
34.	एम.एन. कॉलेज, शाहबाद, कुरुक्षेत्र	2018-19 2019-20 2020-21	3.32 5.09 3.96
35.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद, कुरुक्षेत्र	2018-19 2019-20 2020-21	4.85 6.58 5.44
36.	डी.ए.वी. कॉलेज, पेहोवा	2018-19 2019-20 2020-21	4.05 6.29 3.97
37.	एस.एन.आर.एल. जय राम गर्ल्स कॉलेज, लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र	2018-19 2019-20 2020-21	1.62 1.89 1.85
38.	आर.के.एस.डी. कॉलेज, कैथल	2018-19 2019-20 2020-21	6.85 8.99 9.23
39.	आई.जी. महिला महाविद्यालय, कैथल	2018-19 2019-20 2020-21	1.23 0.63 1.27
40.	डी.ए.वी. कॉलेज, पुंडरी	2018-19 2019-20 2020-21	2.68 2.58 2.49
41.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर पुंडरी	2018-19 2019-20 2020-21	3.85 5.54 4.85
42.	बी.ए.आर. जनता कॉलेज, कौल, कैथल	2018-19 2019-20 2020-21	2.55 4.70 3.71
43.	डी.ए.वी. कॉलेज, चीका	2018-19 2019-20 2020-21	3.62 4.59 3.68
44.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड डडवान, कैथल	2018-19 2019-20 2020-21	3.94 5.23 4.71
45.	एम.एम. कॉलेज, फतेहाबाद	2018-19 2019-20 2020-21	3.45 5.30 4.33
46.	सी.एम.के. नेशनल गर्ल्स कॉलेज, सिरसा	2018-19 2019-20 2020-21	3.49 4.08 3.92
47.	गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2018-19 2019-20 2020-21	2.08 1.75 1.47
48.	एम.पी. गर्ल्स कॉलेज, डबवाली	2018-19 2019-20 2020-21	2.28 3.67 2.77

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
49.	बी.एस.के. शिक्षा कॉलेज, मंडी डबवाली	2018-19 2019-20 2020-21	0.76 1.25 1.13
50.	सी.आर.एम. जाट कॉलेज, हिसार+	2018-19 2019-20 2020-21	6.90 6.84 6.84
51.	डी.एन. कॉलेज, हिसार	2018-19 2019-20 2020-21	7.49 9.91 7.64
52.	एफ.सी. कॉलेज फॉर विमेन, हिसार	2018-19 2019-20 2020-21	3.25 4.21 2.94
53.	सी.आर. शिक्षा कॉलेज, हिसार	2018-19 2019-20 2020-21	2.33 1.46 1.82
54.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी	2018-19 2019-20 2020-21	1.18 1.20 1.56
55.	सी.आर.ए. कॉलेज, सोनीपत	2018-19 2019-20 2020-21	4.43 6.04 4.52
56.	हिंदू कॉलेज, सोनीपत	2018-19 2019-20 2020-21	6.08 10.00 7.96
57.	हिंदू गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत	2018-19 2019-20 2020-21	5.64 10.63 10.26
58.	टी.आर. शिक्षा कॉलेज, सोनीपत	2019-20 2020-21	1.06 1.31
59.	गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत	2018-19 2019-20 2020-21	8.26 11.33 9.03
60.	टी.आर. गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत	2018-19 2019-20 2020-21	2.80 2.79 2.23
61.	कन्या महाविद्यालय, खरखौदा, सोनीपत	2018-19 2019-20 2020-21	2.73 2.75 2.69
62.	वैश्य कॉलेज, भिवानी	2018-19 2019-20 2020-21	5.25 7.41 6.64
63.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2018-19 2019-20 2020-21	4.17 5.64 4.13
64.	के.एम. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भिवानी	2018-19 2019-20 2020-21	1.14 0.89 1.11

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
65.	जे.वी.एम. जी.आर.आर. कॉलेज, चरखी दादरी	2018-19 2019-20 2020-21	6.80 6.11 6.55
66.	ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखी दादरी	2018-19 2019-20 2020-21	1.54 1.32 1.08
67.	एम.एल.आर.एस. शिक्षा कॉलेज, चरखी दादरी	2019-20 2020-21	1.01 1.09
68.	बी.एल.जे. सुईवाला कॉलेज, तोशाम	2018-19 2019-20 2020-21	2.86 3.08 3.09
69.	महिला महाविद्यालय, झोझू कलां, भिवानी	2018-19 2019-20 2020-21	1.22 1.17 1.38
70.	वाई.एम. डिग्री कॉलेज, नूंह	2018-19 2019-20 2020-21	1.85 2.57 2.12
71.	निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज, सोहना, गुरुग्राम	2018-19 2019-20 2020-21	1.92 2.34 2.59
72.	आर.एस.एल. शिक्षा कॉलेज, सिधरावाली, गुरुग्राम	2018-19 2019-20 2020-21	1.79 2.05 2.99
73.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2018-19 2019-20 2020-21	1.22 1.94 1.78
74.	एम.ए. महिला कॉलेज, झज्जर	2018-19 2019-20 2020-21	4.48 3.80 3.64
75.	जी.जी.डी.एस.डी. कॉलेज, पलवल	2018-19 2019-20 2020-21	6.89 8.53 6.10
76.	अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़	2018-19 2019-20 2020-21	5.07 6.76 6.20
77.	के.एल. मेहता डी.एन. कॉलेज फॉर विमेन, फरीदाबाद	2018-19 2019-20 2020-21	4.02 6.41 4.44
78.	डी.ए.वी. सेंटनरी कॉलेज, फरीदाबाद	2018-19 2019-20 2020-21	3.55 5.02 4.18
79.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2018-19 2019-20 2020-21	2.65 3.95 3.00
80.	के.एल.पी. कॉलेज, रेवाड़ी	2019-20 2020-21	9.49 8.14
81.	एस.पी. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी	2018-19 2019-20 2020-21	0.98 1.26 1.12

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज	प्राप्त नहीं हुए थे	(₹ करोड़ में)
82.	अहीर कॉलेज, रेवाड़ी	2018-19	3.70
		2019-20	6.43
		2020-21	5.08
83.	आर.बी.एस. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी	2018-19	0.81
		2019-20	0.71
		2020-21	0.62
84.	आर.डी.एस. पब्लिक गर्ल्स कॉलेज, रेवाड़ी	2019-20	0.47
		2020-21	3.78
85.	डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, कोसली, रेवाड़ी	2018-19	0.48
		2019-20	1.12
		2020-21	0.61
86.	ऑल इंडिया जाट हीरो मेमोरियल कॉलेज, रोहतक	2018-19	13.70
		2019-20	16.02
		2020-21	11.35
87.	जी.बी. डिग्री कॉलेज, रोहतक	2018-19	2.50
		2019-20	3.34
		2020-21	1.89
88.	श्री एल.एन. हिंदू कॉलेज, रोहतक	2018-19	4.58
		2019-20	4.95
		2020-21	4.30
89.	वैश्य कॉलेज, रोहतक	2018-19	5.00
		2019-20	6.44
		2020-21	7.42
90.	जी.बी. शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2018-19	1.22
		2019-20	2.14
		2020-21	1.05
91.	वैश्य शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2018-19	0.79
		2019-20	0.92
		2020-21	0.73
92.	वैश्य गर्ल्स कॉलेज, रोहतक	2018-19	4.04
		2019-20	5.85
		2020-21	4.38
93.	एस.जे.के. कॉलेज, कलानौर, रोहतक	2018-19	3.63
		2019-20	4.78
		2020-21	4.20
94.	सी.आर. शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2018-19	1.87
		2019-20	2.41
		2020-21	1.77
95.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2018-19	4.51
		2019-20	5.95
		2020-21	4.86
कुल			1196.10

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.17; पृष्ठ 111)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	पिछले अन्तिमकृत लेखों के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखों को तैयार करने में विलंब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम ¹	1988-89	-	1988-89 के पश्चात् कोई लेखे तैयार नहीं किए गए हैं।
2.	कृषि	कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.01	विभाग द्वारा 1986-87 के पश्चात् कीटनाशकों/ खरपतवारनाशक का कोई क्रय नहीं किया गया था।
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2007-08	17.97	-
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2017-18	9,098.50	-
5.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2014-15	1,155.99	स्टॉफ की कमी के कारण विलंब हुआ
6.	सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और संचार	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2019-20	9.90	कोविड के कारण लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका तथापि वर्ष 2020-21 के लेखों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।
कुल				10,282.37	

¹ ये स्कीमें 1986-87 (कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.3; पृष्ठ 116)

हरियाणा में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम/क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र	
1.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
2.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
3.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
4.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
वित्त क्षेत्र	
5.	हरियाणा वित्तीय निगम
6.	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड
7.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
8.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड
9.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड
10.	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड*
सेवा क्षेत्र	
11.	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
12.	हारट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड
13.	गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड
14.	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड
15.	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड
16.	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन
17.	हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड
18.	हरियाणा पर्यटन लिमिटेड
19.	फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ^{ss}
आधारभूत संरचना क्षेत्र	
20.	हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड
21.	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड
22.	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
23.	हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम लिमिटेड
24.	हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
25.	हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26.	हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
27.	करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ^{ss}
अन्य क्षेत्र	
28.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड
29.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड
30.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
31.	हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड
32.	हरियाणा राज्य भंडारण निगम
33.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड
34.	ड्रोन इमेजिंग एंड इनफोर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा ^{ss}
35.	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड*
36.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड
37.	हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड*

नोट: * निष्क्रिय राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम।

^{ss} राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनके संबंध में प्रथम लेखे प्रतीक्षित हैं।